

कारपोरेट मिशन

भारत की विशालतम व्यापारिक कंपनी तथा एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी होने के नाते अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता लाकर विकास की टिकाऊ तथा व्यावहारिक दर प्राप्त कर अपनी स्थिति और मजबूत करना तथा शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों तथा समाज को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हुए अधिकतम लाभ अर्जन करना एमएमटीसी का लक्ष्य है।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के माहौल में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर, स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा लगाई गई पूँजी से समुचित लाभ कमाना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता तथा कुशलता के साथ उत्तम सेवाएं प्रदान करना।
- मध्यम व लघु उदयोगों को सहायक सेवाएं मुहैया कराना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर ही कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना।

एमएमटीसी वर्तमान में

- भारत की विशालतम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी
- भारत से खनिजों के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक, पिछले 20 वर्षों से लगातार कैपेक्सिल पुरस्कार प्राप्तकर्ता
- देश में बुलियन तथा अलौह धातुओं का एकल सबसे बड़ा आयातक/सप्लायर। कृषि, उर्वरक, कोल एवं हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी
- भारत में 56 स्थानों पर कार्यालय, वेयरहाउसिस, पोर्ट ऑफिस तथा रिटेल आउटलेट्स
- सिंगापुर में सहायक कंपनी(एमटीपीएल) जिसे “र्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम”(जीटीपी) का दर्जा प्राप्त है।
- प्रोमोटेड प्रोजेक्ट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) के 1.10 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले ओडिशा स्थित आयरन एवं स्टील प्लांट के माध्यम से संवर्धित उत्पाद उपलब्ध कराता है।

रणनीतिक पहल

- इंडियाबुल्स के साथ मिलकर कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना।
- भारत में लंदन मेटल एक्सचेंज वेयरहाउस खोलना।
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ मिलकर सोने/चांदी के मेडालियन बनाने के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में एक यूनिट स्थापित करना।
- मेडालियंस, ज्वेलरी तथा सांची सिल्वरवेयर की बिक्री के लिए भारत के विभिन्न शहरों में रिटेल स्टोर्स की चेन स्थापित करना।
- एन्नोर पोर्ट पर संयुक्त उद्यम के रूप में आयरन ओर की लोडिंग के लिए एक स्थाई बर्थ स्थापित करना।
- संयुक्त उद्यम भागीदार के साथ फ्री ट्रेड तथा वेयर-हाउसिंग जॉस स्थापित करना।
- एमएमटीसी को आबंटित कोल ब्लॉक का अन्वेषण करना।
- संयुक्त उद्यम भागीदार के साथ मिलकर ज्वेलरी के लिए एसईजेड विकसित करने की संभावनाओं पर विचार।
- कंसोर्टियम के साथ मिलकर पारादीप में पोर्ट जेटी विकसित करना।



कार्यनिष्पादन पर एक नजर

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	2012	2011	2010
कुल बिक्री	659291	688545	451242
जिसमें शामिल हैं—			
निर्यात	20454	36934	32228
आयात	610417	633008	399690
घरेलू	28420	18603	19324
व्यापारिक लाभ	2766	3300	3176
अन्य स्रोतों से आय	7284	5104	6639
कर पश्चात् लाभ	707	1216	2162
वर्ष की समाप्ति पर			
कुल परिसंपत्तियां	127427	127098	118394
नेटवर्थ	14213	13797	12871
प्रति शेयर (₹)			
अर्जन	0.71	1.22	43.25
लाभांश	0.25	0.25	9.00
शेयर पूँजी के अनुपात में नेटवर्थ (गुना)	14.2	13.8	25.7
नियोजित पूँजी के अनुपात में कर पश्चात् लाभ (%)	7.9	14.1	21.8
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात् लाभ (%)	4.97	8.81	16.8
प्रति कर्मचारी बिक्री (₹ मिलियन)	394.1	389.7	245.50





अध्यक्ष का वक्तव्य

49^{वीं}
वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

प्रिय शेयर धारकों,

कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। हमारे लिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हम कंपनी के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण यात्रा में एमएमटीसी ने अपने को भारत की सबसे बड़ी विदेशी व्यापार कंपनी के रूप में विकसित किया है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान आपकी कंपनी सफलतापूर्वक अपनी गतिविधियों में विकास करने में सफल रही है। कंपनी ने अनेक नये उत्पाद समूहों का समावेश किया है जिससे कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पटल पर एक विस्तृत मुकाम हासिल हुआ है। मुझे आपके साथ कंपनी की इन उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है।

एमएमटीसी: अतीत के झरोखे से

आपकी कंपनी की स्थापना वर्ष 1963 में मुख्य रूप से खनिजों व धातुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 3 करोड़ की पूँजी से की गई। वर्ष 1964-65 में अपने कार्य के प्रथम एक वर्ष में कंपनी ने ₹ 67.79 करोड़ के कुल कारोबार का लक्ष्य प्राप्त किया जिसका शुद्ध लाभ ₹ 1.71 करोड़ रहा। विगत वर्षों में हम एक कंपनी के रूप में शेयरधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं और सदैव ही उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य संचालन में सफल रहे हैं और इस प्रकार विश्व के विकास के साथ हम तीव्र गति से वृद्धि करते हुए देश की एक अग्रणी तथा भारत की बेहतर कार्य निष्पादक कंपनी बन गए। कंपनी उदायमान पथ पर चलते हुए ₹ 100 करोड़ की कुल इकियटी मूल्य की विशाल स्टार ट्रेडिंग हाउस बन गई जिसके पास वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1321 करोड़ से अधिक का रिजर्व्स है और इसने 66.325 के विशाल कुल व्यापार के आंकड़े को प्राप्त कर लिया है। कंपनी का विगत 43 वर्षों से निरंतर लाभ अर्जन तथा लाभांश भुगतान का एक अद्भुत रिकार्ड रहा है। आज एमएमटीसी का भारत की वृहत विदेशी व्यापार कंपनी के रूप में एक सशक्त एवं देश व्यापी नेटवर्क है।

आज जब हम अतीत की ओर देखते हैं तो हमारे ध्यान में यह बात तुरन्त आती है कि हम किस प्रकार इन विगत वर्षों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहे?

मुझे विश्वास है कि आपकी कंपनी की इस सफलता के पीछे लीक से हटकर काम करने का रहस्य प्रमुख तथ्य रहा है। हम लोग लीक से हटकर कार्य करने में सफल इसलिए भी रहे हैं क्योंकि हमारी सर्वाधिक बहुमूल्य ताकत हमारे लोग रहे हैं जिन्हें बैलेंस शीट में दर्शाया नहीं जा सकता। हम भिन्न हैं जो मूल्यवान परिसंपत्ति दृढ़ धारणा वाले हमारे लोग हैं जिनके लिए संघर्ष करना, प्राप्त करना तथा विजयी होना सर्वोपरि है। हम भिन्न हैं क्योंकि हम अपने अंतःकरण से ही संघर्ष के लिए प्रेरणा लेते हैं। हमारी स्वर्ण जयंती इस सत्य की पुष्टि करने का उत्तम अवसर है तथा अपने सभी लोगों की प्रशंसा करने का सर्वोत्तम अवसर है।

वर्ष 2011–12 के दौरान कार्य निष्पादन

जिस शक्ति, चरित्र, दूरदर्शिता तथा लक्ष्य के साथ एमएमटीसी ने अपने कार्य निष्पादन के 49 वर्ष पूरे किए हैं वह हमें गर्व की भावना से ओत प्रोत करता है। इन सभी उत्कृष्ट विशेषताओं को वर्ष 2011–12 के दौरान पुनः परखा गया तथा मुझे यह बताने में हर्ष है कि आपकी कंपनी ने इस ज़मानावात को न केवल सहन किया अपितु सफलता के मार्ग पर भी अग्रसर रही। आपकी कंपनी ने वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 65929 करोड़ का व्यापारिक कारोबार किया। इस व्यापारिक कारोबार में ₹ 2045 करोड़ का निर्यात, ₹ 61041 करोड़ का आयात तथा ₹ 2842 करोड़ का घरेलू व्यापार शामिल है। व्यापार की दूसरी गतिविधियों से ₹ 396 करोड़ की आय हुई। कंपनी द्वारा ₹ 277 करोड़ का ट्रेडिंग लाभ अर्जन किया गया जो कि पिछले वित्त वर्ष में ₹ 330 करोड़ था। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ ₹ 71 करोड़ है। एक रुपये प्रति शेयर की फेस वेल्यू पर वर्ष 2011–12 में ₹ 0.71 का अर्जन हुआ।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी वर्ष 1963 में अपनी स्थापना के समय से ही जहां परिचालन करती है वहां के समुदायों के साथ सृजनात्मक भागीदार रही है। वहां के पर्यावरण, समुदाय तथा शेयरधारकों के साथ समाज पर एक सृजनात्मक तथा उत्तरदायित्व का प्रभाव छोड़ा है। आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व की गतिविधियां पब्लिक इंटरप्राइजिस विभाग तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मेलिनियम डेवलपमेंट लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार सीएसआर गतिविधियां परिचालित करती हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान एमएमटीसी द्वारा क्रमशः ₹ 3 करोड़ तथा ₹ 4.5 मिलियन करोड़ सीएसआर तथा एसडी गतिविधियों पर खर्च किए गए।

सर्वांगीण विकास तथा स्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कौशल संवर्धन, हैल्थकेयर, पर्यावरण सुरक्षा आदि चिह्नित क्षेत्रों में अपने लाभ का एक भाग खर्च करना आपकी कंपनी के लिए एक पूर्ण कार्य है क्योंकि हम न केवल सीएसआर गतिविधियों के आर्थिक परिणामों की जिम्मेवारी ही समझते हैं बल्कि इसके सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों को भी ध्यान में रखते हैं।

कारपोरेट गवर्नेंस

कारपोरेट गवर्नेंस न केवल सरकार तथा व्यापार के लिए ही महत्वपूर्ण है अपितु उन सबके लिए भी है जो निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, सप्लायरों, ग्राहकों और आम आदमी के रूप में संगठन से प्रभावित होते हैं। आपकी कंपनी का उत्तम कारपोरेट गवर्नेंस की प्रक्रिया में निरन्तर विकास, अंगीकरण तथा समर्पण में अदृढ़ विश्वास शामिल है। कारपोरेट गवर्नेंस को भविष्य में और अधिक सशक्त बनाने के लिए हमने एक समयबद्ध कार्ययोजना लागू की है जिसके माध्यम से आंतरिक नियंत्रणों को सशक्त बनाया गया है और संगठनीय प्रबंधन के प्रतिमानों को लागू करने के लिए और अधिक पारदर्शिता का प्रावधान किया गया है।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. सिंगापुर (एमटीपीएल) की स्थापना अक्टूबर 1994 में सिंगापुर के कानून के अंतर्गत 1 मिलियन अमेरिकी डालर से की गई थी। वर्ष 2011–12 के दौरान एमटीपीएल ने कुल 708.65 मिलियन अमेरिकी डालर का कारोबार किया। वर्ष 2011–12 के दौरान एमटीपीएल ने टैक्स के पश्चात 1.87 अमेरिकी मिलियन डालर का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2012 को एमटीपीएल का कुल नेट वर्थ 13.17 मिलियन अमेरिकी डालर था जो आपकी कंपनी द्वारा स्थापना के समय अंशदान की गई कुल पूँजी के प्रति 13.7 अमेरिकी डालर के लाभांश के साथ–साथ एमटीपीएल ने अपनी स्थापना से अब तक 15 गुणा वृद्धि की है।

एमटीसी द्वारा प्रोनन्त परियोजना – नीलाचल इस्पात निगम लि.(एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लौह व इस्पात प्लांट, 0.8 मिलियन टन का कोक ओवेन तथा कैप्टिव पावर प्लांट सहित अन्य सह–उत्पाद यूनिट लगाया है। इस परियोजना को 110 मिलियन टन आरक्षित लौह भंडार प्रदान किया गया है। इस परियोजना का दूसरा चरण (इस्पात निर्माण सुविधा) जिस पर ₹ 1855 करोड़ लागत का अनुमान है पूर्ण होने की स्थिति में है और इसमें शीघ्र ही वाणिज्यिक ट्रायल उत्पादन आरंभ होने की संभावना है। वर्ष 2011–12 के दौरान एनआईएनएल से कुल बिक्री ₹ 20,559 करोड़ की हुई और इससे ₹ 29.45 करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।

विजन

मुक्त बाजार से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए एमएमटीसी ने नए व्यवसाय पीपीपी माडल को अपनाया है जिसके अंतर्गत अनेक संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है। जिसमें ‘इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज’ नाम से एक कॉमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना, ‘यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज आर्फ़ इंडिया लि.’ नाम से करेंसी फ्यूचर एक्सचेंज एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक पार्टनर के साथ मिलकर ‘एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.’ नाम से एक गोल्ड सिल्वर मेडेलियन विनिर्माण यूनिट जिसमें गोल्ड रिफाइनिंग यूनिट शामिल है की स्थापना तथा उक्त यूनिट से उत्पादित फिनिश उत्पादों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त ज्वेलरी की ‘एमएमटीसी गीतांजली प्रा.लि.’ नाम से आपकी कंपनी द्वारा प्रोनन्त विभिन्न शहरों में स्थापित रिटेल स्टोर्स से मेडालियन तथा ज्वेलरी और अपने स्वयं उत्पादित ‘सांची’ सिल्वर उत्पादों की बिक्री शामिल है।

आपकी कंपनी ने एसआईसीएल(सिकाल) आयरन ओर टर्मिनल लि. नाम से एन्नोर पोर्ट पर आयरन ओर फेसिलिटी के लिए एन्नोर पोर्ट पर सिकाल तथा एल एंड टी के साथ मिलकर आयरन ओर लोडिंग सुविधा की स्थापना की है। यह वर्ष अक्टूबर 2010 से परिचालन के लिए तैयार है किन्तु कर्नाटक क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यात पर लगे रोक के कारण टर्मिनल अभी तक परिचालन में नहीं आ सका है। इस लौह अयस्क की लोडिंग के स्थान पर कोयले की अनलोडिंग में परिवर्तन करने की अनुमति फिलहाल भारत सरकार के विचाराधीन है।

आपकी कंपनी ने ब्लू वाटर आयरन और प्रा.लि. के साथ मिलकर पारादीप पोर्ट (उड़ीसा) पर एक डीप ड्राउट आयरन और लोडिंग बर्थ की स्थापना में हिस्सेदारी की है किन्तु वन विभाग के कलीअरेंस मिलने में हुए अनावश्यक विलम्ब के कारण इसकी लागत में काफी वृद्धि हो चुकी है, परिणामत संयुक्त उद्यम ने इसे बंद करने के निर्णय हेतु अपने सभी भागीदारों से स्वीकृति मांगी है।

आपकी कंपनी ने खनन में निवेश करने के लिए मैसर्स टाटा स्टील लि. के साथ मिलकर टीएम माइनिंग लि. नाम से एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है जो खादानों के अन्वेषण तथा विकास के क्षेत्र में कार्य करेगी। दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी को एसपीवी के अंतर्गत आईएलएंडएफएस के साथ मिलकर हल्दिया और कांडाला में इसी लाइन पर फ्री ट्रैड एंड वेयरहाउसिंग जोन के लिए भूमि आबंटित की गई है जो स्पेशल इकानामिक जोन की तर्ज पर होगा। इसको पूरा करने के लिए रणनीतिक भागीदार शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आज हम 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि पहले की उपलब्धियों से आगे निकलेंगे। यद्यपि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास की गति धीमी हुई है तथा मंदी की कठिन समस्याएं विद्यमान हैं तथा आने वाला समय और अधिक कठिनाइयों से भरा होगा, किन्तु ऐसी स्थितियां नये अवसर भी उपलब्ध कराती हैं। इससे हम केवल लचीलापन और अनुकूलता लाकर ही प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। यह एक ओर उद्यमशीलता के प्रबंधन कौशल और दूसरी ओर दूर दृष्टि और समर्पण से ही संभव है, जिसे हम अपना रहे हैं। आज के एमएमटीसी और कल के एमएमटीसी में आमूल चूल परिवर्तन आ चुका है। हमें आपकी कंपनी के

सुनहरे अतीत पर गर्व है और भविष्य में और अधिक स्वर्णिम सवेरे का इंतजार है।

मैं आशा करती हूँ कि एमएमटीसी का अपने विश्वास और नाम के अनुरूप उस पर खरा उतरेगा और आपकी कंपनी असंभव को संभव कर दिखाएगी। हम विश्वास करते हैं कि प्रत्येक नई चुनौती विकास के नये अवसरों के द्वारा खोल देती है।

आभार

मैं इस अवसर पर सभी शेयर धारकों का, निदेशक मंडल और प्रबंधन में निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं अपने सभी वेंडरों, ग्राहकों और व्यवसाय सहयोगियों को कंपनी के विकास और बढ़ोत्तरी में सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। अंत में मैं अपने सभी स्टेकहोल्डर्स, सरकार, मुख्यतः वाणिज्य विभाग, रेलवे, पोर्ट तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों आदि को संगठन की गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ।

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 सितम्बर, 2012

निदेशक मंडल



विजय लक्ष्मी जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
05.10.12 तक



डॉ. एस. डेसी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
08.10.12 से



एच.एस.मान
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
22.07.11 तक

सरकार द्वारा नामित निदेशक



पी.के. चौधरी
14.11.11 तक



डॉ. राजन कटोच
22.05.12 तक



मधुसूदन प्रसाद
03.01.12 से



अनिता अग्निहोत्री
25.05.12 से

स्वतंत्र निदेशक



अनिल बैजल
11.06.12 तक



अरुणा माखन
14.06.12 तक



एच.एल. जुत्शी
11.06.12 तक



अनिल राजदान
13.07.11 से



एस. कृष्णन्
14.07.11 से 18.10.11 तक



जी.एस. वेदी
14.07.11 से



अरुण बालाकृष्णन्
16.07.11 से

फंक्शनल निदेशक



सुनीर खुराना
निदेशक(विपणन)
18.09.12 तक



वेद प्रकाश
निदेशक (विपणन)



राजीव जयदेव
निदेशक(कार्मिक)



एम.जी. गुप्ता
निदेशक(वित्त)
09.12.11 से



आनंद त्रिवेदी
निदेशक (विपणन)
03.07.12 से


वरिष्ठ कार्यपालक



डी.एस. गंगवार
मुख्य सतर्कता अधिकारी



आर.के. चतुर्वेदी
मुख्य सतर्कता अधिकारी
23.05.11 तक



आशीष मजूमदार



प्रीति कौर



अशोक शर्मा
30.09.12 तक



विलियम सल्दाना
31.08.12 तक



राजीव चोपड़ा



विजय पाल



पी.के. दास



अश्विनी सोंधी



जे. किशन



उमेश शर्मा



एम.त्यागराजन



मनोहर बलवानी
(कंपनी सचिव)



निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण
एमएमटीसी लिमिटेड

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्ठादन की 49वीं वार्षिक रिपोर्ट जिस में अंकेश्वित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

कार्यनिष्ठादन परिणाम

आपकी कंपनी, भारत की व्यापारिक कंपनियों में इस वर्ष प्रथम स्थान पर है जिसने गत वर्ष के ₹ 688,545 मिलियन के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 659,291 मिलियन का कुल कारोबार दर्ज किया है। इस कुल व्यापार में ₹ 20,454 मिलियन का नियांता, ₹ 610418 मिलियन का आयात तथा ₹ 28,419 मिलियन का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार आय में ₹ 3,958 मिलियन की राशि का योगदान शामिल है। आपकी कंपनी द्वारा अर्जित व्यापारिक लाभ गत वर्ष के ₹ 3,300 मिलियन की तुलना में ₹ 2,766 मिलियन रहा। वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा अर्जित निवल लाभ ₹ 707 मिलियन है।

वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्ठादन की विशेषताएं निम्नानुसार हैं—

(₹ मिलियन में)

	2010-11	2011-12
निवल बिक्री / व्यापार अर्जन	690,560.02	663,248.84
बिक्री की लागत	687,260.02	660,482.84
व्यापारिक लाभ	3,300.00	2,766.00
जोड़ें: लाभांश व अन्य आय	327.05	811.94
घटाएं : स्थापना व प्रशासनिक उपरी व्यय आदि	2,181.03	2,383.44
घटाएं: ऋण / बट्टेखाते में डाले गए दावे	0.92	1.34

घटाएं: संदिग्ध ऋणों / दावों/ निवेशों के लिए प्रावधान	229.39	114.10
ब्याज, मूल्यहरास पूर्वावधि व कर पूर्व लाभ	1,215.71	1,079.06
जोडें : अर्जित ब्याज(निवल)	821.96	693.91
पूर्वावधि मूल्यहरास व कर पूर्व लाभ	2,037.67	1,772.97
घटाएं: मूल्यहरास	123.42	120.03
घटाएं: पूर्वावधि समायोजन	15.22	(109.26)
कर तथा विशेष मदों पूर्व लाभ	1,899.03	1,762.20
घटाएं: तदर्थ प्रावधान (विशेष मद)	0.00	1,002.05
घटाएं: चालू करों के लिए प्रावधान	791.42	432.40
घटाएं: आथगित करों के लिए प्रावधान	(108.82)	(379.47)
कर उपरांत लाभ	1,216.43	707.22
जोडें: पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष	6,119.65	6,915.53
शेष जिसे निदेशक ने निम्नानुसार नियोजित किया है		
(i) प्रस्तावित लाभांश	250.00	250.00
(ii) लाभांश कर	40.55	40.56
(iii) सामान्य रिजर्व	130.00	75.00
योग		
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	6,915.53	7,257.19



आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्य-निष्पादन "प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट" में दर्शाया गया है, जो यहां संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अंग है।

पुरस्कार एवं रैंकिंग

वर्ष 2011-12 के दौरान आपकी कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार एवं रैंकिंग प्रदान की गई:

- वर्ष 2009-10 के लिए एम ओ यू उत्कृष्टता पुरस्कार
- वर्ष 2010-11 में खनिज व अयस्क के क्षेत्र में किए गए सर्वाधिक निर्यात के लिए कैपेक्सिल पुरस्कार (लगातार 20वीं बार)
- आईसीआरए द्वारा स्थापित डीएचएल – सीएनबीसी- टीवी 18 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पुरस्कार 2010-11
- वर्ष 2009-10 के लिए ईईपीसी इंडिया गोल्ड ट्राफी (सर्वोच्च निर्यातक)
- ईईपीसी का निर्यात उत्कृष्टता के लिए इंडिया नेशनल अवार्ड वर्ष 2010-11 के लिए मूल लौह व इस्पात के उत्पाद समूह में वर्ष के लिए स्टार परफार्म अवार्ड
- वर्ष 2010-11 के लिए ईईपीसी इंडिया (उत्तरी क्षेत्र) पुरस्कार (सिल्वर ट्राफी)
- डन एंड ब्राडस्ट्रीट रोल्टा कारपोरेट अवार्ड 2011- द्वारा भारत की व्यापारिक क्षेत्र की "भारत की शीर्षस्थ 500 कंपनियों की 2011 की रैंकिंग प्राप्त"।
- डन एंड ब्राडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड 2012-व्यापारिक क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम टॉप इंडियन पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजिज
- पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया का पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार -2011 एमएमटीसी द्वारा आयोजित स्वर्णोत्सव की इवेंट मैनेजमेंट के लिए द्वितीय पुरस्कार

इकिवटी शेयर पूँजी तथा लाभांश



निदेशक मंडल ने कंपनी की ₹ 1000 मिलियन की इकिवटी पूँजी पर वर्ष 2011-12 के लिए 25% लाभांश घोषित करने की सिफारिश की है।

रिजर्व

दिनांक 1.4.2011 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में ₹ 12,797.35 मिलियन की राशि उपलब्ध थी। आपके निदेशकों ने लाभांश तथा कर भुगतान के बाद वर्ष 2011-12 के लाभ की उपलब्ध ₹ 416.66 मिलियन की राशि में से ₹ 75 मिलियन की राशि को कंपनी के सामान्य रिजर्व में

अन्तरित करने तथा लाभ की ₹ 341.66 मिलियन की शेष राशि को आगे रिटेण्ड लाभ के रूप में रखने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार 31 मार्च, 2012 को आपकी कंपनी के ‘रिजर्व एवं अधिशेष’ में ₹ 13,214.01 मिलियन की राशि उपलब्ध होगी।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

	अर्जन		बहिर्गमन
	₹ मिलियन में		₹ मिलियन में
निर्यात	20,388.94	आयात	608,794.35
अन्य	310.28	ब्याज	469.40
		अन्य	676.01
कुल	20,699.22	कुल	609,939.76



सहायक कम्पनी

आपकी कम्पनी की, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्तूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डालर की शेयर पूँजी के साथ निगमित किया गया था। वर्ष 2011–12 के दौरान एमटीपीएल ने 708.65 मिलियन अमेरिकी डालर का कारोबार किया है। वर्ष 2011–12 के दौरान एमटीपीएल ने 1.87 मिलियन अमेरिकी डालर का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। 31 मार्च, 2012 को एमटीपीएल का नेटवर्थ 15.21 मिलियन अमेरिकी डालर था। आपकी कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश की गई 1 मिलियन अमेरिकी डालर की पूँजी की तुलना में एमटीपीएल 13.17 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि लाभांश के रूप में भुगतान कर चुकी है तथा इसने अपनी स्थापना से अब तक अपनी नेटवर्थ में लगभग 15 गुणी वृद्धि कर ली है।

इंटरनेशनल इंटरप्राइज, सिंगापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2000 से प्रदान किए गए ‘ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम’ प्रतिष्ठित दर्जे (जीटीपी) को एमटीपीएल अभी तक कायम किए हुए हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के प्रावधानों के अनुसरण में एमटीपीएल के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत प्रोजेक्ट – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला आयरन एंड स्टील प्लांट, 0.8 मिलियन टन कोक औवेन तथा कैप्टिव पावर प्लांट की सह उत्पाद यूनिट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) स्थापित किया है। प्रोजेक्ट को आयरन ओर की आपूर्ति किए जाने के लिए अनुमानित 110 मिलियन टन रिजर्व



आयरन ओर के खनन के लीज अधिकार प्राप्त हैं। लगभग 18,550 मिलियन रूपये की लागत वाले प्रोजेक्ट के फेज-II (इस्पात निर्माण सुविधा) का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है तथा शीघ्र ही प्रायोगिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। वर्ष 2011–12 के दौरान एनआईएनएल का बिक्री कारोबार ₹ 20,558.06 मिलियन का हुआ जिसमें ₹ 7925.10 मिलियन का 328,771 टन पिंग आयरन का निर्यात, ₹ 6527.20 मिलियन मूल्य की 247,429 टन पिंग आयरन की घरेलू बिक्री तथा ₹ 2,358.30 मिलियन मूल्य की 88,409टन बीएफ कोक की बिक्री शामिल है। वर्ष 2011–12 के दौरान एनआईएनएल ने क्रमशः ₹ 1,377.50 मिलियन का नकद लाभ और ₹ 294.50 मिलियन का निवल लाभ प्राप्त किया।

भावी प्रोजेक्ट्स/संयुक्त उद्यम

मुक्त बाजार व्यवस्था में उभरते नये अवसरों का लाभ उठाने तथा नये व्यापार क्षेत्र से जुड़ने के लिए आपकी कंपनी ने पब्लिक/प्राइवेट साझेदारी के माध्यम से कुछ संयुक्त उद्यमों को प्रोन्नत किया है। इन मूल्य संवर्धक पहल का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- (i) आपकी कंपनी ने ‘इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड’ के नाम व स्टाइल के तहत एक कमोडिटी एक्सचेंज प्रोन्नत किया है जिसने नवंबर 2009 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस एक्सचेंज ने 31.3.2012 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान ₹ 25.56 करोड़ की निवल हानि दर्ज की है।
- (ii) आपकी कंपनी “यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड” के नाम एवं स्टाइल के अधीन करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज की इविंटी में भागीदारी की है जो रुपया-डॉलर, रुपया-येन, रुपया-स्टर्लिंग पौंड तथा रुपया-यूरो के जोड़ों में करंसी फ्यूचर का कार्य करती है। उपरोक्त करेंसी फ्यूचर्ज एक्सचेंज ने सितम्बर 2010 से प्रचालन शुरू कर दिया है जिसने वर्ष 2011–12 में ₹ 4.57 करोड़ की हानि रिपोर्ट की है और संचयी हानि ₹ 37.84 करोड़ हो गई है।



- (iii) आपकी कंपनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक के साथ मिलकर गोल्ड/सिल्वर मेडालियन निर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए संयुक्त उदयम में हिस्सेदारी की है जिसमें "एमएमटीसी—पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" के नाम व स्टाइल से एक गोल्ड रिफाइनरी भी शामिल है जो इसका एक अभिन्न अंग होगी। उपरोक्त मेडालियन यूनिट ने अप्रैल 2011 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। मै0 एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 22.05 करोड़ की निवल हानि रिपोर्ट की है।
- (iv) उपर्युक्त यूनिट में तैयार होने वाले उत्पादों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आभूषणों की प्रभावी मार्किटिंग हेतु आपकी कंपनी एक प्रमुख भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी में भारत में विभिन्न स्थानों पर मेडालियंस, स्वर्णाभूषणों तथा इसके अपने 'सांची' ब्रांड के सिल्वरवेयर्स की बिक्री के लिए रिटेल स्टोर्स की श्रृंखला स्थापित कर रही है। इसके लिए 'एमएमटीसी—गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड' नाम एवं स्टाइल के तहत एक स्पेशल परपज़ व्हीकल (एसपीवी)

निगमित की गई है तथा भारत के विभिन्न शहरों/कस्बों में पहले ही रिटेल आउटलेट्स खोले जा चुके हैं। मै0 एमएमटीसी—गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड ने 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 0.12 करोड़ का निवल लाभ रिपोर्ट किया है।

- (v) आपकी कंपनी ने सिकाल और एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ मिलकर मेसर्स सिकाल आयरन और टर्मिनलस लिमिटेड (एसआईओटीएल) नाम व स्टाइल के अन्तर्गत ऐन्नोर पोर्ट पर लौह अयस्क लोडिंग सुविधा युक्त स्थायी बर्थ स्थापित किया है। बर्थ परिचालन के लिए अक्टूबर 2010 से तैयार हैं परंतु कर्नाटक सरकार द्वारा आयरन ओर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देने के कारण निर्यात के लिए लौह अयस्क की अनुपलब्धता के कारण टर्मिनल को औपचारिक रूप से चालू नहीं किया गया है। एसआईओटीएल ने लौह अयस्क लोडिंग सुविधा को कोयला अन लोडिंग में परिवर्तित करने हेतु ऐन्नोर पोर्ट लिमिटेड के पास प्रस्ताव रखा है जिसने प्रस्ताव को जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार को इसकी स्वीकृति के लिए भेजा है।



(vi) आपकी कंपनी नोबल ग्रुप लिमिटेड और गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ मिलकर मेसर्स ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम एवं स्टाइल से पारादीप पोर्ट(उड़ीसा) में डीप ड्राफट आयरन ओर बर्थ को विकसित कर रही है।

(vii) देश तथा विदेशों में खनिजों, लौह तथा अलौह धातुओं अयस्कों और बहुमूल्य धातुओं, हीरे तथा कोयले आदि के अन्वेषण तथा विकास के लिए आपकी कंपनी ने खनन अन्वेषण में निवेश करने के लिए मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के साथ टी एम माइनिंग लिमिटेड (टीएमएमएल) नाम व स्टाइल के अंतर्गत आपकी कंपनी ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। कंपनी अन्वेषण संभावनाओं और उपयुक्त खदानों के अन्वेषण के लिए पहचान करने हेतु विभिन्न प्रस्तावों के अध्ययन एवं संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अनवरत प्रयासरत है।

(viii) दोतरफा व्यापार को प्रोमोट करने के लिए आपकी कंपनी स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन की तर्ज पर हल्दिया तथा कांडला में आईएल एंड एफएस के साथ मिलकर फ्री ट्रेड तथा वेयरहाउसिंग जॉन स्थापित कर रही है जिसे भूमि आवंटित कर दी गई है। इस कार्य के लिए प्रोजेक्ट में रणनीतिक भागीदार शामिल करने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ix) आपकी कंपनी को झारखण्ड राज्य में एक कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है जिसमें कोयले का लगभग 287 मिलियन टन रिजर्व है। संबंधित अथार्टी द्वारा प्रोसेप्टिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया है तथा पूर्व-व्यावहारिक स्टडी पूरी हो चुकी है। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप विस्तृत अन्वेषण कार्य शीघ्र ही सौंपा जाने वाला है। कोयले के संयुक्त खनन के लिए मै0 सिंगरेनी कोलिआरीज लिंग (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ आपकी कंपनी ने एक एमओयू भी निष्पादित किया है।

औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान बिना किसी मानव दिवस की हानि के आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे। कंपनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनियनों / एसोसिएशनों के महासंघ के साथ नियमित रूप से बैठकें की गई ताकि मानव संसाधन संबंधी मुद्दों को परस्पर सहमति के आधार पर हल किया जा सके।

दिनांक 31.03.2012 को कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 1,673 थी जिसमें बोर्ड स्तर के 4 कार्यपालक, 603 अधिकारी, 1,066 स्टाफ शामिल थे। इस कर्मचारी संख्या में पूर्ववर्ती माइका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में विलय हो



गया था, के 18 अधिकारी एवं 168 स्टाफ वर्कर है। कुल कर्मचारी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 19.44%(325 महिला कार्मिक) है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों(पीडब्ल्यूडी) का प्रतिनिधित्व क्रमशः 21.54%(360 कार्मिक), 8.07%(135 कार्मिक), 2.03%(34 कार्मिक) तथा 1.97%(33 कार्मिक) था। वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती के माध्यम से 19 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। भर्ती तथा पदोन्नति में एससी, एसटी, ओबीसी तथा पीडब्ल्यूडी के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी राष्ट्रपति के अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया गया।

निरंतर बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में कर्मचारियों की दक्षता में बढ़ोत्तरी/उन्नत करने हेतु वर्ष के दौरान 979 कार्मिकों को कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कंपनी की अपनी अनुभवी फैकल्टी तथा बाहरी विख्यात संस्थानों/संगठनों द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में 89 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 47 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति तथा 153 महिला कर्मचारी शामिल थे। जहां तक मानव दिवसों का प्रश्न है वर्ष 2011–12 के दौरान कुल प्रशिक्षण अवधि 2,418 व्यक्ति दिवस रही।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2011–12 में आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनवरत प्रयास किये हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कारपोरेट कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ का आयोजन किया गया।



वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय गोवा का निरीक्षण किया। माननीय समिति ने निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिए।

सतर्कता

मूल्य आधिकारिक प्रथाओं के माध्यम से कंपनी की साख एवं भरोसे को निरंतर बनाए रखने तथा कंपनी का संचालन पेशेवर ढंग से करने हेतु इसकी स्थिति को मजबूत बनाने, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाला संगठन बनाए रखने की दिशा में आपकी कंपनी के सतर्कता ग्रुप ने निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया है। वर्ष के दौरान सतर्कता तथा गैर-सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए गए तथा प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक / निवारक उपाय

सुझाए गए। व्यापार संबंधी डिल्स / मैनुअल्स के अद्यतन, ई-टेडरिंग के वाई सी मानक मूल्य मॉनीटरिंग कक्ष का सृजन, सत्यनिष्ठा समझौते को लागू किया जाना, नीति तथा सतर्कता मैनुअल को तैयार किये जाने संबंधी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित ढंग से सुधारात्मक सुझावों पर विशेष बल दिया गया।

आलोच्य वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सतर्कता समूह ने 30 अक्टूबर, 2011 से 5 नवंबर 2011 तक एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों में “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” का आयोजन किया जिसमें भागीदारी सतर्कता पर बल दिया गया। “सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2011” के दौरान एमएमटीसी में इनहाउस थीम के रूप में “सत्यनिष्ठा समझौता” को अपनाया गया।

आपकी कंपनी ने बुलियन लेन-देन से संबंधित आपकी कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में कुछ विशेष भूल-चूक संबंधी कार्यकलापों के अंतर्गत गत वर्षों से संबंधित देनदारों से वसूली योग्य राशि के तहत 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लेखों में ₹ 1002.05 मिलियन का असाधारण तदर्थ प्रावधान किया है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक के वर्ष के लिए विशेष लेखा परीक्षा करने के आदेश दिए हैं, जिसे एक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। आपकी कंपनी द्वारा सीबीआई में एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में सीबीआई द्वारा दो अलग-अलग मामले संख्या आरसी एमए1 2012ए 0024 तथा आरसी एमए1 2012ए 25 दर्ज किए गये हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी एमएमटीसी के दो भूतपूर्व कार्मिकों के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ मनी लान्डरिंग एक्ट 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन देनदारों के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है जिनसे आपकी कंपनी द्वारा वसूली योग्य राशि को वसूल किया जाना है।





कारपोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी अपनी स्थापना वर्ष 1963 से ही उन समुदायों का एक सृजनात्मक हिस्सा रही है जिसके बीच इने काम किया है और अपने दायित्वों को पूरा करते हुए वातावरण, समुदायों, स्टेक होल्डरों तथा समाज को प्रोत्साहित किया है। कंपनी ने वर्ष 2006–07 से कारपोरेट सामाजिक दायित्व को एक पालिसी के रूप में अपना लिया था जिसे वर्ष 2009–10 के दौरान लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी सीएसआर दिशा-निर्देशों में सीएसआर पालिसी को शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलेनियम विकास लक्ष्यों में भूखंडरी तथा गरीबी उन्मूलन, सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्ति, लैंगिक समानता उत्थान तथा महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण संतुलन तथा विकास हेतु विश्व प्रतिभागिता विकास सुनिश्चित करना आदि को अपनाया है। वर्ष 2011–12 के दौरान एमएमटीसी द्वारा सीएसआर तथा एस डी कार्यकलापों पर क्रमशः 30.00 मिलियन रुपये तथा 4.5 मिलियन रुपया व्यय किया गया था।

कारपोरेट गवर्नेंस

कारपोरेट गवर्नेंस विशेष महत्व का क्षेत्र है जो सरकार तथा व्यापार के लिए ही नहीं अपितु उन सभी के लिए है जो संस्था के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हैं, चाहे वे निवेशक, निदेशक, कर्मचारी, सप्लायर्स, ग्राहक अथवा सामान्यतः जनता हो। आपकी कंपनी निरंतर विकास तथा कारपोरेट गवर्नेंस की प्रथाओं को अपनाने तथा उनके समर्पण के प्रति अपनी आस्था को पुनः दोहराती है।

स्टॉक एक्सचेजों के साथ हुए सूचीकरण समझौते में दिए गए खंड 49 के

अनुपालन में कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी एक पृथक रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं, जो रिपोर्ट के अंग हैं।

आचार संहिता

स्टॉक एक्सचेजों के साथ हुए सूचीकरण समझौते में निहित खंड 49(आई) / (डी) के अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के संबंध में एक विस्तृत आचार संहिता निर्धारित की गई है तथा इस संहिता को आपकी कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है। एक महाप्रबंधक(निलंबनाधीन) को छोड़कर बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों जो दिनांक 31 मार्च, 2012 को कंपनी के नियमित रोल्स पर थे और जिन पर यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2012 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है। उस चूककर्ता अधिकारी को एमएमटीसी की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है।

सार्वजनिक जमा योजना

दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को कोई भी सार्वजनिक जमा राशि बकाया नहीं थी तथा कंपनी ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा राशि आमंत्रित / स्वीकार नहीं की।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है जो वर्ष 2011–12 के लाभ को प्रभावित करती हो। सांविधिक लेखापरीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट में की गई अन्य टिप्पणियों के विषय में “टिप्पणियां जो लेखों के अभिन्न अंग हैं” में आवश्यक प्रकटन किया गया है। जिनका वर्ष 2011–12 के लाभ पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अनुसरण में, कंपनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं और टिप्पणियों पर प्रबंध तंत्र के उत्तर सहित यदि कोई हो तो उन्हें आगामी एजीएम में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी के माइका ग्रुप का वर्ष 2011-12 के दौरान किसी भी प्रकार का परिचालन कार्य नहीं हुआ। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(प)(ई) के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न है।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठनीय कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियम, 1975 समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था जिसे वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 60 लाख से अधिक वर्षभर में अथवा ₹ 5 लाख प्रतिमाह की राशि पारिश्रमिक के तौर पर प्राप्त हुई हो।

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकों का कथन है:-

- i) कि वार्षिक लेखों को तैयार करते समय मान्य लेखा मानकों का पालन किया गया है और सामग्री निर्गम से संबंधित उचित विवरण प्रस्तुत किये गये हैं;
- ii) कि निदेशकों ने उन लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरंतर अपनाया और ऐसे निर्णय व आकलन किए जो वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकलापों तथा दिनांक 31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की सत्य व सही स्थिति दर्शाने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं;
- iii) कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताएं रोकने तथा उनका पता लगाने के संबंध में लेखों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए निदेशकों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;
- iv) कि निदेशकों ने वार्षिक लेखों को प्रचलित प्रथाओं के आधार पर तैयार किया है।

निदेशक मंडल

दिनांक 1 अप्रैल 2011 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :-

- श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 22 जुलाई 2011 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया।
- श्री एच एस मान ने दिनांक 22 जुलाई 2011 को निदेशक(विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार छोड़ा।
- श्री अनिल राजदान ने 13 जुलाई 2011 से एमएमटीसी के निदेशक मंडल में पार्ट टाइम नॉन आफिशियल (स्वतंत्र निदेशक के रूप में) पदभार ग्रहण किया।
- श्री एस कृष्णन ने एमएमटीसी के निदेशक मंडल में दिनांक 14 जुलाई 2011 से पार्ट टाइम नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का कार्य ग्रहण किया और दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 को पदभार त्याग दिया।
- श्री जी एस वेदी ने 14 जुलाई 2011 को एमएमटीसी निदेशक मंडल में पार्ट टाइम नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री अरुण बालाकृष्णन ने 16 जुलाई 2011 को एमएमटीसी निदेशक मंडल में पार्ट टाइम नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री पी के चौधरी ने 14 नवम्बर 2011 को एमएमटीसी निदेशक मंडल से पार्ट टाइम सरकारी नामित निदेशक का पद छोड़ा।
- श्री एम जी गुप्ता ने 9 दिसम्बर 2011 को एमएमटीसी के निदेशक मंडल में निदेशक(वित्त) का पदभार ग्रहण किया।
- श्री मधुसूदन प्रसाद, अपरसचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने 3 जनवरी 2012 से एमएमटीसी निदेशक मंडल में पार्ट टाइम सरकारी नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- डा० राजन कटोच ने दिनांक 22 मई 2012 से एमएमटीसी निदेशक मंडल से पार्ट टाइम सरकारी नामित निदेशक का पद भार छोड़ा।
- सुश्री अनीता अग्निहोत्री, अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 22 मई 2012 से डॉ राजन कटोच के स्थान पर एमएमटीसी निदेशक मंडल में पार्ट टाइम सरकारी नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- श्री अनिल बैजल ने दिनांक 11 जून 2012 से एमएमटीसी निदेशक मंडल में पार्ट टाइम नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।
- श्री एच एल जुत्थी ने दिनांक 11 जून 2012 से एमएमटीसी निदेशक मंडल से पार्ट टाइम नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार छोड़ा।

- सुश्री अरुणा माखन ने दिनांक 14 जून 2012 को एमएमटीसी निदेशक मंडल से पार्ट टाइम नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक का पदभार छोड़ा।
- श्री आनन्द त्रिवेदी ने दिनांक 3 जुलाई 2012 से एमएमटीसी निदेशक मंडल में निदेशक (विपणन) का कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशक मंडल, श्री एच एस मान, श्री अनिल बैजल, श्री एस. कृष्णन, श्री पी के चौधरी, डॉ० राजन कटोच, श्री एच एल जुत्थी तथा श्रीमती अरुणा माखन द्वारा प्रदान की गयी प्रशंसनीय सेवाओं तथा योगदान के लिए आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों में प्रभावी ढंग से कार्य निष्पादन किया है। निदेशक मंडल सुश्री विजय लक्ष्मी जोशी, श्री अनिल राजदान, श्री मधुसूदन प्रसाद, सुश्री अनीता अग्निहोत्री, श्री अरुण बालाकृष्णन, श्री जी एस वेदी, श्री एम जी गुप्ता और श्री आनन्द त्रिवेदी का निदेशक मंडल में स्वागत करता हैं तथा विश्वास प्रकट करता है कि कंपनी इनके बहुमूल्य तथा विविध अनुभवों से लाभान्वित होगी।

कंपनी के आर्टिकल ॲफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 7 (4) (ए) के प्रावधानों के अनुसार, जो निदेशकों के क्रमवार सेवानिवृत्ति से संबंधित है, श्री वेदप्रकाश, निदेशक (विपणन), श्री राजीव जयदेव, निदेशक (कार्मिक), श्री अनिल राजदान नॉन आफिशियल पार्ट-टाइम निदेशक और श्री जी.एस. वेदी नॉन-आफिशियल पार्ट टाइम निदेशक वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति स्वीकार की है।

आभार

आपके निदेशक सभी स्टेकहोल्डर्स—शेयरहोल्डर्स, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, रिजर्व बैंक ॲफ इंडिया तथा अन्य बैंकों, रेलवे, सीमा-शुल्क विभाग, पोर्ट्स, एनएमटीसी, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं, अन्य बिजनेस भागीदारों के प्रति उनके द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए उत्कृष्ट समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक कंपनी के सभी कार्मिकों के प्रभावी एवं कठिन परिश्रम तथा कंपनी की प्रगति में उनके निरंतर सहयोग की सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से



(विजयलक्ष्मी जोशी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28.08.2012



प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट 2011–12

वैश्विक घटनाक्रम पर एक नजर


विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2012 के अनुसार यूरोप में चल रहे ऋण संकट, जापान तथा थाईलैंड में प्राकृतिक आपदाओं से आपूर्ति श्रृंखला में बाधा तथा अरब देशों में अशांति के दबाव में वैश्विक आउट पुट विकास दर विगत वर्ष के 3.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011 में 2.4 प्रतिशत रह गई। विकास की यह गति गत 20 वर्षों की विकास औसत दर 3.2 प्रतिशत से बहुत कम थी जिस कारण वर्ष 2008 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। वैश्विक मर्चेंडाईज व्यापार वाल्यूम वर्ष 2011 में 50 प्रतिशत तक बढ़ा तथा 6.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ एशिया के सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहा। वर्ष 2011 के दौरान प्रमुख ट्रेड में भारत की सबसे आधिक निर्यात ग्रोथ थी। शिपमेंट में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2011 के दौरान कुल डालर मूल्य में विश्व का मर्चेंडाईज निर्यात 19 प्रतिशत बढ़कर 18.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2010 के दौरान 22 प्रतिशत की वृद्धि थी जिसका प्रमुख कारण मुख्य कमोडिटी मूल्यों में बढ़ोत्तरी था।

भावी अनुमान के संबंध में डब्ल्यूटीओ अर्थशास्त्रियों का पूर्वानुमान है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की 2.0 प्रतिशत तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (सीआईएस सहित) की 5.6 प्रतिशत की निर्यात ग्रोथ के साथ वर्ष 2012 में मर्चेंडाईज व्यापार वाल्यूम ग्रोथ में 3.7 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। आयात के संबंध में डब्ल्यूटीओ का अनुमान है कि विकसित देशों के लिए जहां यह 1.9 प्रतिशत होगा वहीं विकासशील देशों एवं सीआईएस के लिए यह 6.2 प्रतिशत रहेगा। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीओ अर्थशास्त्रियों के अनुसार वर्ष 2013 में वैश्विक व्यापार वाल्यूम 5.6 प्रतिशत तक हो जाने की आशा है। विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात में क्रमशः 4.1 प्रतिशत तथा 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। आयात के संबंध में जहां विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जानी चाहिए वहीं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह 7.8 प्रतिशत होनी चाहिए।

वर्ष 2011–12 के दौरान भारत में हुए घटनाक्रम पर नजर

संसद के समक्ष बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2011–12 निरंतर रिकवरी का वर्ष था। यूरो जोन में गहराते प्रमुख ऋण संकट, मध्य पूर्व में राजनीतिक अशांति से उपजी व्यापक अनिश्चितता, कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि, जापान में आए भूकंप तथा समग्र विषाद से भारत प्रभावित हुआ है। विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष 8.4 प्रतिशत की दर से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के पश्चात वर्ष 2011–12 में 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान किया गया था।

फरवरी 2012 के दौरान संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12 में कहा गया है कि वर्ष 2011–12 में वास्तविक रूप से भारत की जीडीपी में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। ये में 2.5 प्रतिशत, उद्योग में 3.9 प्रतिशत तथा सेवाओं में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। औद्योगिक विकास में मंदी विशेषकर प्राईवेट निवेश में, के कारण




विगत दो वर्षों की तुलना में यह बहुत धीमी है। क्रेडिट की बढ़ती लागत तथा कमजोर घरेलू व्यापारिक रुझानों से इस गिरावट को बल मिला। वर्ष 2012–13 में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ में 7.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2013–14 में 8.6 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है। विश्व की अर्थव्यवस्था में कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी वर्ष 2011–12 में भारतीय निर्यात, निरंतर संतुलित रहे तथा एडवांस अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त की गई 22.7 प्रतिशत की समग्र वृद्धि की तुलना में वास्तविक रूप से 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2010–11 के 15.6 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष आयात की वास्तविक वृद्धि दर 17.5 प्रतिशत हो जाने की आशा है।

एमएमटीसी 2011–12 का सिंहावलोकन

वित्तीय समीक्षा

आपकी कंपनी ने गत वर्ष के ₹ 688,545 मिलियन का कुल व्यापार किया जिसमें ₹ 20,454 मिलियन के निर्यात, ₹ 610,418 मिलियन के आयात तथा ₹ 28,419 मिलियन का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार संबंधित अंशदान ₹ 3,958 मिलियन का है। आपकी कंपनी ने ₹ 2766.10 मिलियन का व्यापारिक लाभ अर्जित किया है। कंपनी द्वारा अर्जित कर पूर्व तथा कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 760.15 मिलियन तथा 707.22 ₹ मिलियन है। वित्त वर्ष 2011–12 के लिए प्रत्येक ₹ 1/- अंकित मूल्य का ₹ 0.71 है। निगम के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में प्रतिशेषर अर्जन सुधार से ₹ 694 मिलियन का सकल व्याज अर्जन हुआ। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी की कारपोरेट टैक्स देयता ₹ 533.50 मिलियन थी। एमएमटीसी निरंतर जीरो दीर्घावधि ऋण वाती कंपनी बनी हुई है।

आपकी कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय चौने द्वारा बुलियन लेन देन में की गई कुछ भूल चूकों के कारण गत वर्षों से संबंधित खातों में ऋण धारकों से वसूली योग्य राशि के प्रति दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के खातों में आपकी कंपनी ने ₹ 1,002.05 मिलियन रूपये का विशेष तदर्थ प्रावधान किया है। वर्ष 2007–08 से 2010–11 के लिए आपकी कंपनी ने विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दिया है जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म द्वारा किया जा रहा है। इस मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग संदर्भित किया गया है। आपकी कंपनी द्वारा सीबीआई में एक एफ आई आर फाईल की गई है। इस मामले में दो अलग मामले, जिनका नम्बर आरसीएम ए 1 2012 ए 0024 तथा आर सी एम ए 1 2012 ए 25 है, सीबीआई में दर्ज किए



गये हैं। इसके अतिरिक्त एमएमटीसी के दो पूर्व अधिकारियों तथा ऋणधारकों, जिनसे आपकी कंपनी द्वारा राशि की वसूली की जाती है, के विरुद्ध प्रिवेश्न आफ मनी लांडरिंग अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभियोग भी रजिस्टर किए गए हैं।


निधियों के स्रोत तथा इनका उपयोग

दिनांक 31 मार्च 2012 को निगम की निधियों के स्रोत में, ₹ 1000 मिलियन की इकिवटी शेयर पूँजी तथा नॉन करंट एवं करंट देयताएं क्रमशः ₹ 1,418.53 मि. तथा ₹ 111,744.26 मिलियन सहित, ₹ 14,272.12 मिलियन की शेयरधारक निधि शामिल है। इन निधियों का उपयोग अन्य के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च 2012 को ₹ 7485.97 मिलियन की नॉन करंट परिसंपत्तियों तथा ₹ 119,948.94 मि. की करंट परिसंपत्तियों में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया

एमएमटीसी में दैनिक मामलों का प्रबंधन विभिन्न प्रबंध स्तरों पर सुपरिभाषित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा गठित संबंधित निदेशक समितियों, जिनका विवरण संलग्न कारपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में दिया गया है, द्वारा प्रमुख मामलों पर सतर्कतापूर्ण निर्णय देने के लिए विचार विमर्श किया जाता है।

एमएमटीसी की एक सुव्यवस्थित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है जो पूरे वर्ष लेखा परीक्षा के लिए बाहरी लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के साथ मिलकर काम करता है। बुलियन लेन देन की समर्वता लेखा परीक्षा, जहां आवश्यक समझा गया पूर्व वर्षों के बुलियन लेन देन हेतु विशेष लेखा परीक्षा आरंभ करते हुए, आंतरिक लेखा परीक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक पहल की गई। निगम में स्थायी परिसंपत्तियों की व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किया जाना भी आरंभ किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षा को और सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त मानव शक्ति की तैनाती करने के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रणों को सशक्त बनाने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा संहिता (मैन्युल) 2012 को अद्यतन करना भी आरंभ किया गया है।



वित्तीय रिपोर्ट पर निगम के सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की कनसंस एवं टिप्पणियों का पता लगाने के लिए निवेशकों की लेखा परीक्षा समिति इनके साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती रहती हैं। लेखा परीक्षा समिति के निदेशों का प्रबंध तंत्र द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्टूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डालर की शेयर पूँजी के साथ नियमित किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान एमटीपीएल ने 708.65 मिलियन अमेरिकी डालर का व्यापारिक कारोबार किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान एमटीपीएल ने कर पश्चात 1.87 मिलियन अमेरिकी डालर का लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च, 2012 को एमटीपीएल का नेथवर्थ 15.21 मिलियन अमेरिकी डालर था। आपकी कंपनी द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश की गई 1 मिलियन अमेरिकी डालर की पूँजी की तुलना में एमटीपीएल 13.17 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि लाभांश के रूप में भुगतान कर चुकी है तथा इसने अपनी स्थापना से अब तक अपनी नेथवर्थ में लगभग 15 गुण वृद्धि कर ली है।

वर्ष 2011-12 के लिए बिजनेस समूहवार समीक्षा

खनिज

लौह अयस्क के खनन तथा बेलारी हास्पेट सैक्टर से नियर्त पर प्रतिबंध, पूर्वी क्षेत्र से नियर्त के विनियमन, नियर्त के लिए रेल भाड़े में वृद्धि जो अयस्क के घरेलू संचलन से वर्तमान में लगभग तीन गुना अधिक है, अयस्क की घरेलू मांग में वृद्धि तथा उच्चतर कर्स्टम ड्यूटी आदि जैसे घटनाक्रम ने आस्ट्रेलिया एवं ब्राजील जैसे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय लौह अयस्क के नियर्त को प्रभावित किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान दिनांक 31 मार्च 2011 को

जेएसएमएस तथा पास्को के साथ दीर्घावधि करार समाप्त हो जाने पर जापान तथा दक्षिण कोरिया के बाजारों में कोई निर्यात नहीं किया जा सका। घरेलू स्टील उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण नियर्त के लिए क्रोम तथा मैग्नीज अयस्क की उपलब्धता में कमी आई है। क्रोम अयस्क / कंसंट्रेट पर दिनांक 17.03.2012 से नियर्त शुल्क में ₹ 3000 प्रति मीट्रिक टन से 30 प्रतिशत एड वैलोरम आधार पर की गई हाल ही में वृद्धि ने नियर्त के लिए इन अयस्कों की उपलब्धता को और भी कम कर दिया है जिसका पूरा प्रभाव वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सामने आएगा।

उपरोक्त बाधाओं के बावजूद आपकी कंपनी के अयस्क समूह ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 10,792 मिलियन के कुल व्यापार का अंशदान किया है जिसमें ₹ 9,552 मिलियन के नियर्त, ₹ 27 मिलियन का आयात तथा ₹ 1213 मिलियन का घरेलू व्यापार शामिल है। इस समूह द्वारा किए गए नियर्त में ₹ 3,049 मिलियन मूल्य के लौह अयस्क, ₹ 6160 मिलियन के क्रोम अयस्क / कंसंट्रेट तथा ₹ 343 मिलियन के मैग्नीज अयस्क शामिल हैं। समूह ने ₹ 11.4 मिलियन के फैरो एलॉए तथा ₹ 15.6 मिलियन के मैग्नीज अयस्क का आयात किया है। इस समूह के घरेलू व्यापार में ₹ 1094 मिलियन का लौह अयस्क तथा ₹ 119 मिलियन के अन्य खनिज उदाहरणार्थ डोलोमाईट, लाइमस्टोन, केरो सिलिकान, सिलिको मैग्नीज हाई कार्बन फेरो मैग्नीज शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों के लिए जापान तथा दक्षिण कोरिया के साथ एमएमटीसी दीर्घावधि क्रय वचनबद्धताओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। तथापि भारत में इस्पात उत्पादन/ खपत में वृद्धि से घरेलू उद्योग द्वारा लौह अयस्क की मांग में और वृद्धि होगी जिससे भविष्य में नियर्त के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत में बढ़ रहे इस्पात उत्पादन से क्रोम अयस्क तथा मैग्नीज अयस्क की घरेलू मांग में भी वृद्धि हो रही है। उच्चतर नियर्त ड्यूटी तथा नियर्त के लिए कार्गो की सीमित उपलब्धता के कारण क्रोम अयस्क के नियर्त में भी शनैः शनैः कमी आएगी।





बहुमूल्य धातुरं रत्न व आभूषण

भारतीय बुलियन व्यापार में आपकी कंपनी की स्थिति बाजार में अग्रणी है जो देश भर में फैले अपने विभिन्न केन्द्रों से कार्यकलाप में संलग्न है। इसके साथ-साथ अपने स्थायी संबंध बनाए रखते हुए यह टिकाऊ उत्पाद

सेवाएं देती है। बुलियन के मूल्यों के साथ-साथ भारतीय रूपये अमरीकी डालर विनिमय दरों में तीव्र उतार चढ़ावों के बावजूद वर्ष 2011-12 के दौरान निगम के बहुमूल्य धातु प्रभाग का कुल व्यापार ₹ 511,428 मिलियन का हुआ। समूह ने यह कारोबार अपने कार्यकलापों में विविधीकरण लाकर प्राप्त किया जिसमें ₹ 437,708 मिलियन सोने, ₹ 65,780 मिलियन चांदी तथा ₹ 1120 मिलियन के कच्चे हीरों का आयात शामिल है। इसके अलावा ₹ 4984 मिलियन की गोल्ड बार्स/मेडालियंस, ₹ 933 मिलियन के सांची सिल्वरवेयर तथा आभूषण प्रदर्शनी/शोरूम की ₹ 904 मिलियन की बिक्री शामिल है।

आपकी कंपनी का बहुमूल्य धातु समूह ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है तथा वर्ष 2011-12 के दौरान भारत के स्वर्ण व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 24.36 प्रतिशत है। बहुमूल्य धातु समूह मूल्यसंवर्धित उत्पादों जैसे आभूषण, मेडालियंस तथा सिल्वरवेयर की बिक्री में सुधार करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। कंपनी ने मैसर्स गीतांजलि (भारत की अग्रणी रिटेल ज्वेलरी कंपनी) के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है तथा एमएमटीसी गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी निगमित कराई गई है तथा भारत वर्ष के विभिन्न शहरों में ज्वेलरी रिटेल आउटलेट्स खोले गए हैं। रिटेल मार्केटिंग नेटवर्क में वृद्धि करने के लिए कुछ और आउटलेट्स खोलने का प्रस्ताव है। सोनेध्वांदी की रिफाइनिंग तथा मेडालियंस निर्माण के लिए मैसर्स एमएमटीसी पैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम भी निगमित कराया गया है। मेडालियंस निर्माण यूनिट ने अप्रैल 2011 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है। इस गठबंधन के माध्यम से आपकी कंपनी को संयुक्त उद्यम कंपनी के कुछ प्रतिशत उत्पादों की बिक्री के अवसर प्राप्त होंगे।



आपकी कंपनी ने दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और जयपुर में असेयिंग व हालमार्किंग केन्द्र भी संचालित किए हैं। यद्यपि वर्ष 2012-13 के दौरान सोने व चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव, विनिमय दर, सरकारी नीति तथा यूरो क्षेत्र में जारी आर्थिक संकट के कारण बुलियन की मांग में कमी की संभावना है फिर भी ज्वैलरी की फुटकर मांग में उछाल के कारण आपकी कंपनी के और आगे प्रगति के अवसर विद्यमान हैं।

धातुएं तथा औद्योगिक कच्चा माल

वर्ष 2011-12 के दौरान एमएमटीसी के कुल व्यापार में धातु समूह का ₹ 23552 मिलियन का योगदान रहा। इस समूह के योगदान में एनआईएनएल, एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत लौह व इस्पात संयंत्र द्वारा



उत्पादित ₹ 9404 मिलियन के पिंग आयरन का निर्यात, ₹ 478 मिलियन के इस्पात, ₹ 4814 मिलियन की अलौह धातुओं एवं ₹ 583 मिलियन के औद्योगिक कच्चे माल के आयात तथा ₹ 6726 मिलियन के एनआईएनएल द्वारा उत्पादित पिंग आयरन व स्लैग सहित ₹ 8,273 मिलियन की घरेलू बिक्री शामिल हैं।

जहां तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम तथा सीसे के घरेलू बाजार में देसी उत्पादकों का प्रभुत्व है वहीं एनएफएम का अंतर्राष्ट्रीय बाजार यूरो जोन ऋण संकट तथा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी से प्रभावित हो रहा है। यह सब होने पर भी यह समूह वर्ष 2012-13 के दौरा अपने निष्पादन में और सुधार को लक्षित करते हुए कार्यकलापों में विविधीकरण के लिए अपने कोर उत्पादों/बाजारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नये बाजारों/उत्पादों में व्यापार के लिए, ग्राहक संबंध प्रबंधन में सुधार के साथ-साथ अलौह धातु के उत्पादकों के साथ रणनीतिक गठजोड़, संस्थागत ग्राहक एवं गहन बाजार पहुंच के प्रयासों में सुधार करेगा।

कृषि उत्पाद

वर्ष 2011-12 के दौरान निगम के कृषि उत्पाद समूह ने ₹ 20,302 मिलियन का कुल व्यापार किया जिसमें ₹ 9,987 मिलियन के खाद्य तेलों, ₹ 1,522 मिलियन की दालों, ₹ 331 मिलियन के सूरजमुखी के तेल तथा ₹ 2 मिलियन के मक्के के आयात के साथ-साथ ₹ 384 मिलियन मूल्य के तैलीय बीजों, ₹ 3480 मिलियन मूल्य के चावल, ₹ 496 मिलियन मूल्य के आर एम बीजों, ₹ 447 मिलियन मूल्य की कपास तथा ₹ 191 मिलियन की



चीनी/गेहूं की घरेलू ट्रेडिंग भी शामिल है। कमोडिटी एक्सचेंजों पर भी कृषि उत्पादों का लेन देन करते हुए इस समूह ने ₹ 4 मिलियन का कुल व्यापार किया।

कृषि व्यापार मुख्यतः सरकारी नीतियों तथा मानसून के उतार-चढ़ाव पर आश्रित है। जब देश में कृषि उत्पादों की अधिकता होती है तो निर्यात के अवसर प्राप्त होते हैं परन्तु इनकी कमी होने पर कृषि उत्पादों का आयात करना पड़ता है। यह समूह देश में खाद्य तेलों, खाद्यान्नों तथा दालों की कमी को पूरा करने के लिए आयात तथा गेहूं जैसे कृषि उत्पादों की अधिक उपलब्धता के निर्यात हेतु योजनाओं एवं रणनीतियों का अनुपालन करता रहेगा। इस सेगमेंट में आपकी कंपनी की भविष्य में व्यापारिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्पाद समूह बढ़ाने के साथ-साथ यह समूह आयात/निर्यात हेतु उपलब्ध मात्रा/उत्पाद रेंज में विस्तृत अंतर से होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

उर्वरक तथा रसायन

कंपनी के उर्वरक एवं रसायन समूह ने ₹ 57,446 मिलियन का कारोबार किया है। वर्ष 2011-12 में इस समूह के निष्पादन में तृतीय देशों के साथ व्यापार के अंतर्गत ₹ 1,489 मिलियन के यूरिया का आयात, ₹ 5,279 मिलियन के क्यूरेट आफ पोटाश, ₹ 1,445 मिलियन के अमोनियम फास्फेट, ₹ 219 मिलियन की गंधक तथा ₹ 31 मिलियन मूल्य का टैक्नीकल ग्रेड यूरिया के अतिरिक्त एमआईएनएल-एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत लौह व इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित ₹ 87 मिलियन मूल्य का अमोनियम सल्फेट भी शामिल है।



परिवेशाधीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में यूरिया की बड़ी मात्रा में आयात किए जाने पर आपकी कंपनी की प्रशंसा की गई। बल्कि हैंडलिंग क्षेत्र में बहुत ज्ञान, अनुभव, लाजिस्टिक प्रबंधन में विशेषज्ञता तथा उर्वरक के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने वाले भारी रुझानों का अनुमान लगाने की कुशलता के साथ—साथ विश्व के आपूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों के साथ उत्कृष्ट संबंध तथा संपर्क(नेटवर्किंग) बनाने एवं सभी स्टाक होल्डर्स को सेवाएं प्रदान करने की एमएमटीसी की सुविज्ञता का विवेकपूर्ण प्रयोग तथा समूहीकरण द्वारा यह समूह प्रशंसा का पात्र बन सका।

खाद्यानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए घरेलू उर्वरकों के उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार की निरंतर प्रयासों के बावजूद भारत फिनिशेड तथा कच्चे उर्वरक की बड़ी मात्रा में आयात कर रहा है। उत्तम फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक अनुपात में एन पी के उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हाल ही में विश्व भर के देशों में संशिलष्ट उर्वरकों के बढ़ते उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका अनुसरण भारत सरकार द्वारा भी किया जा रहा है जो अप्रैल 2010 में घोषित की गई पोषक तत्वों पर आधारित अनुदान नीति से दृष्टिगोचर होता है। इस अनुदान नीति के अंतर्गत सरकार अधिक से अधिक संशिलष्ट उर्वरकों का आयात कर रही है जो निगम के लिए सुअवसर प्रदान करता है तथापि उर्वरकों के आयात की मात्रा तथा इनके मूल्य मानसून, सरकारी नीति, घरेलू उत्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय मांग आपूर्ति समीकरण आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर है।

घरेलू फास्फेटिक उद्योग के लिए भारत मुख्यतः गंधक, रॉक फास्फेट तथा फास एसिड जैसे आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, देश में एमओपी की पूरी आवश्यकता के लिए संपूर्ण आयात किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा बढ़ती हुई खाद्य स्फीति को रोकने के लिए कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने पर सरकार के अधिक केन्द्रित होने को विशेषकर ध्यान में रखते हुए उर्वरक एवं उर्वरकों के कच्चे माल के आयात में भविष्य में वृद्धि के लिए उक्त परिदृश्य में बहुत संभावनाएं उपलब्ध करवाता है। इन उभरते अवसरों से लाभ उठाते हुए यह समूह अपने बिजनेस वाल्यूम को और अधिक बढ़ा सकेगा।

कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

आपकी कंपनी द्वारा इस वर्ष अर्जित कुल व्यापार में कोल एंड हाइड्रोकार्बन समूह ने ₹ 35,671 मिलियन का योगदान किया। समूह द्वारा किये गए इस योगदान में ₹ 23,579 मिलियन का स्टीम कोल, ₹ 8616 मिलियन मूल्य का कोकिंग कोल तथा ₹ 2364 मिलियन मूल्य के लैम को, ₹ 211 मिलियन मूल्य का स्टीम कोल तथा ₹ 894 मिलियन मूल्य का क्रूड टार एवं ₹ 7 मिलियन का सोलर आयात का घरेलू व्यापार शामिल है।

घरेलू उत्पादन से उर्जा क्षेत्र, इस्पात, उर्वरक तथा अन्य भारी उद्योगों के लिए नॉन कोकिंग कोल की बढ़ती मांग तथा आपूर्ति के भारी अंतर को पूरा करने के लिए देश को बड़े स्तर पर आयात का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा निर्माणाधीन कोल फायर्ड जेनेरेशन संयंत्रों के कारण भविष्य में स्टीम कोल की मांग में अत्याधिक वृद्धि हो सकती है। जिसके कारण



आपकी कंपनी के इस समूह के लिए व्यवसाय के नये अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कंपनी का कोल एंड हाइड्रोकार्बन समूह भविष्य में उर्जा, इस्पात, उर्वरक, रसायन, सीमेंट तथा स्पॉज आयरन यूनिटों की कोल व कोक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाते हुए आयात करेगा।

माइका

जैसा कि गत वर्षों की रिपोर्टों में पहले सूचित किया जा चुका है, विश्व स्तर पर परिवर्तित बाजार आवश्यकता तथा माइका प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में हुए तकनीकी विकास के कारण माइका प्रभाग के कार्यकलाप वर्ष 2002–03 से बंद है। माइका प्रभाग को बंद करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत समुचित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत की गई पुनर्विचार याचिका पर सरकार का निर्णय अभी लंबित है।

अन्य

निगम के कुल व्यापार में अन्य उत्पादों का योगदान ₹ 101 मिलियन का है जिसमें ₹ 9.3 मिलियन की कच्ची ऊन का निर्यात तथा ₹ 0.5 मिलियन मूल्य का घरेलू व्यापार के साथ—साथ कर्नाटक में मार्च 2007 में स्थापित किये गए 15 मैगावाट के विंड पावर फार्म में उत्पादित ₹ 91 मिलियन की उर्जा की बिक्री भी शामिल है।

वर्ष 2012–13 के दौरान निगम के लिए अतिरिक्त व्यापारिक राजस्व हेतु नए बाजारों/उत्पादों में उभरते अवसरों का निगम लाभ उठाता रहेगा।

संचेतक वक्तव्य

प्रबंधतंत्र की चर्चा में वक्तव्य तथा निगम के अनुमान, आशाएं, लागू नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत 'फारवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट' हो सकती है। वास्तविक परिणाम भौतिक रूप से अभिव्यक्त अथवा उपलक्षित किए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। निगम के कार्यकलापों में अंतर लाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक परिस्थितियां तथा निगम के व्यापर क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी बाजारों में मूल्य, सरकारी विनियमों, कर कानूनों, अन्य सांविधिक तथा अन्य प्रासंगिक कारकों में परिवर्तन आदि शामिल हैं।



एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेन्स

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेन्स

एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यता, निष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यवसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यापार आचरण और स्व-अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेन्स नियमों के सिद्धान्त को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं ताकि स्टेक होल्डरों जिसमें निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा सामान्य समुदाय सबका निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

निदेशकमंडल

संरचना

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को वर्तमान निदेशक

वर्ष 2011 –12 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर-कार्यकारी	पद	31.03.2012 को अन्य निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	बोर्ड / समितियों की संख्या जिसके सदस्य / अध्यक्ष है।*
1.	श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी (22.07.2011 से)	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष – 2	सदस्य – 1
2.	श्री एच.एस.मान (22.07.2011 तक)	कार्यकारी	निदेशक (विपणन) (6.10.2010 से 22.7.2011 तक सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला)	अध्यक्ष – 3 निदेशक – 1	सदस्य – 1
3	श्री सुनीर खुराना	कार्यकारी	निदेशक(विपणन)	अध्यक्ष – 1 निदेशक – 3	-

4.	श्री वेदप्रकाश	कार्यकारी	निदेशक(विपणन)	निदेशक-4	-
5.	श्री राजीव जयदेव	कार्यकारी	निदेशक(कार्मिक)	निदेशक-1	-
6.	श्री एम.जी. गुप्ता (09.12.2011 से)	कार्यकारी	निदेशक(वित्त)	निदेशक-3	सदस्य-1
7.	श्री पी. के. चौधरी (14.11.2011 तक)	गैर-कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक-1	-
8.	डॉ. राजन कटोच (22.05.2012 तक)	गैर-कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक-2	अध्यक्ष -1 सदस्य-2
9.	श्री मधुसूदन प्रसाद (30.01.2012 से)	गैर-कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	-	सदस्य-1
10.	श्री अनिल बैजल	गैर-कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक-7	अध्यक्ष -2 सदस्य-2
11.	सुश्री अरुणा माखन	गैर-कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक-1	सदस्य-4
12.	श्री एच.एल. जुत्थी	गैर-कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक-5	अध्यक्ष -1 सदस्य-7
13.	श्री अनिल राजदान (13.7.2011 से)	गैर-कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक-6	सदस्य-2
14.	श्रीअरुण बालाकृष्णन (16.7.2011 से)	गैर-कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक-6	अध्यक्ष -1 सदस्य-4
15.	श्री जी.एस.वेदी (14.7.2011 से)	गैर-कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक-1	सदस्य-4
16.	श्री एस. कृष्णनन (14.7.2011 से 18.10.2011 तक)	गैर-कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक-1	-

*केवल लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरहोल्डर शिकायत समिति पर विचार किया गया।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :—

- श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, अपर सचिव, वाणिज्य व उद्योग विभाग ने श्री एच.एस.मान के स्थान पर 22 जुलाई 2011 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।
- श्री एच.एस. मान, निदेशक(विपणन) व अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने दिनांक 22 जुलाई, 2011 से पद का त्याग किया।
- श्री पी.के. चौधरी, एमएमटीसी निदेशक मंडल में सरकार द्वारा निदेशक पद पर नामित, ने 14 नवंबर, 2011 पदभार त्याग किया।
- डा० राजन कटोच, ए एस एण्ड एफ ए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में अशंकालिक निदेशक का पदभार दिनांक 22 मई 2012 से त्याग किया।
- श्रीमती अनिता अग्निहोत्री एएसएंड एफ ए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में डॉ. राजन कटोच के स्थान पर 22 मई, 2012 से पदभार ग्रहण किया।
- दिनांक 3 जनवरी 2012 से श्री मधुसूदन प्रसाद ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- दिनांक 13 जुलाई, 2011 से श्री अनिल राजदान ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में अशंकालिक नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- दिनांक 14 जुलाई, 2011 से 18 अक्टूबर 2011 तक श्री एस कृष्णनन् ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में अशंकालिक नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- दिनांक 14 जुलाई, 2011 से श्री जी. एस.वेदी ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में अशंकालिक नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

- दिनांक 16 जुलाई, 2011 से श्री अरुण बालाकृष्णन् ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में अशंकालिक नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री एम.जी. गुप्ता ने 9 दिसम्बर, 2011 से एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री आनंद त्रिवेदी ने 3 जुलाई, 2012 से एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में निदेशक (विपणन) का कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ इन पूर्णकालिक

निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि/सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। निदेशक मंडल के कार्यशील सदस्य लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परफार्मेंस रिलेटिड पे पाने के पात्र हैं। नॉन आफिशियल अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने के लिए ₹ 15,000/- की दर से स्टिंग फीस का भुगतान किया जाता है। किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ किसी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन-देन नहीं है।

वर्ष 2011-12 के दौरान प्रत्येक निदेशक को भुगतान किये गये/देय पारिश्रमिक का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ (₹ / लाख)	वर्ष 2011-12 के दौरान कार्य- निष्ठादान से जुड़ा प्रोत्साहन (प्रावधान) (₹ / लाख)	बोनस, स्टॉक विकल्प, पैशन, सेवरेंस फीस	31.3.2012 को एमएमटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी (22.07.2011 से)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एच.एस.मान, पूर्व निदेशक(विपणन) तथा सीएमडी (22.07.2011 तक)	8.02	2.30	शून्य	शून्य
श्री सुनीर खुराना	30.19	7.27	शून्य	शून्य
श्री वेद प्रकाश	22.87	6.70	शून्य	शून्य
श्री राजीव जयदेव	22.53	6.54	शून्य	शून्य
श्री एम.जी. गुप्ता (09.12.2011 से)	21.45	5.51	शून्य	शून्य
गैर-कार्यकारी पदेन निदेशक				
डा. राजन कटोच	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी के चौधरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री मधूसूदन प्रसाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नॉन-आफिशिएल निदेशक(स्वतंत्र)				
श्री अनिल बैजल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अरुणा माखन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एच.एल. जुत्थी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री अनिल राजदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जी.एस. वेदी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री अरुण बालकृष्णन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस. कृष्णन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः निगम के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य-सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी

मुख्य मुददों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य-सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनाप्रकरण तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की आठ बैठकें हुईं, जो 11.04.2011, 13.05.2011, 02.08.2011, 18.08.2011, 20.10.2011, 14.11.2011, 12.12.2011 तथा 10.02.2012 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 30 सितम्बर 2011 को आयोजित गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का व्यौरा नीचे दिया गया है :

निदेशक मंडल की बैठकों तथा गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति:

निदेशक का नाम	उस अवधि में हुई बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 30.09.11 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क) कार्यकारी निदेशक			
श्री एच.एस.मान (01.04.2011 से 22.07.2011 तक)	2	2	एनआर
श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी (22.07.2011 से 31.03.2012 तक)	6	6	हां
श्री सुनीर खुराना (01.04.2011 से 31.08.2012 तक)	8	8	हां
श्री वेदप्रकाश (01.04.2011 से 31.03.2012 तक)	8	8	हां
श्री राजीव जयदेव (01.04.2011 से 31.03.2012 तक)	8	8	हां
श्री एम.जी. गुप्ता (09.12.2011 से 31.03.2012)	2	2	एनआर
(ख) अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)			
श्री मधूसूदन प्रसाद (03.01.2011 से 31.03.2012)	1	1	एनआर
श्री पी.के. चौधरी (1.04.2011 से 31.03.2011 तक)	7	2	नहीं
डॉ. राजन कटोच (1.04.2011 से 31.03.2012 तक)	8	5	नहीं
(ग) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक			
श्री अनिल बैजल (1.04.2012 से 31.03.2012 तक)	8	8	हां
श्रीमती अरुणा माखन (1.04.2011 से 31.03.2012 तक)	8	8	हां
श्री एच.एल. जुत्थी (1.04.2011 से 31.03.2012 तक)	8	7	नहीं
श्री अनिल राजदान (13.7.2011 से 31.03.2012 तक)	6	5	हां
श्री एस. कृष्णनन (14.7.2011 से 18.10.2011 तक)	2	2	नहीं
श्री अरुण बालाकृष्णन (16.7.2011 से 31.03.2012 तक)	6	5	नहीं
श्री गुरुदेव सिंह वेदी (14.7.2011 से 31.03.2012 तक)	6	6	नहीं

एन आर – आवश्यकता नहीं – चूंकि संबंधित निदेशक एजीएम की तारीख को एमएमटीसी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं थे।

बोर्ड की समितियां

निगम के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार-विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, दायित्वों तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

- क) निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति
- ख) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
- ग) निदेशकों की पारिश्रमिक समिति
- घ) निदेशकों की निवेश समिति
- ड) निदेशकों की क्रय/विक्रय समिति
- च) निदेशकों की समिति
- छ) कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति
- ज) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

झ) कार्यकारी प्रबंधतंत्र समिति

निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में तीन गैर-सरकारी (स्वतंत्र) अंशकालिक निदेशक तथा (सरकार द्वारा नामित) एक अंशकालिक निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव बने रहे। लेखा-परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इस समिति के प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन तथा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2011-12 में समिति की आठ बैठकें आयोजित हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

क्रमांक	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1.	09.05.2011	श्री अनिल बैजल सुश्री अरुणा माखन डॉ. राजन कटोच	श्री अनिल बैजल
2.	13.05.2011	श्री अनिल बैजल सुश्री अरुणा माखन डॉ. राजन कटोच	श्री अनिल बैजल
3.	02.08.2011	श्री अनिल बैजल सुश्री अरुणा माखन डॉ. राजन कटोच	श्री अनिल बैजल
4.	18.08.2011	श्री अनिल बैजल सुश्री अरुणा माखन	श्री अनिल बैजल
5.	14.11.2011	श्री अनिल बैजल सुश्री अरुणा माखन	श्री अनिल बैजल
6.	07.12.2011	श्री अनिल बैजल सुश्री अरुणा माखन श्री अनिल राजदान श्री जी.एस. वेदी	श्री अनिल बैजल
7.	10.02.2012	श्री अनिल बैजल सुश्री अरुणा माखन श्री अनिल राजदान श्री जी.एस. वेदी डॉ. राजन कटोच	श्री अनिल बैजल
8.	29.03.2012	श्री अनिल बैजल सुश्री अरुणा माखन श्री अनिल राजदान श्री जी.एस. वेदी	श्री अनिल बैजल

समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु निगम के अन्य कार्यरत निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे।

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित शेयरधारकों / निवेशकों की वर्तमान समिति में सरकार द्वारा नामित गैर कार्यकारी निदेशक (अपर सचिव तथा वित्त परामर्शदाता, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार) को अध्यक्ष तथा एमएमटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एमएमटीसी के निदेशक (वित्त) को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव बने रहे। समिति शेयर अंतरण, रिमैटेरियलाइजेशन व डिमैटेरियलाइजेशन आदि के निवेश पर शीघ्रतापूर्वक विचार एवं स्वीकृति प्रदान करता है तथा शेयरहोल्डरों / अन्य निवेशकों की शिकायतों पर निर्णय की निगरानी करती है।

वर्ष 2011–12 के दौरान निवेशकों की शेयरहोल्डर / निवेशक शिकायत समिति की एक बैठक दिनांक 12.12.2011 को आयोजित की गई। बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की वर्तमान पारिश्रमिक समिति में श्री जी.एस. वेदी, अंशकालिक नान आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक को अध्यक्ष श्री अरुणा बालाकृष्णन, अंशकालिक नॉन आफिशियल निदेशक तथा भारत सरकार द्वारा नामित गैर-कार्यकारी दोनों निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। स्टाक एक्सचेजों के साथ हस्ताक्षरित सूचीकरण करार की धारा 49 तथा दिनांक 26 नवम्बर 2008 को जारी डी पी ई के दिशा निर्देशों में वर्णित सभी कार्यों तथा दायित्वों का निर्वाह करने के साथ-साथ ये अधिकारी इनमें वर्णित उक्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

निदेशकों की निवेश समिति

एमएमटीसी द्वारा निवेश संबंधी मामलों पर निर्णय देने एवं परामर्शदाता की नियुक्ति जैसे मामलों की शीघ्रता से निपटाने के लिए निदेशक मंडल में एक निवेश समिति का भी गठन किया है जिसके अध्यक्ष सीएमडी तथा सभी कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। निदेशक मंडल ने 14 नवम्बर 2011 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशकों की निवेश समिति को भंग करने का निर्णय लिया।

भंग करने से पूर्व वर्ष 2011–12 के दौरान निदेशकों की निवेश समिति की 12 बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ नियमित रूप से प्रस्तुत किये गये।

निदेशकों की क्रय / विक्रय समिति

बोर्ड ने प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की गति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता की कुंजी मानते हुए निदेशकों की क्रय / विक्रय समिति का गठन किया है ताकि सीएमडी को बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक राशि के प्रत्येक विभिन्न व्यापारिक प्रस्तावों पर शीघ्र विचार कर व्यापक आधार पर सर्वसमिति से अनुमोदन प्रदान किया जा सके। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सभी कार्यकारी निदेशक तथा कंपनी सचिव इस समिति के क्रमशः अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव हैं। दिनांक 24 नवंबर,

2011 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पूर्वोक्त निदेशकों की क्रय-विक्रय समिति को भंग करने का निर्णय लिया गया। भंग करने से पूर्व वर्ष 2011–12 के दौरान, क्रय / विक्रय समिति की 61 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से निदेशक मण्डल की सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

निदेशकों की समिति

बोर्ड ने निदेशकों की समिति का गठन किया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा सभी कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य और कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। बोर्ड ने इस समिति को, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी, एमएमटीसी के कार्यकलापों तथा एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत परियोजनाओं से संबंधित नीतिगत निर्णयों पर विचार करने तथा उनका अनुमोदन करने का अधिकार दिया है। निदेशक मंडल ने दिनांक 14 नवंबर 2011 को आयोजित बैठक में पूर्वोक्त निदेशकों की समिति को भंग करने का निर्णय लिया। भंग करने से पूर्व, वर्ष 2011–12 के दौरान, निदेशकों की समिति की 12 बैठकें हुईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

कार्यशील प्रबंधन निदेशकों की समिति

दिनांक 14 नवंबर, 2011 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने 'कार्यशील प्रबंधन निदेशकों की समिति' गठित किया है जिसमें एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष, सभी कार्यरत निदेशक समिति के सदस्य तथा कंपनी सचिव अधिनियम 1956 / अन्य विधिक मामलों के अधीन विनिर्दिष्ट, निदेशक मंडल की बैठक में विचार एवं निर्णय लिए जाने वाले मामलों और / अन्य शेयरधारकों तथा अन्य विनिर्दिष्ट मामलों और बोर्ड द्वारा निर्णय अथवा विचारार्थ आरक्षित मामलों और एमएमटीसी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 99 के अधीन निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को छोड़कर समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के उपर सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान समिति की 22 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गये।

कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में संशोधन / सूचीकरण पर विचार करने तथा अनुमोदन करने के लिए निदेशक मंडल ने कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति का गठन किया है जिसमें वर्तमान में श्री जी.एस. वेदी अंशकालिक नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक (वित्त) एवं अंशकालिक सरकार द्वारा नामित लिदेशक जिसके सचिव वाणिज्य विभाग इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं इसके साथ ही यह समिति समय-समय पर संशोधित एमएमटीसी कर्मचारी आचार, अनुशासन एवं अपील नियम, 1975 के अंतर्गत 'अपिलेंट अथारिटी' का काम भी करती है। वर्ष 2011–12 के दौरान इस समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किये गये।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा स्वीकृति का अनुपालन करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौतों और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह करने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/एमएमटीसी की सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने एक “सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एशोसिएट कंपनियों” पर निदेशकों की समिति का गठन किया है। वर्तमान में समिति में श्री अरुण बालाकृष्णन, अंशकालिक

वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की आठ बैठकें हुईं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

बैठक की प्रकृति	दिनांक तथा समय	पारित विशेष संकल्प
46वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2009 को 1100 बजे	एक
असाधारण आम सभा	20.07.2010 को 1100 बजे	दो
47वीं वार्षिक आम सभा	21.09.2010 को 11.30 बजे	—
48वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2011 को 12.00 बजे	—

चूंकि गत वार्षिक आमसभा के बाद मई 2012-जुलाई 2012 के दौरान डाक मतों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसके परिणाम की घोषणा अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक द्वारा 18 जुलाई, 2012 को की गई।

आगामी वार्षिक आम सभा तक डाकमतों द्वारा किसी विशेष संकल्प का प्रस्ताव नहीं है।

प्रकटन

- क) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन-देन नहीं है।
- ख) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ है अर्थात् कंपनी का अपने प्रोमोटर्स, निदेशकों, अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन-देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। “संबंधित पक्ष लेन-देन” के अन्य वितरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के अंश के नोट में प्रकट किये गये हैं।
- ग) लिस्टिंग एग्रीमेंट के धारा 41 के अधीन अपेक्षित विनिर्दिष्ट मामलों को कंपनी के सीईओ/सीएफओ ने बोर्ड के समक्ष सत्यापित कर दिया है।
- घ) कंपनी ने इम्प्लाइज स्टाक आशान स्कीम नहीं अपनाया है।
- ङ) वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी ने “हिस्से ब्लॉअर पालिसी” तैयार की है जिसे एमएमटीसी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।
- च) कंपनी के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ तथा विगत तीन वर्षों में पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी प्रकार का अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया।
- छ) कंपनी के इकिवटी शेयर अब नेशनल स्टाक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गये हैं।

नान आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष, श्री अनिल राजदान अंशकालिक नान-आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक सदस्य और कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की निम्नालिखित आठ बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

आम सभा

निगम की आम सभा, निगम के पंजीकृत कार्यालय से निकर्ता स्थान पर आयोजित की जाती है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी आम सभाओं के विवरण नीचे दिये गए हैं:—

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध-वार्षिक तथा वार्षिक परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें सामान्यतः प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों तथा कार्यकलापों प्रेसविज़प्ति जारी करने के अतिरिक्त उन्हें निगम अपने वेबसाइट www.mmtclimited.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है।

शेयरधारकों की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक :

कंपनी की 49 वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को 1200 बजे स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003 में आयोजित की जायेगी।

(ख) वर्ष 2012-13 के लिए वित्तीय कैलेंडर

प्रथम तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 14.08.2012 को अथवा इससे पहले घोषित किए गए।

द्वितीय तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 15.11.2012 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

तृतीय तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 15.02.2013 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

चतुर्थ तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 15.05.2013 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

वर्ष 2012-13 के वार्षिक अंकेक्षित परिणाम दिनांक 30.09.2013 को या इससे पूर्व घोषित किए जाएंगे।

(ग) बुक क्लोजर की तिथियाँ :

वार्षिक आम बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा के प्रयोजन हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2012 से 28 सितम्बर, 2012 (दोनों दिन शामिल हैं) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा गया।

(घ) **लाभांश भुगतान** – विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
दर	80%*	45%**	25%
तिथि	27.10.2009	15.10.2010	27.10.2011

टिप्पणियाँ :— * निगम की इकिवटी पूँजी पर 40% की दर से दिनांक 25.03.2009 को प्रदत्त अंतरिम लाभांश शामिल है।

** बढ़े हुए बोनस उपरांत इकिवटी पूँजी पर

(ङ.) **स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता** : कंपनी के शेयर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी कंपनी के इकिवटी शेयर लिस्ट हो चुके हैं।

(च) **बाजार-मूल्य विवरण(डाटा)**: वर्ष 2011-12 के दौरान मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत / व्यापार किए गए एमएमटीसी के रिकॉर्ड का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

माह	निम्न (₹)	उच्च (₹)
अप्रैल 2011	1110.00	926.10
मई 2011	999.00	890.00
जून 2011	1004.70	861.00
जुलाई 2011*	988.00	880.00
अगस्त 2011	919.00	671.00
सितम्बर 2011	750.20	652.00
अक्टूबर 2011	700.00	630.00
नवम्बर 2011	679.10	538.00
दिसम्बर 2011	573.00	438.55
जनवरी 2012	1009.00	507.90
फरवरी 2012	922.00	757.05
मार्च 2012	889.65	761.00

(छ) **रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट(आरटीए)** : डिमैटिरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए कंपनी ने मैसर्स एमसीएस लिमिटेड, एफ 65 ओखला औद्योगिक क्षेत्रा, फेस-1, नई दिल्ली.110020 को अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है।

(ज) **शेयरों का डिमैटिरियलाइजेशन** : सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या आईएनई123एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटिरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2012 को एमएमटीसी लिमिटेड के 100 करोड़ प्रत्येक 1 रुपये फेस वैल्यू वाले इकिवटी शेयरों में से 99,33,12,000 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 66,87,960 डिमैटिरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 40 शेयर फिजिकल रूप में रह गये हैं।

(झ) **शेयर अंतरण पद्धति** : कंपनी के शेयरों को इनके प्रस्तुत किए जाने के अधिकतम 30 दिन की अवधि के अन्दर अन्तरित कर दिया जाता है। डिमैटिरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2012 को शेयर अंतरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात् एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण डीड तथा कोई अन्य दस्तावेजों को या तो आरटीए कार्यालय में या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एमएमटीसी लिमिटेड के कंपनी सचिव के पास जमा करा सकते हैं।

(ञ) **31.03.2012 को शेयर होल्डिंग का वितरण**: स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण अनुबंध के खंड 35 के अनुसरण में दिनांक 31.3.2012 का शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है:-

शेयरधारक की श्रेणी	शेयर-होल्डर्स की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की तुलना में शेयर-होल्डिंग का प्रतिशत
प्रवर्तक की शेयरहोल्डिंग एवं प्रवर्तक समूह			
केन्द्र सरकार	1	993312000	99.3312
सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग			
म्युचल फंड / यूटीआई	4	5158733	0.5159
वित्तीय संस्थाएं / बैंक	5	30230	0.0030
विदेशी संस्थागत निवेशक	1	200	0.0000
गैर संस्थागत			
कारपोरेट संगठन	845	254645	0.0255
1 लाख ३ तक शेयर कैपिटल रखने वाले व्यक्ति	37756	1208945	0.1209
ट्रस्ट व फाउंडेशन	2	69	0.0000
गैर आवासीय व्यक्ति	393	35178	0.0035
योग	39007	100,00,00,000	100

टिप्पणी: कोई भी जीडीआर / एडीआर / वॉरन्ट / परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(ट) **शेयरधारकों / अन्य निवेशकों की समस्याएं** :— शेयरधारक / अन्य निवेशक अपनी समस्याएं श्री मनोहर बलवानी, अनुपालन अधिकारी तथा कंपनी सचिव को ई मेल आईडी mbalwani@mmtclimited.com पर भेज सकते हैं।

(ठ) **पत्राचार का पता :**

महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव,
 एमएमटीसी लिमिटेड, कोर-1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
 7, इस्टीटॉद्यूस्नल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003.
 फोन संख्या : 011- 24361889, फैक्स संख्या : 011-24360724
 ई मेल: mbalwani@mmtclimited.com

जैन कपिला एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सी-4, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110 014
फोन: 24313432, 24313422, 23587443
टेलीफौक्स: 24313432
ई-मेल: dkkapila@gmail.com;
वेबसाइट: www.jainkapilaassociates.com

कारपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यगण,

हमने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण अनुबंध के खंड 49 में कारपोरेट नियमन से संबंधित शर्तों के अनुपालन संबंधी जांच की है।

कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारी जांच न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण है और न ही किसी मत की अभिव्यक्ति है।

तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित शर्तों के अतिरिक्त कंपनी ने उपर्युक्त सूचीयन करार के अनुसार कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन किया है:

- (i) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जहां निदेशक मंडल के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक हैं निदेशक मंडल की कुल संख्या से न्यूनतम आधी होने के संबंध में उक्त सूचीयन करार की धारा 49 के पैरा i के उप पैरा (पप) का अनुपालन नहीं किया गया।
तथापि जुलाई 16, 2011 से दिसम्बर 08, 2011 के दौरान एमएमटीसी के निदेशक मंडल में चार और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से निगम में उक्त शर्त का अनुपालन कर दिया है।
- (ii) वार्षिक आधार पर कोड के साथ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों तथा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों द्वारा अनुपालन के संबंध में उक्त सूचीपत्र करार की धारा 49 के पैरा i की उप धारा डी (ii) का अनुपालन नहीं किया गया। एक निलंबित आधिकारी जिसे तदंतर में दिनांक 7 अगस्त 2012 को सेवा से हटा दिया गया था, द्वारा उक्त स्वीकृति नहीं दी गई थी।
- (iii) निदेशक मंडल द्वारा जोखिम निर्धारण तथा इसे कम करने के प्रकटन के संबंध में उक्त सूचीयन करार की धारा 49 के पैरा iv की उप धारा सी की शर्त का अनुपालन नहीं किया गया। तथापि निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति को इसका प्रकटन किया गया था।

हम यह भी व्यक्त करते हैं कि उक्त अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही कंपनी द्वारा अपने कार्य संचालन में अपनाई गई कुशलता अथवा गतिशीलता का प्रमाण है।

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 000287

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 28 अगस्त 2012

हस्ताक्षर
डी के कपिला
वरिष्ठ भागीदार
एम न. 016905

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

ऊर्जा संरक्षण: ऊर्जा तथा ईंधन की खपत

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1)(ई) के अंतर्गत कंपनी नियम 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रस्तुतीकरण) के अनुसरण में दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं:-

क्रम संख्या			चालू वर्ष (2011-12)	पिछला वर्ष (2010-11)
1.	बिजली	खरीद (किलोवाट आवर) (वार्षिक न्यूनतम गारंटी पर) कुल लागत(लाख ₹ में) औसत दर (₹ / किलोवाट आवर)	3,09,012 12.38 4.01	3,09,012 12.38 4.01
2.	कोयला	मात्रा (मीटन) कुल लागत(लाख ₹ में) औसतन दर(₹ प्रति मीटन)	- -	- -
3.	डीजल तेल	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख ₹ में) औसत दर(₹ प्रति लीटर)	- -	- -
4.	एलडीओ	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख ₹ में) औसत दर(₹ प्रति लीटर)	- -	- -



गोपनीय

संख्या / No. PDCA-I / CHQ / 29-14 / MMTC / A/C / 2012-13 /

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
 कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
 एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1

**INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
 OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
 AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1**

दिनांक / Dated 19.9.2012

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
 एमएमटीसी लिमिटेड
 स्कोप कॉम्प्लेक्स
 नई दिल्ली

विषय: कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के आधीन 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के
 लिए एमएमटीसी लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के आधीन 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
 एमएमटीसी लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शून्य टिप्पणियाँ अग्रेषित की
 जाती हैं। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कम्पनी की महासभा में
 उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट
 रखी जाती है।

भवदीया,

(इला सिंह)
 प्रधान निदेशक

संलग्न : शून्य टिप्पणियाँ□

तृतीय तल, ए-स्कॅच, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
 3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002
 दूरभाष / Tele: 011-23378473, फैक्स / FAX : 011-23378432
 e-mail : mabNewdelhi1@cag.gov.in

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण बनाने की जिम्मेवारी कंपनी के प्रबंधतंत्र की है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों, जो उनके व्यावसायिक निकाय, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स आफ इंडिया, द्वारा निर्धारित आडिटिंग व एश्योरेंस स्टैंडर्डर्स के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है, पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेवार हैं। उन्होंने दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उक्त कथन का उल्लेख किया है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक की ओर से मैंने की है। सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य का मूल्यांकन किए बिना ही यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखा परीक्षकों निगम के कार्मिकों तथा एकाउटिंग रिकार्ड्स की कुछ चुनी हुई जांच तक ही सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई अनुपूरक टिप्पणियां की जा सकें।

भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक
की ओर से तथा उनके लिए



(इला सिंह)
प्रधान निवेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-1,
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19 सितंबर, 2012



लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यगण

1. हमने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संलग्न लाभ व हानि लेखे एवं नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा आडिटेड कारपोरेट कार्यालय, माईक्रो प्रभाग तथा झांडेवालान क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे शामिल हैं जबकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी का प्रबन्ध-तंत्र उत्तरदायी है तथा हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।
2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उक्त मानकों की आवश्यकता है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की इस तरह योजना बनाएँ तथा ऐसी कार्रवाई करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का गलत विवरण न हो। वित्तीय विवरणों में की गई घोषणा तथा राशियों के पक्ष में दिए गए साक्षों की जाँच के आधार पर की गई जाँच लेखापरीक्षा में शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधतंत्र द्वारा अपनाए गए लेखा सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारे द्वारा व्यक्त राय का समुचित आधार है।
3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज़ (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) जो कंपनीज (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) 2004 (अब के पश्चात आदेश जाना जाए) के साथ पढ़ा जाए में अपेक्षित तथा हमारे द्वारा उचित समझे गये कंपनी के रिकार्डों की उक्त जाँच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम विवरण एक अनुलग्नक में दे रहे हैं।
4. उपर्युक्त पैरा(3) में उल्लिखित अनुलग्नक में की गई टिप्पणियों के बारे में हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

- (i) जी आर-1 फार्मों के समय विस्तार/वेवर/राईट आफ के मामले में देयता के लिए न किए गए किसी प्रकार के प्रावधान (नोट संख्या 23 देखें)
 - (ii) विविध देनदारों/वसूली योग्य दावों/ऋण व अग्रिम/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं की कुछ मामलों में, पार्टीयों द्वारा अभिपूष्टी नहीं की गई है। ऐसी अभिपूष्टि हो जाने पर किये जाने वाले आवश्यक समायोजन, अगर हैं तो उनका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। (नोट संख्या 39 देखें)
 - (iii) मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक के पैरा(iv) में वर्णित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की अपर्याप्तता के संबंध में हमारी राय में वर्ष का लेखों पर अनुवर्ती प्रभाव पड़ सकता है। (इस प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता)
 - (iv) क्षेत्रीय कार्यालय चैन्ने के देनदारों से वसूली योग्य राशि से संबंधित की गई कुछ भूल चूकों के लिए 1002.05 मिलियन रुपये के किए गए तदर्थ प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है (नोट संख्या 17 देखें)
5. हम इसके आगे रिपोर्ट करते हैं कि :-
- क) रिपोर्ट में अन्यथा वर्णित के अतिरिक्त हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - ख) लेखा पुस्तकों की जाँच से जो देखने में आया है, उसके आधार पर हमारे मत में, कंपनी ने कानून द्वारा वांछित उचित लेखा पुस्तकें रखी हुई हैं।
 - ग) जिन क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है, हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त रिटर्न हमें वहां से प्राप्त हुई हैं। अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें पर भी विचार किया गया है।
 - घ) इस रिपोर्ट के तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा शाखाओं के लेखा-परीक्षित विवरणिकाओं के अनुरूप हैं।

- उ) हमारा मत है कि इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाता और नगद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में दिए गए लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - च) एक सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार दवारा दिनांक 21.10.2003 को जारी गजट अधिसूचना संख्या जीएसआर / 829 (ई) के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के अनुच्छेद (जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
6. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र में दर्शाए गए वर्ष के लाभ तथा परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर उपरोक्त पैराग्राफ 4(i) से 4(iii) के प्रभावों का आकलन नहीं किया जा सका। हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा उन पर की गई टिप्पणियां, उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित सूचनाएं देती हैं। साथ ही भारत में सामान्यतः स्वीकृत

लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं।

- (i) 31 मार्च, 2012 को कंपनी की वस्तुस्थिति के तुलन-पत्र के मामले में, तथा
- (ii) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं लाभ व हानि लेखे के मामले में, तथा
- (iii) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुत नकद प्रवाह के मामले में।

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. 000287एन

(डी के कपिला)
वरिष्ठ भागीदार
एम नं 016905

दिनांक : 28 अगस्त, 2012
स्थान : नई दिल्ली

दशक पर एक नजर

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2012*	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
हमारी देनदारियां										
शेयर पूँजी रिजर्व	1000 13214	1000 12797	500 12371	500 10734	500 9800	500 8321	500 7833	500 7035	500 6219	500 5853
ऋण अन्य दीर्घावधि देयताएं दीर्घावधि प्रावधान	14214 34299 45 1374	13797 60835	12871 51648	11234 43052	10300 31984	8821 11298	8333 5071	7535 3075	6719 4013	6353 1852
	49932	74632	64519	54286	42284	20119	13404	10610	10732	8205
हमारी परिसंपत्तियां										
स्थिर परिसंपत्तियां घटाएँ: मूल्यहरास	2052 1079	2107 993	2099 874	2075 757	2067 654	2045 519	773 453	744 426	733 395	747 376
निवल स्थिर परिसंपत्तिया निवेश विविध खर्च (बट्टे खाते में नहीं डाले गए) दीर्घावधि के ऋण तथा अग्रिम अन्य नॉन करंट परिसंपत्तियां	973 4673 - 1,095 23	1,114 2831	1,225 2729	1,318 2315 58	1,413 2550 22	1,526 2550 15	320 2210 45	318 2210 82	338 1985 169	371 2108 234
कार्यशील पूँजी आस्थगित कर परिसंपत्तियां	42453 715	70352 335	60339 226	50291 303	38042 257	15667 361	10411 418	7517 483	7707 533	4744 748
	49932	74632	64,519	54,285	42,284	20,119	13,404	10,610	10,732	8,205
हमारे अर्जन बिक्री	659291	688545	451242	368207	264234	233016	163624	151237	90992	62259
निर्यात आयात घरेलू व्यापार अर्जित व्याज अन्य आय	20454 610417 28420 6458 4770	36934 633008 18603 4750 2369	32227 399691 19324 5742 2294	45759 306951 15497 7824 2498	39114 204499 20621 2106 1314	34131 186074 12811 1202 902	29254 117858 16512 1213 749	30309 110325 10603 3155 584	18912 66787 5293 320 1353	23356 37324 1579 375 779
	670519	695664	459278	378529	267654	235120	165586	154976	92665	63413
हमारे खर्च										
विक्रय लागत स्थापना खर्च प्रशासनिक खर्च प्रदत्त व्याज मूल्यहरास बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्च बट्टे खाते में डाले गए ऋण / दावे तथा निवेश के मूल्य में हरास संदिग्ध ऋणों तथा निवेश / स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यों में हरास के लिए प्रावधान असाधारण मद्दें विशेष मद्दें	660483 1843 521 5764 120 - 3 133 1002 (1)	687260 1838 554 3719 125 - 1 229	449463 1684 461 4126 133 58 1 19	366966 1653 385 6659 126 18 143	260732 1184 375 1350 127 13 231	230964 883 327 711 80 33 98	161716 706 302 818 42 41 191	148821 700 276 2851 42 96 259	89794 690 225 251 43 95 651	61295 637 308 255 44 90 236
	669868	693726	455947	376356	264385	233191	163883	153180	91825	63072

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2012*	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
हमारी बचत										
वर्ष का लाभ	651	1938	3331	2173	3269	1929	1703	1796	840	341
कराधान के लिए प्रावधान	53	701	1168	772	1241	625	596	691	295	107
कर पश्चात् लाभ(पूर्वावधि समायोजन से पूर्व)	598	1237	2163	1401	2028	1304	1107	1105	545	234
पूर्वावधि समायोजन	(109)	21	-	(1)	23	36	24	33	39	(16)
उपयोग हेतु उपलब्ध लाभ	707	1216	2163	1402	2005	1268	1083	1072	506	250
लाभांश	250	250	450	400	450	250	250	225	125	100
लाभांश पर कर	41	41	75	68	76	39	35	31	16	-
प्रतिधारित(रिटेंड) अर्जन	416	925	1638	934	1479	979	798	816	365	150
सकल लाभ	2766	3300	3176	3209	4298	2497	2218	2559	1624	1297
कर पूर्व लाभ	760	1917	3331	2174	3246	1893	1679	1763	801	357
कर पश्चात् लाभ	707	1216	2163	1402	2005	1268	1083	1072	506	250
नेटवर्थ	14,213	13797	12871	11176	10278	8806	8288	7453	6550	6119
नियोजित पूँजी	8948	8645	9725	8557	7471	5895	10731	7835	8045	5115
कार्यरत पूँजी	42453	70352	60339	50291	38042	15667	10411	7517	7707	4744
अनुपात										
बिक्री के अनुपात में ओवरहैड्स	0.36	0.35	0.48	0.55	0.59	0.52	0.62	0.65	1.01	1.52
बिक्री के अनुपात में स्टॉक	1.40	0.94	4.73	1.57	2.09	0.76	1.52	0.73	1.79	2.03
बिक्री के अनुपात में व्यापार लाभ	0.42	0.48	0.70	0.87	1.63	1.07	1.36	1.69	1.78	2.08
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ %	0.12	0.28	0.74	0.59	1.23	0.81	1.03	1.17	0.88	0.57
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात् लाभ %	0.11	0.18	0.48	0.38	0.76	0.54	0.66	0.71	0.56	0.40
बिक्री के अनुपात में देनदार %	4.20	3.69	3.44	5.18	5.47	4.80	4.51	4.53	5.01	3.91
बिक्री के अनुपात में कार्यरत पूँजी %	6.44	10.22	13.37	13.66	14.40	6.72	6.36	4.97	8.47	7.62
कार्यरत पूँजी के अनुपात में बिक्री (गुना)	15.53	9.79	7.48	7.32	6.95	14.87	15.72	20.12	11.81	13.12
नियोजित पूँजी से वर्ष के लिए लाभ का %	7.28	22.42	34.25	25.39	43.76	32.72	15.87	22.92	10.44	6.67
नियोजित पूँजी से कर पश्चात् लाभ %	7.90	14.07	22.24	16.38	26.84	21.51	10.09	13.68	6.29	4.89
नेट वर्थ की तुलना में वर्ष के लिए लाभ %	4.58	14.05	25.88	19.44	31.81	21.91	20.55	24.10	12.82	5.57
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात् लाभ %	4.97	8.81	16.81	12.54	19.51	14.40	13.07	14.38	7.73	4.09
कार्मिकों की संख्या	1673	1767	1838	1882	1953	1997	2031	2063	2083	2160
प्रति कार्मिक बिक्री	394.08	389.67	245.51	195.65	135.30	116.68	80.56	73.31	43.68	28.82

*आंकड़े संशोधित अनुसूची VI के अनुसार है।

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11	2009-10
स्रोत			
आंतरिक अर्जन			
कर पश्चात् लाभ	707	1216	2162
आस्थगित कर समायोजन	(379)	(109)	77
मूल्यह्रास	1079	994	874
प्रावधान	4126	3566	3579
इकिवटी	1000	1000	500
रिजर्व	12507	11581	10209
बाहरी अर्जन			
बैंकिंग	34299	60835	51648
चालू देयताएं	75372	48466	49972
अन्य देयताएं	1926	1823	1493
कुल स्रोत	130637	129372	120514
उपयोग			
स्थिर परिसंपत्तियां	2052	2107	2099
निवेश	4721	2879	2777
व्यापार ऋण	29591	26149	16059
इंवेस्ट्रीज	9244	6480	21348
ऋण व अग्रिम	56163	24048	17120
नकद व बैंक शेष	28531	67482	60808
आस्थगित कर	335	227	303
कुल उपयोग	130637	129372	120514

वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11		2009-10	
निधियों के स्रोत					
आंतरिक अर्जन					
कर पश्चात् लाभ	707	1,216		2,162	
मूल्यह्रास	120	125	1,341	133	2,295
आस्थगित कर समायोजन	335		227		303
ऋण					
ऋण निधियां	(26,536)		9,187		8,596
कुल स्रोत	(25,374)		10,755		11,194
निधियों का अनुप्रयोग					
स्थिर परिसंपत्तियां	16	14		40	
निवेश	(1)	102		413	
बट्टे खाते में न डाले गये विविध व्यय	-	-		(58)	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	715	335		226	
अंतिम लांभाश	250	250		450	
लांभाश कर	41	41		75	
इंवेट्री	2,764	(14,869)		15,563	
विविध देनदार	2,332	9,874		(3,550)	
ऋण व अग्रिम	(33,287)	6,924		(2,189)	
रोकड़ व बैंक शेष	(38,951)	6,675		2,228	
देयताएं	40,245	1,506		(1,622)	
प्रावधान	502	(97)		(382)	
निधियों का कुल अनुप्रयोग	(25,374)	10,755		11,194	

मूल्यवर्धन विवरण

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11	2009-10			
संवर्धित मूल्य		%	%			
बिक्री तथा अन्य व्यापारिक अर्जन	663,251	690,494	452,636			
जोड़ें:अन्य आय	833	353	898			
	664,084	690,847	453,534			
घटाएँ: प्रयुक्त सामग्री व सेवाओं की लागत	648,912	660,789	437,926			
कुल मूल्यसर्वाधन	15,172	30,058	15,608			
मूल्य वितरण						
प्रचालन खर्च	12,333	81.29	26,421	87.90	11,538	73.93
नियोजन लागत	1,844	12.15	1,838	6.11	1,742	11.16
प्रशासनिक लागत	530	3.50	556	1.85	469	3.01
प्रावधान	133	0.88	229	0.76	19	0.12
मूल्यह्रास	122	0.80	125	0.41	135	0.87
ब्याज (निवल)	(1,553)	(10.24)	(1,029)	(3.42)	(1,627)	(10.42)
असाधारण मद्दें	1,002	6.60				
आय कर	53	0.35	701	2.33	1,168	7.49
लाभांश						
प्रस्तावित लाभाश	250	1.65	250	0.83	450	2.88
लाभाश पर कर	41	0.27	41	0.13	75	0.48
रिटेंड अर्जन	417	2.75	926	3.08	1,638	10.49
कुल मूल्य वितरण	15,172	100.00	30,058	100.00	15,608	100.00
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	1673		1767		1838	
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन(₹'000)	9069		17011		8492	
नेट वर्थ	14,213		13,797		12,871	
नेट वर्थ के प्रति रुपये में मूल्य संवर्धन	1.07		2.18		1.21	



वार्षिक लेखे | 2011-2012

49 वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यगण

1. हमने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संलग्न लाभ व हानि लेखे एवं नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा आडिटेड कारपोरेट कार्यालय, माईक्रो प्रभाग तथा झांडेवालान क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे शामिल हैं जबकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी का प्रबन्ध-तंत्र उत्तरदायी है तथा हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।
2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उक्त मानकों की आवश्यकता है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की इस तरह योजना बनाएँ तथा ऐसी कार्रवाई करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का गलत विवरण न हो। वित्तीय विवरणों में की गई घोषणा तथा राशियों के पक्ष में दिए गए साक्षों की जाँच के आधार पर की गई जाँच लेखापरीक्षा में शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधतंत्र द्वारा अपनाए गए लेखा सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारे द्वारा व्यक्त राय का समुचित आधार है।
3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज़ (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) जो कंपनीज (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) 2004 (अब के पश्चात आदेश जाना जाए) के साथ पढ़ा जाए में अपेक्षित तथा हमारे द्वारा उचित समझे गये कंपनी के रिकार्डों की उक्त जाँच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम विवरण एक अनुलग्नक में दे रहे हैं।
4. उपर्युक्त पैरा(3) में उल्लिखित अनुलग्नक में की गई टिप्पणियों के बारे में हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

- (i) जी आर-1 फार्मों के समय विस्तार/वेवर/राईट आफ के मामले में देयता के लिए न किए गए किसी प्रकार के प्रावधान (नोट संख्या 23 देखें)
 - (ii) विविध देनदारों/वसूली योग्य दावों/ऋण व अग्रिम/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं की कुछ मामलों में, पार्टीयों द्वारा अभिपूष्टी नहीं की गई है। ऐसी अभिपूष्टि हो जाने पर किये जाने वाले आवश्यक समायोजन, अगर हैं तो उनका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। (नोट संख्या 39 देखें)
 - (iii) मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक के पैरा(iv) में वर्णित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की अपर्याप्तता के संबंध में हमारी राय में वर्ष का लेखों पर अनुवर्ती प्रभाव पड़ सकता है। (इस प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता)
 - (iv) क्षेत्रीय कार्यालय चैन्ने के देनदारों से वसूली योग्य राशि से संबंधित की गई कुछ भूल चूकों के लिए 1002.05 मिलियन रुपये के किए गए तदर्थ प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है (नोट संख्या 17 देखें)
5. हम इसके आगे रिपोर्ट करते हैं कि :-
- क) रिपोर्ट में अन्यथा वर्णित के अतिरिक्त हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - ख) लेखा पुस्तकों की जाँच से जो देखने में आया है, उसके आधार पर हमारे मत में, कंपनी ने कानून द्वारा वांछित उचित लेखा पुस्तकें रखी हुई हैं।
 - ग) जिन क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है, हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त रिटर्न हमें वहां से प्राप्त हुई हैं। अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें पर भी विचार किया गया है।
 - घ) इस रिपोर्ट के तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा शाखाओं के लेखा-परीक्षित विवरणिकाओं के अनुरूप हैं।

- उ) हमारा मत है कि इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाता और नगद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में दिए गए लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - च) एक सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार दवारा दिनांक 21.10.2003 को जारी गजट अधिसूचना संख्या जीएसआर / 829 (ई) के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के अनुच्छेद (जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
6. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र में दर्शाए गए वर्ष के लाभ तथा परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर उपरोक्त पैराग्राफ 4(i) से 4(iii) के प्रभावों का आकलन नहीं किया जा सका। हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा उन पर की गई टिप्पणियां, उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित सूचनाएं देती हैं। साथ ही भारत में सामान्यतः स्वीकृत

लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं।

- (i) 31 मार्च, 2012 को कंपनी की वस्तुस्थिति के तुलन-पत्र के मामले में, तथा
- (ii) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं लाभ व हानि लेखे के मामले में, तथा
- (iii) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुत नकद प्रवाह के मामले में।

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. 000287एन

(डी के कपिला)
वरिष्ठ भागीदार
एम नं 016905

दिनांक : 28 अगस्त, 2012
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ-3 के संदर्भ में।

(i) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में :

- (क) कंपनी ने सामान्यतः पूरे विवरणों सहित मात्रात्मक विवरण और स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखे हैं।
- (ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंध-तंत्र द्वारा सभी परिसंपत्तियां प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित हैं, जो हमारे विचार से कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। जांच के दौरान किसी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटियां नहीं पाई गई।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी तरह की स्थायी परिसंपत्तियों को बेचा नहीं है, अतः गोईग कन्सर्न अनुमान प्रभावित नहीं हुआ है।

(ii) इन्वेंट्रीज के बारे में :

- (क) मार्गस्थ माल, सेंट्रल/स्टेट वेयरहाउस में रखे माल, जहां पार्टियों से पुष्टिकरण प्राप्त किया गया तथा उस पर विश्वास किया गया, का वर्ष के दौरान प्रबंधतंत्र द्वारा उचित समय अंतराल पर प्रत्यक्ष सत्यापन कराया गया है।
- (ख) हमारे विचार से प्रबंधतंत्र द्वारा इन्वेंट्री के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसकी व्यापार की प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त है।
- (ग) इन्वेंट्री रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर हमारी राय में कंपनी ने इन्वेंट्री का उचित रिकार्ड रखा हुआ है। प्रत्यक्ष स्टाक तथा लेखा पुस्तिकाओं के बीच सिवाय क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में दालों की इन्वेंट्री के अतिरिक्त कोई विशेष

विसंगति नहीं पाई गई जिसके संबंध में लेखा पुस्तिका में उपयुक्त समाधान कर लिया गया है।

(iii) ऋणों के संबंध में :

- (क) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गये रजिस्टर के अन्तर्गत कंपनी ने कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए धारा (iii) की उप धारा (बी), (सी) तथा (डी) लागू नहीं होते।
- (ख) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर के अन्तर्गत कंपनी ने कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से किसी भी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए क्लॉज (iii) के उप क्लॉज (ई), (एफ) तथा (जी) लागू नहीं होते।
- (iv) हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार इन्वेंट्री, स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं की बिक्री के बारे में कंपनी के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया पर्याप्त और इसके अनुरूप है। तथापि अन्य पार्टियों द्वारा किये गए भुगतान के स्रोत पर कटौती की एकाउंटिंग, बकाया शेष आदि की पुष्टि/समायोजन प्राप्त करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त हमारी जांच तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर यह देखने में आया है कि बैंक शेष की पुष्टि, एफडीआर/बीजी की पुष्टि, क्रेटोओं के क्रेडिट प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रणाली, फारवर्ड कवर प्राप्त करने के क्षेत्रों में विशेषकर क्षेत्रीय कार्यालय चैने क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद तथा झंडेवालान क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पूर्णतः अभाव है।

इसके अतिरिक्त पहले वर्णित उपरोक्त क्षेत्रों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सक्षम बनाने की आवश्यकता है:-

- क) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर तथा इसके तदन्तर डाक्युमेंटेशन / रिकार्ड कीपिंग के जोखिम प्रबंधन तथा निगम के जोखिम की समय-समय पर मानीटरिंग करना।
- ख) ईआरपी तथा अन्य स्टेंडएलोन इन्वेंट्री सिस्टम से निगम द्वारा ट्रेड की गई स्तरुओं (विशेषकर बुलियन) का समय-समय पर मात्रात्मक मिलान करना।
- ग) संबंधित कमोडिटी प्रभागों द्वारा पुराने ऋणों, अग्रिमों, दावों तथा निगम के पक्ष में डिक्री/निर्णयों के अनुपालन से होने वाले कोर्ट मामलों तथा वसूलियों के लिए सक्रिय एवं तुरंत अनुवर्ती कार्यवाही करना।
- (v) (क) हमारे मत से और उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में दिये गये उल्लेख के अनुसार कोई ऐसा करार और व्यवस्था नहीं है जिनके विवरण अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में दर्ज किए जाने आवश्यक हों।
- (ख) तदनुसार, आदेश (यथा संशोधित) के पैरा 4 के क्लॉज अ (बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (vi) पब्लिक से प्राप्त जमा राशियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और धारा 58ए और 58एए के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम, 1956 के संबद्ध प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों का अनुपालन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि इस संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्राईब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य किसी कोर्ट या ट्राईब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

हमारे मतानुसार कंपनी में आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली है जो कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के अनुरूप है। तथापि, हमारे

मत से, आंतरिक लेखा परीक्षा और भी मजबूत की जानी चाहिए।

जैसा कि हमें सूचित किया गया है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड के रखरखाव को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांच किये गये कंपनी के रिकार्ड के अनुसार हमारी राय में कंपनी ने अविवादित, सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा कराये हैं इनमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल हैं, और इसके संबंध में 31.3.2012 तक बकाया के रूप में कोई विवादित राशि इसकी देय तिथि से 6 माह की अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांच किये गये कंपनी के रिकार्ड के अनुसार 31 मार्च, 2012 को देय आयकर / बिक्री कर / संपत्ति कर / सेवा कर / सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / उपकर (यथा लागू) का विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है, जो विवादित होने के कारण जमा नहीं कराये गये हैं।

(x) कंपनी की किसी भी प्रकार की संचयी हानियों नहीं हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष अथवा इससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भी किसी प्रकार की रोकड़ हानि नहीं हुई है।

(xi) हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच करने पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर होल्डर को पुनर्भुगतान करने में किसी भी प्रकार की चूक नहीं की है।

- (xii) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में गिरवी रखने के आधार पर किसी भी तरह के ऋणों एवं अग्रिमों की स्वीकृति प्रदान नहीं की है, सिवाय इसके कि कर्मचारियों को कुछ ऋण, मकान और वाहन को जमानत पर रखकर दिये गये हैं और इस संबंध में दस्तावेज एवं रिकार्ड बनाए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त भी कुछ ऋण कार्मिकों को बिना किसी जमानत के दिये जाते हैं।
- (xiii) हमारी राय में कंपनी चिट फंड अथवा निधि/म्यूचुअल लाभ फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4(xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xiv) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों के व्यापार में लेन—देन नहीं करती है। तदनुसार कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) की धारा 4(xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एक सहयोगी कंपनी) द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए जिन शर्तों व अनुबंधों के अधीन कंपनी द्वारा गारंटी दी गई हैं वे प्रथम दृष्टि में कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।
- (xvi) हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के सावधि ऋण नहीं लिए हैं। अतः कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4(xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xvii) हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि आधार पर उगाही गई निधियों का दीर्घावधि निवेश में प्रयोग नहीं किया गया है।
- (xviii) हमारी सूचना व हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में कंपनी ने पार्टियों एवं कम्पनियों को किसी प्रकार के अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) शेयरों का आबंटन नहीं किया है।
- (xix) हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार आडिट रिपोर्ट की अवधि के दौरान वर्ष में कंपनी द्वारा किसी प्रकार के डिबेंचर जारी नहीं किए गए हैं। अतः कंपनीज (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) की धारा 4(xix) का प्रावधान लागू नहीं होता।
- (xx) चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम द्वारा किसी प्रकार की राशि नहीं जुटाई है अतः कम्पनीज (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) की धारा 4(xx) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।
- (xxi) सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे द्वारा निगम के खातों एवं रिकार्डों की जांच के दौरान यह देखने में आया है कि जैसा कि प्रबंधतंत्र ने सूचित किया है, वर्ष के दौरान निगम में निम्नलिखित मामले धोखाधड़ी (मैटीरियल फाड) के हुए हैं:-
- क) क्षेत्रीय कार्यालय चैन्से
- विगत वर्षों से संबंधित बुलियन लेन देन के मामलों में कुछ भूल—चूकों के परिणामस्वरूप ऋणदाताओं से वसूली योग्य 1002.05 मिलियन रुपये की राशि मार्च 31, 2011 तक वैँडरों के खातों में पड़ी है। वर्तमान वर्ष में इस राशि के लिए पूरा प्रावधान किया गया है। इन लेन देनों के लिए निगम ने विशेष लेखा परीक्षा करने का आदेश किया है जो अभी पूरी होनी है। इस संबंध में निगम द्वारा शिकायत दर्ज करने पर सीबीआई ने दो अलग एफआईआर दर्ज करते हुए विस्तृत जांच भी आरंभ कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी प्रिवेंशन आफ मनी लाडिंग अधिनियम 2002 के अंतर्गत अपराध रजिस्टर किया है। (नोट संख्या 17 देखें)
- ख) क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई
- एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने बिना डिलीवरी किए 28.30 मिलियन रुपये का भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। तथापि साख पत्र के

अधीन भुगतान करने के लिए बैंक को रोकने के लिए निगम ने कोर्ट से अंतरिम स्टेप्राप्त किया है। इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से मास्टर बिल आफ लैडिंग भी रखा हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय 64.57 मिलियन रुपये मूल्य की वस्तुओं की सुपुद्दी तथा स्वामित्व प्राप्त कर सकता था। इनके लिए पहले ही भुगतान किया जा चुका है। (नोट संख्या 40 देखें)

ग) क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद

कंपनी को कॉपर की दो शिपमेंट से संबंधित 37.50 मिलियन रुपए मूल्य के नकली बिल आफ लैडिंग प्राप्त हुए हैं जिसके विरुद्ध कोई माल प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राहक से पूरा पैसा वसूल करने के बाद कंपनी ने विदेशी सप्लायर को एलसी द्वारा पूरा भुगतान कर दिया है। कंपनी विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रही है।

घ) क्षेत्रीय कार्यालय झांडेवालान

एक ग्राहक ने कंपनी से सोना लोन पर लेने के लिए 18.0 मिलियन रुपए की जाली बैंक गारंटी देकर धोखाधड़ी की है। इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इस मामले की दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है तथा तहकीकात जारी है (नोट संख्या 42 का संदर्भ लें)

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन सं. 000287एन

(डी के कपिला)

दिनांक : 28 अगस्त, 2012

स्थान : नई दिल्ली

वरिष्ठ भागीदार

एम नं 016905

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

अनुलग्नक 'क' के पैराग्राफ 9 (बी) में संदर्भित दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनीज़ (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) में एमएमटीसी लिमिटेड के विनिर्दिष्ट मामलों की तालिका।

कंपनी के रिकार्ड के अनुसार इसके द्वारा देय आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उपकर जो विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं, का विवरण निम्नलिखित है :

चैनई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व व्याज	8,63,114	1998-99	उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व व्याज	4,43,416	2000-01	बिक्री कर अपील ट्रिब्यूनल
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व व्याज	11,52,785	1999-2000	उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व व्याज	1,78,536	2001-02	सहायक उपयुक्त (आयुक्त कर) चैनई

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	3,08,644	1986-87	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	5,19,887	1987-88	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,33,907	1988-89	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	14,96,06,778	1989-90	एमएसटी ट्रिब्यूनल
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	23,30,46,478	1990-91	उपायुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	28,98,738	1991-92	उपायुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	11,14,933	1992-93	एमएसटी ट्रिब्यूनल
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	45,03,961	2001-02	उपायुक्त (बिक्री कर)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	1,14,38,000	2008-09	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
दिल्ली बिक्री कर	बिक्री कर	11,65,303	1984-85	डीसी अपील
दिल्ली बिक्री कर	बिक्री कर	6,18,17,683	1986-87	अपर आयुक्त
केंद्रीय बिक्री कर	बिक्री कर	39,14,524	1986-87	अपर आयुक्त
दिल्ली बिक्री कर	बिक्री कर	4,03,31,557	1987-88	अपर आयुक्त
केंद्रीय बिक्री कर	बिक्री कर	28,54,992	1987-88	अपर आयुक्त
दिल्ली बिक्री कर	बिक्री कर	369,45,148	1988-89	अपर आयुक्त
केंद्रीय बिक्री कर	बिक्री कर	33,51,524	1988-89	अपर आयुक्त
दिल्ली बिक्री कर	बिक्री कर	16,35,160	1987-88	संयुक्त आयुक्त

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,49,770	1989-90	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	29,61,551	1990-91	एसटीएटी, विज़ाग

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
एपीजीएसटी	बिक्री कर	24,02,576	1991-92	एसटीएटी, विज़ाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	13,96,269	1992-93	एसटीएटी, विज़ाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	17,62,687	1992-93	एसटीएटी, विज़ाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	6,30,615	1993-94	एसटीएटी, विज़ाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	4,41,446	1993-94	एडीसी (सीटी)
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	2,04,481	1994-95	एसी (एलटीयू)
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	5,97,266	1995-96	एडीसी (सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	38,03,875	1995-96	एसटीएटी, विज़ाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	28,80,309	1995-96	एसटीएटी, विज़ाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	21,34,306	1996-97	एसटीएटी, विज़ाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	58,43,100	1997-98	एसटीएटी, विज़ाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	6,35,504	1997-98	एडीसी (सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	55,65,147	1998-99	एसटीएटी, विज़ाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	39,04,454	1999-2000	एसटीएटी, विज़ाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,52,926	2000-2001	एसटीएटी, विज़ाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,12,176	2001-02	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	68,901	2002-03	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	34,856	2003-04	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,26,000	2004-05	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	6,76,058	2006-07	एसटीएटी
वैट	वैट	71,000	2007-08	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	5,00,000	2008-09	एसटीएटी, विज़ाग
वैट	वैट	11,90,100	2008-09	एसटीएटी, विज़ाग
केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क	सीमा शुल्क	24,11,17,719	2008-09	सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	9,58,035	1966-67	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	26,50,388	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	6,53,452	1979-80	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	सीएसटी	33,04,073	1981-82	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	78,46,464	1982-83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,16,921	1982-83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	34,83,020	1982-83	उड़ीसा उच्च न्यायालय

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	2,62,819	1982-83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	79,13,807	1983-84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,29,926	1983-84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	35,42,822	1983-84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	86,48,326	1984-85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,69,294	1984-85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केंद्रीय बिक्री कर	57,96,808	1984-85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	3,57,42,030	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	21,17,92,315	2010-11	बिक्री कर आयुक्त, कटक के समक्ष अपील
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	7,27,02,132	2003-06	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय द्रिव्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	13,08,31,221	2003-07	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय द्रिव्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2,59,12,711	2007-08	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय द्रिव्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	5,80,77,352	2008-10	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय द्रिव्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	4,48,93,394	2010-11	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय द्रिव्यूनल

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,28,87,058/-	2003-04	राजस्थान टैक्स बोर्ड (विरोध में जमा किए गए ₹ 2987058)
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	5,32,992/-	2003-04	राजस्थान टैक्स बोर्ड (विरोध में जमा किए गए ₹ 53300)
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,07,605/-	1999-00	राजस्थान टैक्स बोर्ड
राज. वैट अधिनियम	वैट अधिनियम	3,26,47,269/-	2010-11	डी सी (अपील)
सीएसटी अधिनियम	सीएसटी अधिनियम	59,92,494/-	2010-11	डी सी (अपील)

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	18,56,325	1968-69	ए.पी. उच्च न्यायाजय
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,39,647	1981-82	एडीसी, विज़ाग

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	6,88,552	1982-83	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	17,66,784	1983-84	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	30,00,436	1984-85	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,05,806	1985-86	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2,70,83,841	1986-87	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	36,45,076	1987-88	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	19,34,139	1991-92	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	4,79,000	1989-90	ए.पी. उच्च न्यायालय
सीएसटी	बिक्री कर	8,41,695	1994-95	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	48,62,340	1995-96	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	33,58,889	1996-97	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,27,960	1997-98	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	28,07,578	1997-98	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	104,614	2007-08	एसटीएटी, हैदराबाद
केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क	सेवा कर	12,65,26,554	2003-2006	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल, बंगलौर

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम 1994	— वही —	86,88,778	1996-97	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम 1994	— वही —	33,74,028	1997-98	अपीलीय बोर्ड
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम 1994	— वही —	37,11,769	1998-99	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर	11,30,858	2005-06	अपीलीय बोर्ड
सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर	77,60,971	2006-07	डी सी अपील
डब्ल्यूबी वैट अधिनियम	वैट	8,28,126	2008-09	डी सी अपील
सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर	2,05,794	2008-09	डी सी अपील

क्षेत्रीय कार्यालय झंडेवालान

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद हेतु फोरम
दिल्ली वैट	सीएसटी / एलएसटी / ब्याज / दंड (स्वर्ण सृति चिह्न मेडलियन)	4,90,85,551	1997-98	अपीलीय ट्रिब्यूनल वैट
यूपी वैट	वैट+फार्म 3 (बी) (स्वर्ण) तथा फार्म 3 सी1 (मैथा आयल) जमा न करने के लिए ब्याज	37,45,290 2,88,866 6,11,808 2,49,828	2002-03 1995-96 1996-97 2007-08	दिल्ली आयुक्त डी वैट इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय आयुक्त यू.पी. वैट
सीमा शुल्क विभाग, दिल्ली	एसोसिएशन द्वारा लिए गए स्वर्ण ऋण के प्रति स्वर्णाभूषण के निर्यात न करने पर सीमा शुल्क तथा ब्याज	2,72,67,919	1999-2000	दिल्ली उच्च न्यायालय

31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र

(₹ मिलियन में)

	अनुसूची संख्या	31.3.2012 को	31.3.2011 को
<u>इकिवटी व देयताएं</u> शेयरधारकों की निधियाँ शेयर पूँजी रिजर्व एवं अधिशेष	3 3.1 3.2	1,000.00 13,214.01 14,214.01	1,000.00 12,797.35 13,797.35
<u>गैर चालू देयताएं</u> अन्य दीर्घ अवधि देयताएं दीर्घ अवधि प्रावधान	4 4.1 4.2	44.81 1,373.72 1,418.53	43.85 1,252.40 1,296.25
<u>चालू देयताएं</u> अल्प अवधि ऋण व्यापारिक देय अन्य चालू देयताएं अल्प अवधि प्रावधान	5 5.1 5.2 5.3 5.4	34,298.67 32,996.07 42,376.60 2,123.48 1,11,794.82	60,834.67 34,902.65 80,716.65 2,747.66 1,79,201.63
योग :		1,27,427.35	1,94,295.23
<u>परिसंपत्तियाँ</u> गैर चालू परिसंपत्तियाँ स्थायी परिसंपत्तियाँ मूर्त परिसंपत्तियाँ अमूर्त परिसंपत्तियाँ पूँजीगत कार्य प्रगति पर गैर चालू निवेश आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) दीर्घावधि ऋण व अग्रिम अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5	972.61 0.00 - 4,672.87 714.96 1,095.05 22.91 7478.40	1,072.14 0.05 5.14 4,852.79 335.49 964.82 28.15 7,258.58
<u>चालू परिसंपत्तियाँ</u> इन्वेट्री व्यापारिक प्राप्य रोकड़ व बैंक शेष अल्पावधि ऋण व अग्रिम अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	9,244.03 27,706.10 28,531.16 44,191.90 10,275.76 1,19,948.95	6,479.73 25,369.20 67,482.35 65,395.73 22,309.63 1,87,036.65
योग :	2	1,27,427.35	1,94,295.23
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			
संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं			

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं. 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी.के. कपिला) (मनोहर बलवानी)
पार्टनर महाप्रबंधक व कंपनी सचिव
एम नं. 016905

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त व लेखा)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 28 अगस्त 2012
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ मिलियन में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचलनों से राजस्व	8	6,63,248.84	6,90,560.03
अन्य आय	9	7,270.11	5,077.52
कुल राजस्व		6,70,518.95	6,95,637.55
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	-	-
स्टाक-इन-ट्रेड का क्रय	11	6,51,655.73	6,45,870.23
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य तथा स्टाक-इन-ट्रेड			
की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन	12	(2,776.36)	14,730.69
कार्मिक लागत पर व्यय	13	1,843.61	1,837.58
वित्तीय लागत	14	5,764.25	3,928.50
मूल्यहरास तथा परिशोधन व्यय		120.03	123.46
अन्य व्यय	15	12,150.81	27,180.80
कुल व्यय		6,68,758.07	6,93,671.26
विशिष्ट व असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ		1,760.88	1,966.29
विशिष्ट मदें	16	(1.29)	67.27
असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ		1,762.17	1,899.02
असाधारण मदें	17	1,002.05	-
कर पूर्व लाभ		760.12	1,899.02
कर व्यय :			
— चालू कर			
कराधान के लिए प्रावधान			
पूर्व वर्षों में			
— आस्थगित कर			
अवधि के लिए लाभ		533.50	755.20
प्रत्येक 1 रुपया प्रति शेयर के		(101.09)	36.21
अंकित मूल्य पर आय		(379.47)	(108.82)
मूल (रुपये में)		52.94	682.59
डाइल्यूटिड (रुपये में)			
महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अधिन्न अंग हैं		707.19	1,216.43
हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार			

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

एफ आर सं. 000287 एन

(सीए डी.के. कपिला)

पार्टनर

एम नं. 016905

(मनोहर बलवानी)

महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(सुनीर खुराना)
निदेशक

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(विजय पाल)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त व लेखा)

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(एम जी गुप्ता)

निदेशक (वित्त)

दिनांक : 28 अगस्त 2012

स्थान : नई दिल्ली

31.3.2012 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर व असाधारण मदों पूर्व लाभ		1,762.17	1,899.02
के लिए समायोजन :			
असाधारण मदे	(1,002.05)	-	
इंडोट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	12.06	107.76	
मूल्यह्रास व परिशोधन व्यय	120.48	123.41	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ) / हानि	91.75	(233.38)	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(0.12)	(0.76)	
ब्याज आय	(6,593.01)	(4,750.48)	
लाभांश लागत	(248.96)	(98.88)	
वित्त लागत	5,768.73	3928.50	
बदटे खाते में डाले गये ऋण / दावे	1.35	0.92	
संदिग्ध ऋण / कर्ज व अग्रिमों के लिए प्रावधान	133.10	229.39	
निवेश के मूल्य में ह्रास	0.03	-	
निवेश संपत्ति के मूल्य में ह्रास	1.25	1.25	
सीएसआर के लिए प्रयोग न किये गये बजट के लिए प्रावधान	-	0.97	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(14.51)	(40.98)	
देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है	(295.22)	(94.18)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	-	5.32	(821.14)
		(262.94)	1,077.88
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन			
इंडोट्रीज	(2,776.36)	14,760.86	
व्यापारिक प्राप्य	(2,338.66)	(10,104.55)	
ऋण व अग्रिम	20,529.70	50,122.40	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	12,033.86	488.61	
व्यापारिक देय	(1,806.93)	1,062.51	
अन्य देयताएं	38,339.66	43,366.60	
प्रावधान	84.84	(12,613.22)	324.69
		(12,876.16)	(123.02)
प्रदत्त कर		(305.97)	(875.68)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		(13,182.13)	(998.70)
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
मूर्त परिसंपत्तियों का क्रय	(15.86)	(13.83)	
मूर्त परिसंपत्तियों का विक्रय	(0.25)	0.85	
निवेशों का क्रय	(0.13)	(101.76)	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	-	(1,794.64)	
प्राप्त किया गया ब्याज	6,593.01	4,750.48	
प्राप्त लाभांश	248.96	6,826.23	98.88
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		6,826.23	2,939.98
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
लिये गये उधार	(26,536.00)	9186.70	
वित्त लागत	(5,768.73)	(3928.50)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	(290.56)	(32,595.30)	(524.74)
.वित्त पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		32,595.30	4,733.46
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		(38,951.19)	6,674.74
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का आरंभिक शेष		67,482.35	60,807.61
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष		28,531.16	67,482.35

टिप्पणी :

- जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।
- शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन कारपोरेट कार्यालय में किया गया।
- रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं:-

के अंत में

		2011-12		2010-11
क. उपलब्ध चैक व ड्राफ्ट		9.12		3.07
ख. उपलब्ध रोकड़		0.02		0.22
ग. बैंकों में उपलब्ध शेष				
- चालू खाते में		2,483.09		3,017.72
- कैश क्रेडिट खाते में (डेविट शेष)		174.29		12.43
- 3 माह तक की मूल मैच्युरिटी वाले आवधिक जमा		2,280.11		7,721.79
घ. अन्य*		23,584.53		56,727.12
*इनमें 2392.80 मिलियन (गत वर्ष 11489.08 मिलियन रुपये) लाभ राशि लियन के अंतर्गत जमा के रूप में शामिल हैं				
योग		28,531.16		67,482.35

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउटेंट्स)
एफ आर सं. 000287एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी.के. कपिला)
पार्टनर
एम नं. 016905

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबन्धक व कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त व लेखा)

(एम.जी. गुप्ता)
निदेशक (वित्त)

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 28 अगस्त 2012
स्थान : नई दिल्ली

31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समेकित लेखांकन नीतियां व टिप्पणियां

ये टिप्पणियां इसका अभिन्न अंग हैं और संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ पठित होनी चाहिए।

1. सामान्य सूचना :

कंपनी भारत में निगमित व स्थित है और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी-रत्न सार्वजनिक उपकरण है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर-1, स्कोप काम्पलेक्स 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003 भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियां खनिजों का निर्यात और बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन इत्यादि का आयात करना है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

2.1 वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार

- (क) वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अनुसार अकूल आधार पर तथा विवेकपूर्ण, संगत तथा भौतिक मौलिक लेखा नीति के सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- (ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में दिए गए हैं तथा यदि अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो सभी मूल्यों को राउंड ऑफ करते हुए आसपास के मिलियन में दिया गया है।

(ग) अनुपालन का विवरण

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों व समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

2. क्रय तथा विक्रय

- (क) ऐसे क्रय तथा विक्रय को लेखों में लिया गया है जिनके लिए कंपनी ने क्रेताओं / विक्रेताओं के साथ क्रय / विक्रय संविदा / करार किया है अथवा संविदा / करार/आबंटन के पूर्ण अथवा आंशिक निष्पादन के लिए सरकार से आबंटन प्राप्त हुआ है।

(ख) विशेष मदों के मामले में जिनका आयात कंपनी से सरपीकृत (कैनलाईज्ड) है जिसे भारत सरकार द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र के तहत 'सरकारी खाते में' आयात किया गया है, क्रय / विक्रय कंपनी के नाम लेखों में लिया गया है।

(ग) डिपोजिट के तहत प्राप्त सोना / चांदी

- i. एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्जिम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट कर्य आधार पर, डिपोजिट से लिया गया सोना / चांदी क्रय में सम्मिलित हैं।
- ii. घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय संबंधित मात्रा को डिपोजिट से लिया गया तथा आपूर्तिकर्ता के साथ हुए मूल्य निर्धारण पर लिया जाता है। वर्ष के अंत में कंपनी में उपलब्ध सोना / चांदी का डिपोजिट के तहत स्टॉक को चालू परिसंपत्तियों में 'बिना बिल के क्रय किये गये स्टाक' के रूप में लिया जाता है और उपलब्ध देयताओं को 'बिना बिल के क्रयों के लिए देय राशि' के रूप में वर्ष के अंत में बुलियन के चालू मूल्य पर लिया जाता है। यद्यपि, डिपोजिट में शेष माल के लिए प्रदत्त सीमा शुल्क को पूर्ण प्रदत्त व्ययों के रूप में दर्शाया जाता है।
- iii. डिपोजिट के अंतर्गत सोने / चांदी से ऋण आधार पर निकाले गये स्वर्ण / चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध केंडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण / विदेशी केंडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।
- iv. रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना / चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्य का 'निर्धारण' करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।
- घ) लौह अयस्क / मैग्नीज अयस्क के निर्यात के संबंध में जहां गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1% की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया जाता है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता

के खाते में है, विक्रय एवं क्य मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1% की दर से प्रावधान किया जाता है।

- ड) निपटान होने तक डिस्पैच/देय डैमरेज आदि जैसे कुछ व्यय/लाभ हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3 राजस्व पहचान

(क) राजस्व की पहचान अकूअल आधार पर की जाती है सिवाय निम्नलिखित मदों के जिनको लेखों में वास्तविक वसूली के आधार पर शामिल किया जाता है। चूंकि, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी मदों की वसूली, अनिश्चित है:

- टारगेट प्लस योजना, आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट, ड्यूटी केडिट का अर्थार्इजेशन।
- निष्पादन के लिए लंबित डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,
- प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।
- आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री-कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

(ख) बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा क्लेम्स को लेखों में लिया जाता है।

(ग) लाभ व हानि लेखों में दावों की पहचान अकूअल आधार पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सभिंडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिह्नित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4 पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपये के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में 5000/- रुपये की जमा राशि को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

2.5 अचल परिसंपत्तियाँ

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यहरास तथा क्षतिमूल्य को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि में निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को “भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियाँ हैं और न तो अचल परिसंपत्तियाँ और न ही भूमि कंपनी की हैं” के शीर्ष में कैपिटलाईज़ किया जाता है।

26. मूल्यहरास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यहरास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में दिए गए प्रावधानों के समान अथवा उससे अधिक है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहरास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। पट्टे की भूमि तथा डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत रेलवे वैगन रैक्स का चुकाया गया ऋण भी मूल्यहरास में शामिल है। लकड़ी के पार्टीशन तथा बनाए गए अस्थायी ढांचे खरीदे बनाए जाने के वर्ष से ही पूर्णतया मूल्य-शसित किये जाते हैं। चल परिसंपत्तियाँ जिनका वर्ष के प्रारंभ में रिटन डाउन वैल्यू अथवा वर्ष के दौरान की गई खरीद प्रत्येक मामले में 20,000/- रुपये अथवा इससे कम है तो 1/- रुपये के नामात्र मूल्य रखकर 100% मूल्यहरास का प्रावधान किया जाता है। मूल्यहरास की दरें इस प्रकार हैं:-

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाई गई मूल्यहरास की दरें	अनुसूची गपअ में दी गई मूल्यहरास की दरें
क. सामान्य परिसंपत्तियाँ		
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%	6.33%
वे ब्रिज	10%	4.75%
टाइपराइटर्स, मशीनें,	12.5%	4.75%
पंखे तथा कार्यालय उपस्कर		
एवं एसी		
वाहन	20%	9.50%
कम्प्यूटर्स (सॉफ्टवेयर सहित)	20%	16.21%
पट्टे की भूमि	लीज़ एग्रीमेंट के अनुसार	
वैगन रैक्स	करार/वैगन इन्चेस्टमेंट स्कीम के अनुसार	
पंखों के अतिरिक्त बिजली का सामान	10%	1.63%
जल आपूर्ति, मलवहन तथा निकासी	10%	1.63%
सड़कें तथा पुलियाँ	2.5%	1.63%

बिल्डिंग तथा फ्लैट्स	2.5%	1.63%
आवासीय प्लैट (बने बनाए)	5%	1.63%
भंडारगृह / गोदाम	4%	1.63%
ख. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां		
फैक्टरी बिल्डिंग	3.34%	3.34%
विद्युत व्यवस्था	4.75%	4.75%
जलापूर्ति	4.75%	4.75%
प्लांट एवं मशीनरी (सामान्य)		
एकल शिफ्ट	4.75%	4.75%
दो शिफ्ट	7.42%	7.42%
तीन शिफ्ट	10.34%	10.34%
प्लांट एवं मशीनरी (विंड मिल सहित) अनवरत प्रक्रिया	5.28%	5.28%
(ग) "भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां और न तो अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है"	परिसंपत्ति की उपयोगिता का जीवन काल या 5 वर्ष जो भी कम हो।"	
(घ) 20,000/- रुपये मूल्य तक की संपत्तियां	सभी चल 20,000/- रुपये की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल संपत्ति के वाली प्रत्येक परिसंपत्तियों	5000/- रुपये की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल संपत्ति के वाली प्रत्येक परिसंपत्तियों
ड.) मोबाईल हैंडसेट को इनकी खरीद वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है।		

2.7 निवेश

- (क) मूल्य में स्थाई मूल्यहरास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।
- (ख) निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- i. अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन-देन को विदेशी विनिमय में लेन-देन माना जाता है।
- ii. विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों (लम्बित ऋणों अथवा जहाँ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। सूचित की गई गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि की विनिमय दर पर आकलित किया जाता है। विनिमय

के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

- iii. अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस-11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।
- iv. फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम / डिस्काउंट तथा हानि / लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है।
 - (क) वर्तमान लेन-देन के विरुद्ध फारवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के संबंद्ध में, अनुबंध की अवधि के ऊपर प्रीमियम/डिस्काउंट आनुपातिक रूप से माने जाते हैं। विनिमय दर में अंतर की वजह से हानि/लाभ के बीच (i) अंतिम दर अथवा यदि लेन-देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तो निपटान की तिथि को की जाती है तथा (ii) फारवर्ड संविदा के आसंभ की तिथि के पश्चात विनिमय दर पर अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दर को वर्ष के ट्रेडिंग, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।
 - (ख) प्रककी वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमयातंर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के व्यापारिक, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।
- v. भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्ड रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्डः प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता है:-

- i. खनिज
- ii. बहुमूल्य धातुएं
- iii. धातुएं
- iv. कृषि उत्पाद
- v. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन
- vi. उर्वरक
- vii. सामान्य व्यापार/अन्य

उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ—साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए ए एस—17‘खंड रिपोर्टिंग’ के अनुरूप की गयी है।

गौण खंडः— निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात्

- i. भारत से बाहर
- ii. भारत के अंदर (भारत में ग्राहकों को हाई—सीज़ बिक्री सहित)

2.10. कर्मचारियों के लाभ

- i. ग्रेचुटी, छुट्टी नकदीकरण / उपयोग करना, सेवानिवृत्ति पश्चात् विकित्सा लाभ तथा दीर्घ सेवा लाभ जैसे सर्विस अवार्ड, अनुकंपा ग्रेचुटी तथा कर्मचारी लाभ योजना का प्रावधान इंस्टीट्यूटर आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी ए एस 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकन के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- ii. भविष्य निधि अंशदान, अक्रूअल आधार पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।
- iii. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उपदान व नोटिस वेतन का भुगतान वर्ष में खर्च हुए राजस्व में प्रभारित होता है।

2.11 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

- i. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।
- ii. कुछ मामलों में जहाँ स्टॉक हैंडलिंग एजेंट / एसडब्ल्यूसी / सीडब्ल्यूसी / प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण—पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है

2.12 स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वैट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक—टू—बैक लेन—देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित होता है। मूल्यांकन की विधि निम्नानुसार है:-

(क) निर्यात

- i) निर्यात स्टॉक का मूल्य—निर्धारण उस स्थान तक जहाँ स्टॉक पड़ा है, वहाँ तक किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार—मूल्य से उन खर्चों को

घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुँचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

- ii) खनिज अयस्कों के संबंध में निर्यात अनुबंध के अनुसार खनिज अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नभी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वैट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

- i) आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य—निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहाँ शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहाँ माल रखा गया है वहाँ तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है तथापि जहाँ स्टॉक विशेषतया रखने योग्य है वहाँ तक किये गये सभी व्ययों को शामिल करके माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

- ii) पुनः पूर्ति विकल्प के तहत निर्यातकों द्वारा बुक किये गये माल के तहत विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदा गया सोना/चांदी जिसकी सुपुर्दगी वर्ष के अंत तक नहीं की गयी है कंपनी के स्टॉक के रूप में दर्शाए जाते हैं और लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

(ग) घरेलू

- i. सोने चांदी के मेडलियन तथा चांदी के सामान का मूल्य वार्षिक आधार पर माल की स्थानीय भारित लागत तथा प्रारंभिक स्टॉक की लागत पर तय किया जाता है। लागत में विनिर्माण/फेब्रीकेशन प्रभार, छीजन तथा अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित हैं।
- ii. तराशे और पॉलिश किये गये पत्थर, (परिष्कृत / अर्धपरिष्कृत) तथा स्वर्णभूषण के संबंध में जहाँ स्टॉक विशेषतया पहचान योग्य है उस स्थान तक माल उपलब्ध है के समस्त व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।
- iii. पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन निम्नतर लागत पर या 31 मार्च को प्राप्ति योग्य मूल्य पर की जाती है।
- iv. ऋण/फैब्रीकेशन पर स्टॉक: फैब्रीकेटरों के पास स्टॉक के समायोजन तक कंपनी का स्टॉक माना जाता है।

2.13. पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मद तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार “पूर्व अवधि समायोजन खाता” के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय/आय दर्शाएं जाते हैं।

2.14 ऋण लागत

- (i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।
- (ii) मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण पर आरोपित ऋण लागत को इन परिसंपत्तियों के अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक की लागत के एक भाग के रूप में कैपिटलाईज़ किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान जिस वर्ष में व्यय किए गए हैं उस वर्ष के व्ययों के रूप में की जाती है।

2.15. आस्थगित कर

आस्थगित कर को युक्ति-युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनकों एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन-पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर-कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16. परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों के लाने-ले जाने की कैरिंग लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित(रिवर्स) कर दिया जाता है।

2.17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

(I) प्रावधान

(क) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां अपनी देय राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूली अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों की बकाया के लिए

(सरकारी प्राप्य राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। यह निश्चित हो जाने पर कि वसूली नहीं की जा सकती तब ऋण/अग्रिम/दावे राईट-ऑफ किए जाते हैं।

(ख) अन्य

- (i) प्रावधान तब मान्य है जब
 - (क) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो।
 - (ख) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफलों होने की उम्मीद हो।
 - (ग) तथा बाध्यता की राशि का ठोस आकलन किया जा सकता हो।
- (ii) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो जाए कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।
- (iii) प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर प्रावधानों की पुनरीक्षा की जाती है।

(II) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

- i. आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता है।
- ii. आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती है और न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व-प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रथापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

3. शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयरपूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का समायोजन

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012		31-03-2011	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क. प्राधिकृत प्रत्येक 1/- रुपए सममूल्य के इकिवटी शेयर		1,000,000,000	1,000.00	1,000,000,000
ख. निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त आरंभिक शेष जोड़े गए*		1,000,000,000	1,000.00	50,000,000
				4,50,000,000
				5,00,000,000
कटौती अंतिम शेष		1,000,000,000	1,000.00	1,000,000,000
				1,000.00

*वर्ष 2010-11 के दौरान, 10/- रुपए प्रत्येक मूल्य के निगम के 5,00,00,000 शेयरों को 1/- रुपये प्रत्येक मूल्य के 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्यतः अधिशेष रिजर्व से 500 मिलियन रुपए का पूंजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए

निगम के एक ही वर्ग के शेयर हैं जिसमें 1/- रुपए प्रत्येक के मूल्य के सामान्य शेयर हैं। निगम के संगम अनुच्छेद तथा लागू कानूनों के अनुसार धारकों को निगम का सामान्य शेयर निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किन्हीं अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करन की पात्रता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होलिडंग कंपनी नहीं है अतः इसकी होलिडंग कंपनी अथवा इसकी सहायक अथवा एसोसिएट्स द्वारा कोई शेयर नहीं रखे गए हैं।

प्रवर्तकों के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास निगम के 51 से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रवर्तकों, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.03.2012 को 993,312,000 शेयर) की थी।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012		31-03-2011	
	रिजर्व	अधिशेष	रिजर्व	अधिशेष
पूंजी रिजर्व—आरंभिक शेष		0.69		0.69
जोड़े: अधिशेष से अंतर्गत		0.00		0.00
अंतिम शेष अधिशेष		0.69		0.69
अधिशेष—आरंभिक शेष		5881.13		6251.13
जोड़े: लाभ व हानि विवरण से अंतरित कर पश्चात		75.00		130.00
		5956.13		6381.13
सकल लाभ		0.00		500.00
अंतिम शेष		5956.13		5881.13
अधिशेष				
अधिशेष — आरंभिक शेष		6915.53		6119.65
जोड़े: लाभ व हानि विवरण से अंतरित कर पश्चात		707.22		1216.43
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		7622.75		7336.08
विनियोजन:				
अंतिम लाभांश		250.00		250.00
लाभांश कर		40.56		40.55
सामान्य रिजर्व में अंतरित राशि		75.00		130.00
अधिशेष—अंतिम शेष		7257.19		6915.53
योग		13214.01		12797.35

4. गैर चालू देयताएं

4.1 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
द्रेड देय		
- एमएसएमई के अतिरिक्त	12.86	12.86
- एमएसएमईज	-	12.86
अन्य		
- बिक्री कर / सीएसटी / सीमाशुल्क	18.74	18.74
- अन्य	13.21	12.25
शेष	44.81	43.85

4.2 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
क. कर्मचारी लाभ		
I. छुट्टी नकदीकरण	214.73	211.29
II. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	924.78	808.28
III. अर्धवेतन अवकाश	145.76	143.60
IV. सेवा अवार्ड	46.15	48.52
V. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	2.38	2.65
VI. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	39.92	1373.72
ख. अन्य		-
शेष	1373.72	1252.40

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
क. बैकों से मांग होने पर देय ऋण		
(i) सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्तियां तथा वर्तमान एवं भविष्य की अन्य चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	34298.67	50019.92
(ii) असुरक्षित	34298.67	10814.75
कुल योग	34298.67	60834.67

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं ली गई है।

बैकों से कैश क्रेडिट / पैकिंग क्रेडिट खाते / अन्य से ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना है।

किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में निगम ने चूक नहीं की है।

5.2 व्यापारिक देय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
क. विविध लेनदार		
I. एमएसएमई के अतिरिक्त	26419.96	25476.54
II. एमएसएमईज	-	25476.54
ख. देय बिल	6576.11	9426.11
कुल योग	32996.07	34902.65

विविध लेनदारों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ऋण पर स्वर्ण लेकर निगम के ग्राहकों को ऋण आधार पर जारी किए गए 10217.50 मिलियन रूपए (विगत वर्ष 11846.15 मिलियन रूपए) के अप्रयोगमूलक मूल्य का 3747 किलोग्राम (विगत वर्ष 5695 किलोग्राम) स्वर्ण शामिल है।

5.3 अन्य (चालू देयताएं (मिलियन रुपये में)

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011	
क. ऋण पर अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज	229.26		156.35
ख. ऋण पर अर्जित तथा देय ब्याज	1.44		0.63
ग. अग्रिम में प्राप्त आय	-		-
घ. अन्य देय (प्रकृति का विशेष रूप से ब्यौरा दें)			
– विविध लेनदार – अन्य	88.62	77.34	
– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	596.92	6818.08	
– भुगतान न किए गए लाभांश	0.05	-	
– देय डिस्पैच	35.76	31.67	
– देय डेमरेज	88.80	116.50	
– विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	1546.87	684.67	
– सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	1105.73	640.16	
– करों तथा कर्मचारियों के बकाया के लिए प्रेषित राशि	815.00	1240.08	
– फारवर्ड कवर आदि	24059.69	32130.97	
– वेतन व भत्ते	61.68	59.60	
– प्रशासनिक व्यय	133.38	203.25	
– बिना बिल के क्रय के लिए देय राशि	9941.28	21584.98	
– अन्य	3672.11	42145.89	16972.37
कुल योग		42376.60	80716.65

5.4 लघु अवधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011	
क. कर्मचारी लाभ			
i. बोनस/निष्पादन संबंधित वेतन	110.47	200.92	
ii. अर्जित अवकाश	25.32	19.59	
iii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	57.22	50.53	
iv. अर्धवेतन अवकाश	15.16	10.40	
v. ग्रेच्युटी	-	27.18	
vi. अधिवर्षिता लाभ	287.55	220.57	
vii. सेवा अवार्ड	7.06	5.01	
viii. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	0.29	0.23	
ix. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	4.29	3.85	
x. अन्य	-	-	
		507.36	538.28
ख. अन्य			
i. कराधान	1324.84	1912.53	
ii. प्रस्तावित लाभांश	250.00	250.00	
iii. लाभांश वितरण कर	40.56	40.56	
iv. गंतव्य भारत तथा विश्लेषण जोखिम	-	5.32	
v. कारपोरेट सामाजिक दायित्व	0.72	1616.12	0.97
कुल योग		2123.48	2209.38
			2747.66

6. गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

- 6.1 स्थायी परिसंपत्तियाँ
- 6.1.1 मूर्त (टैंजीबल) परिसंपत्तियाँ

	सकल ब्लॉक				
	01.04.2011	जोड़े गए	निपटान किए गए	31.03.2012	01.04.2011 को आरंभिक शेष
फ्रीहोल्ड भूमि					
– कार्यालय भवन	3.66	-	-	3.66	-
– स्टॉफ क्वार्ट्स	1.33	-	-	1.33	-
लीज होल्ड भूमि					
– कार्यालय भवन	40.14	-	-	40.14	10.77
– स्टॉफ क्वार्ट्स	2.67	-	-	2.67	1.04
भवन					
– कार्यालय भवन	128.01	-	0.00	128.01	46.76
– स्टॉफ क्वार्ट्स	65.66	-	0.00	65.66	49.28
– जलापूर्ति, मल निकासी तथा डरेनेज	9.46	-	-	9.46	9.27
– विद्युत इंस्टालेशंस	17.52	-	0.01	17.51	15.47
– सड़के व पुलिया	3.58	-	-	3.58	2.23
– आडियो / अग्नि / वातानुकूल	13.00	0.02	0.56	12.46	12.83
संयंत्र तथा उपस्कर	786.06	10.85	0.17	796.73	208.38
फर्नीचर तथा फिटिंग्स					
– पार्टिशन	21.67	0.95	0.53	22.09	21.22
– अन्य	51.05	0.75	2.11	49.69	46.64
वाहन	24.17	-	0.95	23.22	15.91
कार्यालय उपस्कर	66.95	4.07	9.54	61.47	54.52
अन्य –					
रेलवे वैगन रेक्स	553.64	-	-	553.64	255.59
बीएनएचटी पर रेलवे लूप लाइन	26.17	-	-	26.17	26.17
गोदाम	34.11	-	-	34.11	15.31
कम्प्यूटर / डाटा प्रोसेसर्स	175.47	4.36	7.61	172.22	160.79
कुल योग	2024.33	21.00	21.48	2023.85	952.19
विगत वर्ष	2064.14	15.67	55.48	2024.33	846.74

- (क) कुछ कार्यालयों से कार्यालय की निर्माणाधीन भूमि / भवन / फ्लैट्स / पुलियाँ, सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के अंतरिम बिलों के लंबित प्राप्ति के कारण या निर्माणाधीन लीज डीड का निष्पादन होने तक इन्हें अस्थायी आधार पर आंका गया है।
- (ख) दिल्ली के स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टाधारित भूमि, सड़कें और पुलियाँ, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।
- (ग) आवासीय फ्लैटों में 0.002 मिलियन रु0 (गतवर्ष 0.002 मिलियन रु0) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुल फ्लैटों में जिनका मौलिक मूल्य 31.3.2012 को 4.89 मिलियन रु0 (गत वर्ष 4.89 मिलियन रु0) है, का अंतरण लंबित है।
- (घ) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 3.09 मिलियन रु0 है (गत वर्ष 3.09 मिलियन रु0 है, और मूल्य हरास 2.57 मिलियन रु0 (गत वर्ष 2.51 मिलियन रु0 का प्रावधान है।

(₹ मिलियन में)

मूल्य हरास / क्षति			सकल कैरिंग मूल्य		
वर्ष के लिए मूल्य हरास	अनुयोग	कटौतियां	31.3.2012 को शेष	31.03.2012	31.03.2011
-	-	-	-	3.66	3.66
-	-	-	-	1.33	1.33
0.50	11.28	-	11.28	28.86	29.36
0.03	1.07	-	1.07	1.60	1.63
3.31	50.07	-	50.07	77.94	81.25
1.28	50.56	-	50.56	15.10	16.38
0.04	9.31	-	9.31	0.16	0.19
0.31	15.78	0.01	15.78	1.74	2.05
0.09	2.32	-	2.32	1.26	1.35
0.02	12.85	0.56	12.29	0.17	0.17
39.26	247.64	0.17	247.47	549.26	577.68
0.96	22.18	0.53	21.65	0.44	0.45
2.31	48.94	2.11	46.84	2.85	4.41
3.03	18.94	0.95	17.99	5.23	8.26
4.42	58.94	9.39	49.56	11.91	12.43
55.36	310.96	-	310.96	242.68	298.05
-	26.17	-	26.17	0.00	0.00
1.36	16.68	-	16.68	17.44	18.80
8.10	168.89	7.63	161.26	10.97	14.68
120.39	1072.58	21.35	1051.23	972.61	1072.14
124.66	971.40	19.21	952.19	1072.14	-

(गत वर्ष ₹2.51 मिलियन रु)

- (ड) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत 0.66 मिलियन रु (गत वर्ष 0.66 मिलियन रु) है।
- (च) पारादीप में लीजहोल्ड पर बने रिहायशी भवन, सड़कों व पुलियों के बिजली उपकरण व्यवस्थाओं की लागत 11.63 मिलियन (गत वर्ष 11.63 मिलियन रु0) जो 20.11.2010 को समाप्त हो चुकी है तथा संचित मूल्यहरास 5.72 मिलियन रु (गत वर्ष 5.42 मिलियन रु) है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण की स्वीकृति प्रतीक्षित है।
- (छ) वर्ष के लिए मूल्यहरास में पूर्वावधि मदों के अंतर्गत दर्शाए गए 0.41 मिलियन रु शामिल हैं।

6.1.2 अमृत परिसंपत्तियां

	सकल ब्लॉक						
	01.04.2011	जोड़े गए	व्यापार संयोजन द्वारा जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान	31.03.2012	01.04.2011 को आरंभिक शेष
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.19	-	-	-	-	0.19	0.14
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	0.19	-	-	-	-	0.19	0.14
विगत वर्ष	-	0.19	-	-	-	0.19	-

6.1.3 प्रगति पर पूँजीगत कार्य

	परिसंपत्तियां						
	01.04.2011	जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान	31.03.2012	01.04.2011 को आरंभिक शेष	
भवन							
– निर्माणाधीन भवन	6.71	0	0	0	6.71	6.71	
– विद्युत इंस्टानलेशन	6.7	0	0	0	6.7	6.7	
– सड़कें तथा पुलियां	0.47	0	0	0	0.47	0.47	
संयंत्र एवं उपस्कर	18.94	0	-5.14	0	13.8	13.8	
कुल	32.83	0	-5.14	0	27.69	27.69	
विगत वर्ष	34.87	0.85	-2.89	0	32.83	27.69	

49 वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

(₹ मिलियन में)

अमोर्टाइजेशन					सकल कैरिंग मूल्य	
वर्ष के लिए मूल्यहरास	क्षति/क्षति का निराकरण (रिवर्सल)	अनुयोग	कटौतियां	31.03.2012 को शेष	31.03.2012	31.03.2011
0.05	-	0.19	-	0.19	-	0.05
-	-	-	-	-	-	-
0.05	-	0.19	-	0.19	-	0.05
0.14	-	-	-	0.14	0.05	-

(₹ मिलियन में)

मूल्यहरास / क्षति					सकल कैरिंग मूल्य	
वर्ष के लिए मूल्यहरास	क्षति/क्षति का निराकरण (रिवर्सल)	अनुयोग	कटौतियां	31.03.2012 को शेष	31.03.2012	31.03.2011
0	0	6.71	0	6.71	0	0
0	0	6.7	0	6.7	0	0
0	0	0.47	0	0.47	0	0
0	0	13.8	0	13.8	0	5.14
0	0	27.69	0	27.69	0	5.14
0	0	27.69	0	27.69	5.14	-

6.2 गैर चालू निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
I. व्यापारिक निवेश		
क) निवेश संपत्ति		
बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स	35.06	36.31
ख) इकिवटी दस्तावेजों में निवेश		
अ) सहायक कंपनियाँ		
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि० (प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 के 1,4,61,502 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 के 1,4,61,502 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर)	31.45	31.45
ब) एसोसिएट्स		
i. नीलाचल इस्पात निगम लि०		
प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 1999,000,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर	3796.85	1990.00
ii. डिवोना थर्मल पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि०		
प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर	0.13	3796.98
ग. संयुक्त उपक्रम		
i. ग्रेटर नोएडा इंटिग्रेटेड वेयर-हाउसिंग प्रा.लि.		
प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर) घटाएँ: निवेश के मूल्य में हरास के लिए प्रावधान	0.03	0.03
	0.03	-
	0.00	0.03
ii. फ्री ट्रेड वेयर-हाउसिंग प्रा०लि०		
प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर)	0.03	0.03
iii. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा०लि०		
प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 15,600,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 15,600,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर)	156.00	156.00
iv. सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि०		
प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- रु मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर)	338.00	338.00

v. एमएमटीसी गीतांजली प्राइलि० प्रत्येक 10/- – रु मूल्य के 2,506,400 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- – रु मूल्य के 2,506,400 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर) 25.06			25.06	
vi. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिं प्रत्येक 5/- – रु मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 5/- – रु मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर) 260.00			260.00	
vii. टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड प्रत्येक 10/- – रु मूल्य के 26,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- – रु मूल्य के 26,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर) 0.26	779.35	0.13	779.25	
घ. अन्य				
i. इंडो फ्रैंच बायोटैक लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- – रु मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर) घटाएः निवेश के मूल्य में हरास के लिए प्रावधान 47.50 47.50 0.00			47.50	
ii. यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड प्रत्येक 10/- – रुपये मूल्य के 3,000,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- – रुपये मूल्य के 3,000,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर) 30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
ग. सरकारी तथा ट्रस्ट सिक्यूरिटीज में निवेश 9 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2013 (गतवर्ष 0.03 मि.रु.) 0.03			0.03	
घ. अन्य				
इकिवटी जिसका आबंटन लम्बित है, के लिए अग्रिम – हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि. – इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग काण्डला प्रोजेक्ट्स डिवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	-		160.00 18.77 1806.85	1985.62
II. अन्य निवेश				
कुल योग		4672.87		4852.79

सभी गैर चालू निवेशों का आकलन मूल्य में स्थायी ह्रास यदि कोई हो तो, के लिए किए गए प्रावधान को घटा कर लागत पर किया जाता है। निगम के कोई उद्धृत निवेश नहीं है। अनउद्धृत निवेशों की कुल योग राशि 4685.33 मिलियन रुपये (गतवर्ष 2878.35 मिलियन रुपये) है। निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए 47.53 मिलियन रुपये (गतवर्ष 47.50 मिलियन रुपये) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है।

दिनांक 31.03.2011 को निवेश में दिए गए 178.77 मिलियन रुपये की राशि भूमि की खरीद/भूमि के लीज किराय के भुगतान के लिए एचएफटीडब्ल्यूपीएल तथा आईडब्ल्यूकैपीडीपीएल को जारी किए गए। “आबंटन होने तक इकिवटी के लिए अग्रिम” को दर्शाता है। इस राशि को दिनांक 30.03.2012 से “परियोजना विकास निधि” में अंतरित कर दिया गया है तथा इसे “दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम” में दर्शाया गया है। इसलिए दिनांक 31.03.2012 को इन्हें निवेश में नहीं दिखाया गया है।

“आबंटन होने तक इकिवटी के लिए अग्रिम” के अंतर्गत दिनांक 31.03.2012 को निवेश में दर्शाए गए 1806.35 मिलियन रुपये की राशि को चालू वर्ष के दौरान इकिवटी शेरयरों में अंतरित कर दिया गया तथा तदनुसार इसे दिनांक 31.03.2012 को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में “इकिवटी इंस्ट्र्युमेंट में निवेश के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

6.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सकल)

(₹ मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.2011 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता	2011–12 के दौरान क्रेडिट/चार्ज	31.03.2012 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता
मूल्यह्रास	(216.58)	21.71	(194.87)
धारा 43 बी के अंतर्गत अस्वीहकृति	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	444.72	363.01	807.73
टीडब्ल्यूए जोखिम	1.72	(1.72)	-
वीआरएस व्याय	16.19	(7.63)	8.56
आईटी विभाग से	17.88	(17.88)	-
प्राप्त व्याज	71.56	21.98	93.54
कुल	335.49	379.47	714.96

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
क. सुरक्षित जमा		
I. वसूली योग्य सुरक्षित	8.24	-
II. वसूली योग्य असुरक्षित	78.73	86.87
III. संदिग्ध	36.82	36.82
अनुयोग	123.79	123.69
घटाएँ: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	36.82	36.82
ख. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम		
I. वसूली योग्य सुरक्षित	-	-
II. वसूली योग्य असुरक्षित	0.99	0.25
III. संदिग्ध	4.85	4.85
अनुयोग	5.84	5.10
घटाएँ: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	4.85	4.85
ग. अन्य ऋण व अग्रिम		
I. वसूली सुरक्षित		
पी.एस.यू.ज / अन्य कम्पनियों को ऋण / अग्रिम अर्जित तथा प्राप्त / अप्राप्य व्याज कर्मचारियों को ऋण	210.85 60.86 173.76	33.20 28.32 170.21
II. वसूली योग्य, असुरक्षित अर्जित तथा प्राप्त / अप्राप्य व्याज कर्मचारियों को ऋण	3.36 49.55	4.72 67.38
अन्य	508.71	573.87
III. संदिग्ध	290.95	289.99
अन्य योग	1298.04	1167.69
घटाएँ: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	290.95	289.99
कुल योग	1095.05	964.82

उपरोक्त राशि से निगम के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फार्म या प्राइवेट कम्पनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है, से 0.97 मिलियन रुपए (गतवर्ष शून्य मिलियन रुपये) की राशि प्राप्त है।

6.5 अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
दीर्घावधि ट्रेड प्राप्ति				
i. वसूली योग्य (परिसम्पत्तियों की हाइपोथिकेशन / टाइटल डील्स के मार्टगेज तथा बैंक गारंटियों से सुरक्षित)	0.96		1.78	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	21.95		26.37	
iii. संदिग्ध*	1315.86		127.31	
अनुयोग	1338.77		155.46	
घटाएः: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान*	1315.86	22.91	127.31	28.15
कुल योग		22.91		28.15

*क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई के कुछ मामलों में हुई भूल चूक के समाधान/जाँच पूरी होने तक 1002.05 मिलियन रुपए का सकल योग्य एवं तदर्थ प्रावधान इसमें शामिल है।

7. चालू परिसम्पत्तियाँ

7.1 इन्वेंट्रीज़

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. कच्चा माल	93.94		63.90	
ख. प्रगति पर कार्य	-		-	
ग. तैयार माल	-		-	
घ. स्टॉक -इन-ट्रेड (1809.95 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1564.95 मिलियन रुपये) मूल्य गुडस इन ट्रॉजिट शामिल हैं।)	9148.89		6415.25	
ड. स्टोर्स एंड स्पेयर्स	-		-	
च. लूज टूल्स	-		-	
छ. पैकिंग सामान	1.20		0.58	
ज. अन्य (विशिष्ट प्रकृति के)	-	9244.03	-	6479.73
कुल योग		9244.03		6479.73

जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया। गुडस इन ट्रॉजिट सहित इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

बाजार मूल्य पर किया गया अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से भी कम होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 12.06 मिलियन रुपये (गत वर्ष 107.76 मिलियन रुपये) की हानि हुई।

इन्वेंट्री में 85.98 मिलियन रुपये मूल्य के स्टॉक शामिल हैं जो आईसीडी लुधियाना में प्राप्त हुए हैं तथा जिसके संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बिल ऑफ एंट्री फाईल की गई है। परन्तु आपूर्तिकर्ता द्वारा मास्टर बिल ऑफ लैडिंग उपलब्ध न करवाने के कारण क्षेत्रीय डिलीवरी प्राप्त नहीं कर सका।

7.2 ट्रेड प्राप्ति (रिसिवेबल्स)

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. भुगतान के लिए नियत तिथि से से छ: माह अधिक की अवधि के बकाया ट्रेड प्राप्ति				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	1015.72		39.50	
ii. वसूली योग्य, असुरक्षित	1161.08		635.70	
iii. संदिग्ध	546.88		625.13	
घटाएः: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2723.68		1300.33	
	546.88	2176.80	625.13	675.20
ख. अन्य ट्रेड प्राप्ति				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	11479.88		3470.73	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	14049.42		21223.27	
iii. संदिग्ध	-		-	
घटाएः: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	25529.30		24694.00	
	-	25529.30	-	24694.00
कुल योग		27706.10		25369.20

7.3 रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
– उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्ट्स		9.12		3.07
- उपलब्ध रोकड़		0.02		0.22
- बैंकों के पास शेष				
क) चातू खाते में	2483.09		3017.72	
ख) कैश क्रेडिट खाते में	174.29		12.43	
ग) तीन माह की मूल मैच्यूरिटी के साथ सावधि जमा	2280.11	4937.49	7721.79	10751.94
ख. बैंकों के पास अन्य शेष	2392.80		11489.08	
– मार्जिन राशि के रूप में लियन के अन्तर्गत				
– तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल मैच्यूरिटी के सावधि जमा	21170.49		43643.28	
– 12 माह से अधिक अवधि की मूल मैच्यूरिटी	21.24	23584.53	1594.76	56727.12
कुल योग		28531.16		67482.35

मार्जिन राशि अथवा ऋणों के लिए सिक्यूरिटी, गारंटी, अन्य बाध्यताओं के रूप में बैंकों के पास 2392.80 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 11489.08 मिलियन रुपए) शेष है।

भुगतान न किए गए लाभांश के लिए बैंकों के पास शेष में 0.05 मिलियन रुपए(विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) शामिल है।

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स द्वारा जारी लेखा मानक-3 के प्रावधानों के अनुरूप “रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष” को “रोकड़ एवं बैंक शेष” में परिवर्तित किया गया है।

7.4 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
ख. अन्य				
i. अन्य प्राप्य बिल	1188.13		200.04	
घटाएँ : बिल्स डिस्काउंटेड	7.01		34.91	
वसूली योग्य – सुरक्षित		1181.12		165.13
ii. रोकड़ अथवा माल के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
वसूली योग्य – सुरक्षित	39239.96		44675.69	
वसूली योग्य – असुरक्षित	2135.67		17896.16	
संदिग्ध	176.55		178.27	
घटाएँ : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधान	41552.18		62750.12	
iii. आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम	176.55	41375.63	178.27	62571.85
वसूली योग्य – सुरक्षित			10.60	
वसूली योग्य – असुरक्षित	0.26		607.93	
संदिग्ध	308.80		80.64	
घटाएँ : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधान	399.02		699.17	
iv. आयकर (अग्रिम आयकर, टीडीएस तथा प्राप्य रिफंड	89.96	309.06	80.64	618.53
सहित वसूली योग्य – असुरक्षित				2040.22
कुल योग		44191.90		65395.73

निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों (मुख्य महाप्रबंधक तथा कम्पनी सचिव) को प्राप्य 2.45 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.79 मिलियन रुपए)

7.5 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
आस्थगित प्रीमियम	334.49		724.65	
बिल न किए गए क्रय के प्रति स्वर्ण / चांदी का स्टॉक	9941.27		21584.98	
घटाएँ : संदिग्ध राशि, यदि कोई हो तो, के लिए प्रावधान	10275.76		22309.63	
कुल योग	-	10275.76	-	22309.63

8. प्रचालन से राजस्व

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11	
क. उत्पादों के विक्रय	659290.67	688544.84	
ख. सेवाओं के विक्रय	0.46	0.12	
ग. अन्य प्रचालन राजस्व			
– अर्जित डिस्पैच	5.25	0.04	
– दावे	370.22	653.76	
– आर्थिक सहायता	2937.36	881.64	
– अन्य व्यापारिक आय	647.98	479.63	2015.07
घटाएँ :			
घ. आबकारी शुल्क	3.10	3.10	-
कुल योग	663251.94	663248.84	690560.03

विगत वर्षों के दौरान एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए आयात किए गए कोयले के संबंध में, गंतव्य स्थान पर अंतिम गुणवत्ता विश्लेषण प्राप्त न होने के कारण फाइनल बीजक (इन्वायस) जारी किए जाने तक कुछ मासलों में अनन्तिम आधार पर बिक्री बुक की गई लाभप्रदता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि फाइनल बीजक (इन्वायस) जारी होने पर यदि कोई अंतर होगा तो वह आपूर्तिकर्ता के खाते में होगा।

9. अन्य लाभ

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11	
क. ब्याज			
– फिक्स डिपाजिट पर ब्याज	3860.70	2522.95	
– ग्राहकों की विलम्बित राशि से ब्याज	113.76	25.27	
– अन्य	2483.71	6458.17	2202.25
ख. सहायक कम्पनी से लाभांश		248.96	4750.47
ग. निवेशों की बिक्री से सकल लाभ / हानि		-	98.88
घ. अन्य गैर-प्रचालन आय (उक्त आय पर प्रत्यक्ष व्यय घटाकर)			-
– स्टाफ क्वार्टर किराया	5.40	4.33	
– विविध प्राप्तियाँ	157.97	109.28	
– रिटर्न बैंक देयताएं	295.22	94.18	
– विदेशी मुद्रा विनियम अर्जन	104.39	20.38	
घटाएँ : विदेशी मुद्रा विनियम हानि	-	562.98	-
कुल योग	7270.11		228.17

10. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11	
कच्चा माल	-	-	-
पैकिंग सामान	-	-	-
कंज्यूमेबल्स	-	-	-
लूज टूल्स	-	-	-
कुल योग		-	-

11. स्टॉक इन-इन्ड्रेड का क्रय

(₹ मिलियन में)

उत्पाद समूह	2011-12	2010-11	
क. क्रय			
बहुमूल्य धातुएं	503594.92	497747.15	
अलोह धातुएं	22746.45	20027.54	
उर्वरक	57397.86	19383.04	
खनिज	10427.92	28607.20	
कृषि उत्पाद	22346.45	13938.73	
कायेला व हाईड्रोकार्बन	34753.16	66036.06	
सामान्य व्यापार	396.93	87.76	645827.48
ख. माल के रूप में प्राप्त/जारी किया गया स्टॉक			
बहुमूल्य धातुएं	(7.96)		42.75
कुल योग	651655.73		645870.23

12. इन्वैट्रीज में परिवर्तन

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11
क. तैयार माल		
आरभिक शेष	-	-
अंतिम शेष	-	-
तैयार माल की इन्वैट्रीज में परिवर्तन	-	-
ख. प्रगति पर कार्य		
आरभिक शेष	-	-
अंतिम शेष	-	-
प्रगति पर कार्य की इन्वैट्रीज में परिवर्तन	-	-
ग. स्टॉक-इन-ट्रेड		
आरभिक शेष	6479.73	21306.11
अंतिम शेष	9256.09	6575.42
स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वैट्रीज में परिवर्तन	(2776.36)	14730.69
कुल योग	(2776.36)	14730.69

13. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11
i. वेतन तथा भत्ते	1685.64	1596.38
ii. भविष्य निधि तथा अन्य में अशंदान	125.17	144.64
iii. ईएसओपी / ईएसपीपी	-	-
iv. स्टॉफ कल्याण व्यय	32.80	96.56
कुल योग	1843.61	1837.58
वेतन व भत्तों में शामिल है :-		
i. वेतन व भत्ते	1121.58	1063.36
ii. छुट्टी नकदीकरण	123.37	71.42
iii. वीआर व्यय	36.87	5.40
iv. बोनस	0.78	1.48
v. निष्पादन संबंधित वेतन	50.92	84.27
vi. चिकित्सा व्यय	283.96	308.24
vii. अधिवर्षिता लाभ	66.48	60.57
viii. ग्रूप बीमा	0.40	0.61
ix. डीएलआईएस में अशंदान	1.28	1.03
कुल योग	1685.64	1596.38
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान		
i. भविष्य निधि	80.36	74.98
ii. ग्रेच्युटी निधि	35.15	58.13
iii. परिवार पैशन योजना	9.66	11.53
कुल योग	125.17	144.64

वेतन संशोधन के लिए डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान अधिवर्षिता लाभ के लिए 66.48 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 60.57 मिलियन रुपए) की देयता का प्रावधान किया गया।

14. वित्त लागत

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11
I. ब्याज व्यय	5035.63	3620.68
II. अन्य ऋण लागत	-	7.72
III. विदेशी मुद्रा पर लागू सकल लाभ / हानि	-	-
IV. फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम	728.62	300.11
कुल योग	5764.25	3928.50

ब्याज व्यय में अग्रिम आयकर के भुगतान में कमी के लिए भुगतान किए गए 14.34 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 16.15 मिलियन रुपए) शामिल है।

15. अन्य व्यय

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11
क. प्रचालन व्यय		
भाड़ा	1543.42	7902.86
डेमरेज	32.00	13.89
विलयरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	928.37	6335.64
एल/सी नेगोशिएशन व अन्य प्रभार	31.40	26.36
विनियम में अन्तर (1)	195.57	(215.52)
सीमा शुल्य	8807.41	12088.14
बीमा	9.52	13.97
गोदाम बीमा	10.62	11.50
प्लॉट तथा गोदाम किराया	24.12	54.24
पैकिंग माल	22.00	16.83
भार में अंतर तथा विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	0.00	5.32
	11604.43	26253.24
ख. प्रशासनिक व्यय		
स्टोर्स तथा स्पेयर पार्ट्स का उपभोग	-	-
उर्जा एवं इंधन	-	-
किराया	22.41	41.42
भवनों की मरम्मत	39.09	37.34
मशीनरी की मरम्मत	4.44	5.95
बीमा	3.40	2.84
दरें एवं कर	24.83	8.19
पूर्वावधि मर्दे (2)	(109.26)	15.22
विविध व्यय (3)	561.47	816.60
	546.38	927.56
कुल योग	12150.81	27180.80

(i) बी/एल तिथि को अप्रयोगमूलक विनियम दरों को अपनाने के कारण :

(क) आयात के लिए 335.50 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 724.65 मिलियन रुपए) के आस्थगित फारवर्ड प्रीमियम तथा निर्यात के लिए (1.10) मिलियन रुपए (विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपए की पहचान अगले लेखा वर्ष के लाभ हानि खाते में की जाएगी।

(ii) पूर्वावधि मर्दे

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11
व्यय		
विक्रय की लागत		20.85
वेतन व भत्ते		0.21
प्रशासनिक व्यय		5.88
ब्याज		4.49
मूल्यहरास		0.41
अन्य	1.59	0.01
अनु-योग		33.43
आय		79.50
बिक्री		1.85
ब्याज	134.84	6.97
अन्य प्राप्तियाँ		6.00
अनु-योग		142.69
कुल योग (सकल)	(109.26)	15.22

(iii) विविध व्ययों में शामिल हैं :

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11
क. दिवेशी मुद्रा लेन देन पर सकल लाभ अथवा हानि		
विनियम में हानि (लाभ)	0.57	(4.83)
	0.57	(4.83)
ख. लेखा परीक्षकों को प्रदत्त राशि		
लेखा परीक्षक के रूप में	2.43	2.08
कराधान मामलों के लिए	1.14	0.98
कम्पनी विधि मामलों के लिए	-	-
प्रबंध तंत्र सेवाओं के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	1.84	0.64
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.13	0.41
कुल योग	5.54	4.11

16. आपवादिक मदे

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11
इन्वेंट्रीज का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बराबर राइट डाउन करना और उसके मूल्य के किसी प्रावधान का रिवर्सन	12.06	107.76
स्थायी परिसंपत्तियों के मदों का निपटारा	(0.12)	(0.76)
दीर्घावधि निवेशों का निपटारा	0.03	-
पूर्वकाल से लागू विधायी परिवर्तन	-	-
विवाद निपटान	-	-
प्रावधानों का रिवर्सन	(14.51)	(40.98)
निवेश संपत्ति के मूल्य में गिरावट	1.25	1.25
	(1.29)	67.27

17. असाधारण मदे

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में बुलियन संबंधी लेन-देन में भूल-चूक की कुछ प्रक्रियाओं के कारण आने वाले पूर्व वर्ष से संबंधित देनदारों से वसूली योग्य राशि के बाबत असाधारण मदों में 1002.05 मिलियन (गत वर्ष शून्य मिलियन) रूपये तदर्थ प्रावधान प्रकट किया गया है। कंपनी ने विशेष लेखा-परीक्षा के आदेश दिये हैं जो एक चार्टर्ड एकाउटेंट्स फर्म के माध्यम से किया जा रहा है। विशेष लेखा-परीक्षा शीघ्र पूरा होने की आशा है। कंपनी ने सीबीआई को भी शिकायत दर्ज कराई है जिन्होंने अब अलग-अलग दो एफआईआर पंजीकृत की है और व्यापक जांच आरंभ कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी प्रिवेन्शन आफ मनी लान्डरिंग एक्ट, 2002 के अधीन दो भूतपूर्व कार्मिकों और दो देनदारों के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया है।

18. लाभ व हानि अभिकथन से संबंधित अतिरिक्त सूचना

i. आयात का मूल्य

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11
आयातों का सीआईएफ मूल्य		
व्यापार में शामिल सामान	608794.35	593434.07
कच्चा माल	-	-
घटक एवं पुर्जे	-	-
पूँजीगत सामान	-	-
कुल योग	608794.35	593434.07

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय

(₹ मिलियन में)

व्यय	2011-12	2010-11
रायल्टी	-	-
नो हाऊ	-	-
व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क		
ब्याज	469.40	118.09
विदेशी कार्यालय	5.17	3.13
विदेशी दौरे	3.46	5.49
डिपेचर / डैमरेज	23.15	24.31
लोड पोर्ट निगरानी प्रभार	10.22	194.57
वाचमैन प्रभार	0.84	0.93
समुद्री भाड़ा	607.64	3054.14
गंतव्य स्थान पर भार व विश्लेषण जोखिम	-	-
एजेंसी कमीशन	-	-
अन्य मामले	25.53	25.60
योग	1145.41	3426.26

iii. विदेशी मुद्रा में आय

(₹ मिलियन में)

आय	2011-12	2010-11
निर्यात किये गये माल का एफओबी मूल्य	20388.94	32068.83
रायलटी, नो हाउ, व्यावसायिक व परामर्श शुल्क	-	-
ब्याज और लाभांश	248.96	98.88
डिस्पैच / डैमरेज	13.87	14.32
अन्य (विवरण दें)	47.45	4.39
योग	20699.22	32186.42

iv. कच्चा माल, पुर्जे और घटकों का उपयोग

(₹ मिलियन में)

आय	2011-12	2010-11		
	कच्चा माल	पुर्जे व घटक	कच्चा माल	पुर्जे व घटक
आयातित				
i. मूल्य	6116.26	-	3698.37	-
ii. कुल का % के रूप में	100.00	-	100.00	-
घरेलू				
i. मूल्य	-	-	-	-
ii. कुल का % के रूप में	-	-	-	-
TOTAL VALUE	6116.26	-	3698.37	-

19. आकस्मिक देयताएं एवं टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

- क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 1460.40 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 845.61 मिलियन रुपये) की गारंटियों तथा अनुबंध के निष्पादन के लिए ग्राहक के पक्ष में 360.40 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 4506.69 मिलियन रुपए) राशि की कारपोरेट गारंटी दी गई है, जिसके विरुद्ध एसोसिएट आपूर्तिकारों से बैंक—अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।
- ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा ब्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर से निगम द्वारा दी गई 14409.10 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 14409.10 मिलियन रुपये की कारपोरेट गारंटी)।
- ग) कंपनी के विरुद्ध 816.88 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 1953.16 मिलियन रुपये) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।
- घ) कंपनी द्वारा खोले गये साख पत्रों में से 8493.22 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 12254.56 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है।
- ङ.) बैंकों से 7.01 मिलियन रुपये (गत वर्ष 34.91 मिलियन रुपये) के बिल डिस्काउंट कराये गये।
- च) 995.70 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 839.17 मिलियन रुपये) की विवादित बिक्रीकर मांग जिसके लिए 94.92 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 107.49 मिलियन रुपये) जमा कराये गये और 6.74 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 7.25 मिलियन रुपये) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।
- छ) बिजनेस आगिजलियरी सेवा के संबंध में 470.38 मिलियन रुपये (गत वर्ष 425.49 मिलियन रुपये) की सेवा कर की मांग।
- ज) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। दिनांक 31.02.2012 को असमाप्त बांडों की राशि 987.79 मिलियन रुपये(गत वर्ष 952.76 मिलियन रुपये) है।
- झ) वर्ष 2008–09 की सुपुर्दगी अवधि के दौरान मैसर्स एनआईएनएल को की जाने वाली आपूर्ति से आंशिक मात्रा में कोकिंग कोल न उठाए जाने पर एक पार्टी ने कानूनी नोटिस जारी किया है जिसके अनुसार 4005.00 मिलियन रुपये (दिनांक 31.03.2012 को 50.88 रुपये के अंतिम विनियम दर से 78.72 मिलियन अमरीकी डालर) (गत वर्ष 3511.00 मिलियन रुपये) के साथ—साथ दिनांक 30 सितम्बर 2009 से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का दावा भी किया है। यह मान्य न होने के कारण इसका खंडन किया गया है। वर्ष 2009–10 के लिए कोकिंग कोल की आपूर्ति न करने के लिए एमएमटीसी ने भी पार्टी के विरुद्ध काउंटर दावा किया है। मामले को सरकारी स्तर पर भी उठाया गया है क्योंकि आपूर्तिकर्ता अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को कोकिंग कोल की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है तथा सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के वरिष्ठ स्तर के नामितों की सशक्त संयुक्त समिति द्वारा सभी शर्तों, अनुबंधों तथा मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।
- ट) निर्धारण उपरांत बिक्री कर मांग, कुछ कार्मिकों के विवादित दावे, हैडलिंग एजेंटों/संविदाकारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करने, विवादित किराया राशि व ब्याज/दंडात्मक/विधिक लागत इत्यादि की अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो तो अनिधार्य होने के कारण जिसे आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया गया है उन पर विचार नहीं किया गया।
- ठ) इनमें से कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गयी राशि भारत सरकार के खाते में किये गये वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

सामान्य प्रकटन:

20. निम्नलिखित वस्तुएं बिल के बिना खरीदे जाने पर डिपोजिट के रूप में निगम द्वारा रोकी गई है तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट 7.5) तथा अन्य चालू देयताओं (नोट संख्या 5.3) के अंतर्गत दर्शायी गई हैं:-

मद्दें	31.03.2012		31.03.2011		(₹ मिलियन में)
	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य	
स्वर्ण	3469	9450.18	8450	17422.32	
स्वर्णाभूषण	44.29	124.82	-	2.31	
चांदी	6904	366.27	76561	4160.34	

21. स्वर्ण तथा चांदी के आयात के लिए एक नामित एजेंसी होने के कारण निगम ने यूसेंस एल / सी के अधीन सोने का आयात किया है या केता के क्रेडिट का उपयोग किया है। बिक्री मूल्य के रूप में प्राप्त राशि को बैंक के पास मार्जिन राशि के रूप में सावधि जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इस पर अर्जित ब्याज यूसेंस एल / सी या केता के क्रेडिट की निश्चित तिथि से पूर्व अर्जित ब्याज व्यापारिक नीति के अनुसार ग्राहकों को देय होता है।
22. मुम्बई कार्यालय परिसर से संबंधित जून 2000 से मार्च 2002 तक की अवधि के लिए मध्यवर्ती लाभ के मामले में लघु मामलों की माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर अपील का निर्णय होने तक 32.33 मिलियन रुपये की राशि के साथ—साथ 33.92 मिलियन रुपये की बैंक गारंटी भी न्यायालय में जमा की गई है। संपूर्ण राशि के लिए खातों में देयता प्रावधान किया गया है। उपरोक्त पर ब्याज यदि कोई होगा तो, का प्रावधान मामलों के अंतिम निर्णय के पश्चात किया जाएगा।
23. देय तिथि के पश्चात बकाया जी आर 1 फार्मो के संबंध में कंपनी ने प्राधिकृत डीलरों को समय विस्तार / वेवर / बट्टे खाते में डालने के लिए आवेदन किया है। आवेदन पर फैसला होने तक देयता यदि कोई हो तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निवेशालय ने 23.33 मिलियन रुपये (गत वर्ष 19.53 मिलियन रुपये) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावजूद 1.90 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 1.60 मिलियन रुपये) की राशि जमा करवाई गई है तथा 10.30 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 7.30 मिलियन रुपये) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है।
24. निगम द्वारा लागू किया गया है आर पी पैकेज 'रामको पैकेज' काफी हद तक संतुलित हो गया है। सिस्टम आडिट की जांच के परिणामस्वरूप प्रणाली व सिस्टम में यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कुछ समय में निगमित कर लिया जाएगा।
25. लेखां मानक –15 (संशोधित) के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये गये हैं:-

- अवकाश नगदीकरण : सेवा से विलग होने पर पात्रा कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवाया जा सकता है।
- सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) : सेवानिवृत्ति कार्मिकों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर ओपीडी उपचार सुविधा उपलब्ध है।
- ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी समस्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति / सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइक्रो प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।
- दीर्घ सेवा लाभ: कार्मिकों को देय दीर्घ सेवा लाभ निम्नानुसार हैं:-
 - अधिवर्षिता / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर कार्मिकों को देय सेवा के प्रत्येक समाप्त वर्ष हेतु 2500/- रुपये राशि का सेवा अवार्ड।
 - सेवाकाल में मृत्यु पर, कार्मिक के आश्रितों को एकमुश्त में देय 50,000/- रुपए राशि की सहानुभूतिशील ग्रेच्युटी।
 - कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को अधिवर्षिता की सैद्धांतिक तिथि तक भुगतान किया जाता है। 20 वर्षों से कम सेवा करने पर अधिकतम 12,000/- रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 40 प्रति दर पर मासिक लाभ है तथा सेवाकाल में मृत्यु के समय 20 वर्षों से भी अधिक सेवा करने पर, अधिकतम 12,000/- रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 50प्रति दर पर मासिक लाभ है।

"कर्मचारी लाभ" संबंधी लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यताओं के अंतर्गत वांछित अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :-

(क) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदीकरण	बीमारी छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवालाभ
(i)	परियोजित लाभ बाध्यताओं का दिनांक 1.4.2011 को वर्तमान मूल्य	657.16	230.87	154.00	858.81	98.31
(ii)	ब्याज लागत	52.57	19.62	13.09	73.00	-
(iii)	वर्तमान सेवा लागत	17.47	10.08	6.41	10.85	-
(iv)	प्रदत्त लाभ	48.58	86.43	7.65	85.71	9.26
(v)	बीमांककीय (लाभ) / हानि	26.29	65.90	(4.93)	125.04	11.04
(vi)	31.3.2012 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii-iv+v)	704.92	240.04	160.92	982.00	100.09

(ख) 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गये व्यय :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदीकरण	बीमारी छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा अवार्ड
(i)	सेवा लागत	17.47	10.08	6.41	10.85	-
(ii)	ब्याज लागत	52.57	19.62	13.09	73.00	-
(iii)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	61.66	-	-	-	-
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय (लाभ) / हानि	26.29	65.90	(4.94)	125.04	11.04
(v)	लाभ व हानि खातों में लिए गए व्यय (i+ii+iii+iv)	34.67	95.61	14.56	208.90	11.04

(ग) परियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(₹ मिलियन में)

ग्रेच्युटी	
1.4.2011 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	629.99
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	61.66
नियोक्ता द्वारा अंशदान	65.97
प्रदत्त लाभ	48.58
बीमांककीय लाभ / (हानि)	-
31.3.2012 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	709.04

(घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के संबंध में संभावित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्लाइंट परिवर्तन का प्रभावः—

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशत वृद्धि	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशत कमी
i)	सेवा लागत व ब्याज लागत के समग्र पर प्रभाव	9.47	(8.07)
ii)	परिभाषित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव	105.98	(91.01)

(ङ) बीमांककीय कल्पनाएँ :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2012 को
(i)	छूट दर (प्रतिवर्ष)	8.00 प्र / 8.50प्र एल आई सी/अन्य
(ii)	भविष्य लागत वृद्धि	5.00 प्र / 5.50प्र एल आई सी/अन्य
(iii)	सेवा निवृत्ति आयु	60 वर्ष
(iv)	मृत्यु संख्या विवरण	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित
(v)	निकासी दरें	आयु पर आधारित 1 प्र से 3 प्र

26. लेखा मानक 17 के अनुसार कंपनी ने खनिज, बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, कृषि उत्पाद कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार अच्य आदि प्राईमरी रिपोर्टबल व्यापारिक सेगमेंट की पहचान की है। भारत से बाहर तथा भारत के अंदर भूगोलिक स्थितियों के आधार पर सेकेंडरी सेगमेंट्स की पहचान की गई है जिसके विवरण अनुलग्नक 'क' में दिए गए हैं।
27. लेखा मानक-18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन (प्रबंधतंत्र द्वारा यथा—चिह्नित एवं प्रमाणित)

क. संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध का विवरण :

क) प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक

- | | |
|-----------------------------|--|
| i. श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 22.07.2011 से) |
| ii. श्री एच एस मान | निदेशक व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (दिनांक 22.07.2011 तक) |
| iii. श्री सुनीर खुराना | निदेशक |
| iv. श्री वेद प्रकाश | निदेशक |
| v. श्री राजीव जयदेव | निदेशक |
| vi. श्री एम जी गुप्ता | निदेशक (09.12.2011 से) |
| vi. श्री आनन्द त्रिवेदी | निदेशक (03.07.2012 से) |

ख) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

ग) एसोसिएट

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड—

देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ. संयुक्त उद्यम

फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड

हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड

ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड

इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड

एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड

एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड

इंडियन कमोटिडी एक्सचेंज लिमिटेड

सिक्कल आयरन और टर्मिनल लिमिटेड

टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड

ख. वर्ष 2011-12 के दौरान लेन-देन का विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	सहायक कंपनी	एसोशिएट्स	संयुक्त उद्यम	प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	22042.01	20791.69	64.54		42898.24
माल की बिक्री	5106.23	10187.59	1957.52		17251.34
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री					
प्राप्त लाभांश	248.96				248.96
ऋण तथा इकिवटी सहित वित्त					
रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में			5.13		5.13
कारपोरेट गारंटी					
अन्य भुगतान डेमरेज / डिस्पैच					
अन्य प्राप्तियां डेमरेज / डिस्पैच					
पारिश्रमिक				40.01	40.01
बकाया शेष					
प्राप्त	12.72	3763.16	221.12	3.42	4000.43
देय	1018.62	28.06	1.14		1047.82

28. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2011-12	2010-11
कर पश्चात लाभ (मिलियन रुपये में)	707.19	1216.43
इकिवटी शेयरों की कुल संख्या (मिलियन में)	1000.00	1000.00
प्रतिशेयर बेसिक व डाईल्यूटिड अर्जन (प्रति शेयर 1/- रुपये अंकित मूल्य) (गत वर्ष प्रतिशेयर 1/- रुपये अंकित मूल्य)	0.71	1.22

29. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट लेखा मानक-27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं व पूंजीगत वचनबद्धताएं निम्नानुसार हैं:-

(₹ मिलियन में)

क्र. संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम सं.	कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	परि-संपत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत वचनबद्धताएं
1. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	26	139.64	136.54	3.45	0.64		
2. ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26		0.01	0.02			
3. एमएमटीसी-पैप इंडिया प्रा. लि.	24.11	682.22	584.99	577.87	593.70	82.17	4.80
4. सिकल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	1095.21	757.25	0.30	123.04	16.02	18.42
5. एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि.	26	111.76	88.40	129.12	128.53	74.70	0.30
6. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.	26	140.54	45.61	27.73	93.54		
7. टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	26	0.10	0.05	0.15			

30. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट 'परिसंपत्तियों की हानि' जैसा कि मानक लेखा (ए एस 28) द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है। वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

31. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार हैः-

(₹ मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	01.04.2011 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2012 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व				
विश्लेषण जोखिम	5.32	5.32	0	0
बोनस / पीआरपी	200.92	141.23	50.78	110.47
अधिवर्षिता लाभ	220.57	0	66.98	287.55
कराधान के लिए प्रावधान	1912.54	1120.24	532.54	1324.84
प्रस्तावित लाभांश	250.00	250.00	250.00	250.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	40.55	40.55	40.56	40.56
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु				
अविनियोजित बजट	0.97	0.25	0	0.72

32. लघु अवधि ऋणों व अग्रिमों के शीर्ष के अंतर्गत आयकर के 1325.78 मिलियन रुपये (गत वर्ष 2037.23 मि.रु.) में विभिन्न निर्धारण वर्षों की 293.80 मिलियन रुपये (गत वर्ष 309.83 मि.रुपये) की विवादित मांग के प्रति आयकर विभाग को भुगतान किए गए। 293.80 मि.रुपये (गत वर्ष 309.83) तथा वित्त वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 की आयकर देयता के लिए 1031.98 मि.रुपये (गत वर्ष 1727.39 मि.रु.) के अग्रिम कर/टीडीएस के भुगतान शामिल हैं। अपीलीय प्रक्रिया समाप्त होने पर अतिरिक्त मांग यदि कोई होगी तो उसके लिए प्रावधान किए जाएंगे।

33. ऋण तथा अग्रिम के अभी तक लंबित पड़े मामले के संबंध में उच्च न्यायालय में जमा किए गए 157.37 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 157.37 मिलियन रुपये) शामिल हैं। मूल राशि के लिए आवश्यक प्रावधान पहले ही कर दिए गए हैं तथा ब्याज यदि कोई होगा तो, उस के लिए प्रावधान न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद किया जाएगा।

34. मिंट चांदी लेन–देन के संबंध में मेसर्स एआईपीएल के विरुद्ध 284.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है जिसके लिए पूर्ण प्रावधान लेखों में किया गया है कंपनी ने 314.02 मिलियन रुपये (गत वर्ष 314.02 मिलियन रुपये) की वसूली के लिए मामला दायर किया है जिसमें 29.49 मिलियन रुपए (गत वर्ष 29.49 मिलियन रुपये) की विलम्बित ब्याज राशि भी शामिल है। मैं एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरुद्ध 1671.97 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1671.97 मि.रुपये) के नुकसान का मामला दायर किया है जो विधिक मत के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

35. वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान भारत सरकार के निर्देश पर कंपनी ने दालों का आयात किया। सरकार ने पहुंच लागत (लैंडिंग कास्ट) की 15 प्रतिशत हानि तथा सीआईएफ मूल्य के 1.2 प्रतिशत की दर से ट्रेडिंग मार्जिन की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति प्रदान की है। पूर्व वर्षों में किए गए 77.10 मिलियन रुपये के अधिक दावों को चालू वर्ष के दौरान वापस ले लिया गया है। वर्ष 2011–12 से यह योजना समाप्त कर दी गई है।

36. आर बी डी पामोलीन ऑयल के आयात हेतु टारगेट प्लस लाइसेंस उपयोगिता के संबंध में कस्टम ड्यूटी/पैनल्टी इत्यादि की विवादग्रस्त 247.43 मिलियन रुपये (गत वर्ष 247.43 मिलियन रुपये) की मांग के तहत 247.43 मिलियन रुपये(गत वर्ष 247.43 मिलियन रुपये) की देयता लेखों में पहले से ही विद्यमान है। ब्याज के प्रतिशत देयता यदि कोई हो तो का प्रावधान मामले के अंतिम निर्णय होने पर किया जाएगा।

37. एक व्यापारिक सांझेदार के विरुद्ध क्षतिग्रस्त आयातित पोलिस्टर के संबंध में 18.89 मिलियन रुपये (गत वर्ष 20.62 मिलियन रुपये) के लिए एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी तथा अन्य देय राशियों की 3.61 मिलियन रुपये(गत वर्ष 3.61 मिलियन रुपये) की राशि को खाते में लेने के पश्चात 15.28 मिलियन रुपये (गत वर्ष 17.01 मिलियन रुपये) का प्रावधान किया गया है। कंपनी ने कस्टम से इसके परित्याग के लिए अनुरोध किया है जो कि निर्णय के लिए लंबित है। एसोसिएट ने विवाद निपटान के विचाराधि प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा तदनुसार वर्ष के दौरान 1.73 मिलियन रुपये की राशि का भुगतान किया है।

38. लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 32 के अनुसार यथावांछित ऋण के रूप में ऋण एवं अग्रिमों का ब्यौरा इस प्रकार है : –

क) अग्रिम के रूप में सहयोगियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम (ब्याज रहित)

कर्जदार	दिनांक 31.3.2012 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलाचल इस्पात निगम लि.	0.99 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 0.17 मिलियन रुपये)	1.19 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 1.46 मिलियन रुपये)

ख. कर्जदारों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा: शून्य रुपये (विगत वर्ष शून्य रुपये)

39. बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र जारी किये गये हैं जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर पुष्टि करने या टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया है जिसके अभाव में पत्र में दर्शाए गए शेष को पुष्टि कृत माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त नहीं किए गए/तथापि किसी पार्टी से प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

40. वर्ष के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल (तांबे) की आपूर्ति किए बिना ही 28.30 मिलियन रुपये का भुगतान प्राप्त करने के लिए के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि साथ पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से बैंक को रोकने के लिए निगम ने अंतरिम रोक का आदेश प्राप्त कर लिया है। इसी आपूर्तिकर्ता ने कपटपूर्वक तांबे की अन्य खेप की मास्टर बिल आफ लैंडिंग रखी हुई जिसके द्वारा मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय माल की सुरुदर्गी लेने के साथ–साथ पहले ही भुगतान किए गए तथा भारतीय बंदरगाह पर प्राप्त किए गए 65.57 मिलियन रुपये के माल का स्वामित्व प्राप्त कर सकता था।

41. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में बैंकिंग चैनलों द्वारा 37.50 मिलियन रुपये मूल्य के तांबे की दो खेपों के लिए जाली बिल आफ लैंडिंग प्राप्त किए गए जिनके एवज में किसी प्रकार का माल प्राप्त नहीं हुआ। कंपनी को भारतीय ग्राहक से पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के पश्चात विदेशी आपूर्तिकर्ता को साथ पत्र द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया। विदेशी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कंपनी कानूनी कार्यवाही आरंभ करने की प्रक्रिया में है तथा कानूनी नोटिस जारी किया गया है।

42. झंडेवालान क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष के दौरान ऋण पर आपूर्ति किए गए स्वर्ण के प्रति एक ग्राहक द्वारा 18 मिलियन रुपये की दो बैंक गारंटियां जमा की गई जो जाली पाई गई। कंपनी ने खातों में पूरा प्रावधान किया है। कंपनी द्वारा दिल्ली पुलिस में एक आई आर फाइल किए जाने से मामले की जांच की जा रही है।
43. वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं:-
- (i) कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा प्रणाली को दर्शाने के लिए लेखा नीति संख्या 2.2 (ख) को जोड़ा गया है जिसके अनुसार “कुछ मदों के आयात जो कंपनी द्वारा सरणीकृत है, के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी अनुज्ञाप्ति पत्र के प्रति किए गए आयात को कंपनी के खाते में क्य/विक्य के रूप में बुक किया जाएगा।
 - (ii) लेखा नीति संख्या 2.2 (ग)(i) की शब्दावली में परिवर्तन ‘खेप’ शब्द को ‘डिपाजिट’ शब्द में रूपांतरित किया गया है।
 - (iii) लेन देन की वास्तविक प्रकृति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से लेखा नीति संख्या 2.2 (ग) (iii) में परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार ‘घरेलू बिक्री के लिए स्वर्ण की खरीद को खेप (कंसाईनमेंट) स्टॉक से निकाले जाने तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ मूल्य निर्धारण के पश्चात खातों में लिया जाएगा’ से संबंधित नीति को “घरेलू बिक्री के लिए वर्ष के दौरान स्वर्ण की खरीद को डिपाजिट के अंतर्गत स्वर्ण / चांदी से निकासी तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ मूल्य निर्धारण के पश्चात खातों में लिया जाएगा। वर्ष के अंत में डिपाजिट के रूप में निगम के पास पड़े स्वर्ण / चांदी के स्टॉक को ‘बिल न किए गए क्य से संबंधित स्टॉक के रूप में चालू परिसंपत्तियों तथा ‘बिल न किए गए क्य से संबंधित देय राशि’ को वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य के रूप में खातों में लिया जाएगा।
 - (iv) लेन देन की वास्तविक प्रकृति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से लेखा नीति संख्या 2.2 (ग)(iii) में परिवर्तन “कंसाईनमेंट स्टॉक से ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण / चांदी की पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में दर्शाया जाता है तथा इसे ऋण व अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक की संगत देयता को विविध लेनदार शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसके परिवर्तित करके अंतर्गत स्वर्ण / चांदी से ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण / चांदी को ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में दर्शाया जाता है तथा ऋण व अग्रिम शीर्ष में दिखाया जाता है। ऋण / विविध लेनदारों का समायोजन क्य तथा विक्य बुक करते समय किया जाता है”
 - (v) लेखा नीति संख्या 2.9 में परिवर्तन “भारत में ग्राहकों को हाईसीज़ बिक्री सहित” शब्दों को भारत में बिक्री हेतु सेकेंडरी सेगमेंट के लिए लेखा नीति में जोड़ा गया है।
 - (vi) कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुरूप लेखा नीति संख्या 2.12(ग) (i) को जोड़ा गया है तथा 2.12 (ग) (ii) में आयात से घरेलू में शिफ्ट किया गया है तथा यह शब्द जोड़े गए हैं कि “जहां स्टॉक विशेषकर पहचाने जाने योग्य हैं और जिस स्थान पर यह पड़ा है वहां तक किए गए सभी व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत पर विचार किया जाएगा”
- उपरोक्त परिवर्तनों का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं है।
44. दिनांक 31 मार्च 2012 को 45 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी भी माइक्रो, लघु अथवा मध्यम उद्योग के प्रति कंपनी की देनदारी शेष नहीं है।
45. कंपनी(लेखा मानक) नियमावली 2006 का अनुपालन किया गया है। कंपनी के लेन देन बहुत बड़ी संख्या में है तथा विस्तृत गतिविधियां हैं। जिनसे उक्त नियमों के कदाई से अनुपालन में प्रचालनात्मक बाधाएं हो सकती हैं। किसी प्रकार के विचलन की यादि कोई है तो जानकारी निगम की लेखा नीतियों में दी गई है।
46. नियुक्ति की संविदात्मक शर्तों में जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि 16 एच पी से कम की कार के लिए 520/- रुपये प्रतिमाह तथा 16 एच पी से अधिक की कार के लिए 780/- रुपये प्रतिमाह के भुगतान पर पूर्णकालिक निदेशक निजी उपयोग के लिए 1000 कि.मी. प्रतिमाह तक स्टाफ कार का उपयोग कर सकते हैं।
47. जहां तक आवश्यक समझा गया है, पूर्व वर्ष के आंकड़े पुनः समूहित / समेकित किए गए हैं।
48. इस रिपोर्ट में लेखा नीतियां, अनुसूचियां तथा नोट, लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।
- हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
 (वार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
 एफ आर सं. 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी.के. कपिला)
 पार्टनर
 एम नं. 016905

(मनोहर बलवानी)
 महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(विजय पाल)
 मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त व लेखा)

(एम जी गुप्ता)
 निदेशक (वित्त)

(सुनीर खुराना)
 निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 28 अगस्त 2012
 स्थान : नई दिल्ली

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2011–12 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण (मुख्य प्रकटन)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातु		धातु		खनिज एवं अयस्क	
खंडवार राजस्व	31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11
बाह्य बिक्री						
- भारत में	511427.32	506852.95	13818.49	12465.55	1239.98	2146.16
- भारत के बाहर	0.35		9404.16	8135.68	9552.28	28041.57
योग (क)	511427.67	506852.95	23222.65	20601.23	10792.26	30187.73
अंतर-खण्ड बिक्री						
- भारत में						
- भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व(क+ख)	511427.67	506852.95	23222.65	20601.23	10792.26	30187.73
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	77.57%	73.61%	3.52%	2.99%	1.64%	4.38%
खण्डीय परिणाम						
- भारत में	858.08	749.35	251.50	223.54	34.72	60.67
- भारत के बाहर	0.02		282.12	246.42	240.70	1120.37
कुल खण्डीय परिणाम	858.09	749.35	533.62	469.96	275.42	1181.04
अनिधारित आय के निवल का अनिधारित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
व्याज व्यय						
व्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि / लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां						
अनिधारित कारपोरेट परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां	35755.11	111026.93	3940.40	1897.97	919.18	3728.68
खंड देयताएं						
अनिधारित कारपोरेट देयताएं	27261.40	93674.25	3614.48	2306.53	925.72	4904.98
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय			0.35			
अनिधारित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यहरास						
अनिधारित मूल्य हरास	1.30	1.19			55.36	55.36
कुल मूल्य हरास						
मूल्य हरास के अलावा गैर-रोकड़ व्यय						

(सैकण्डरी प्रकटन)

विवरण	भौगोलिक खंड	
	भारत के बाहर	
खंडवार राजस्व	31 मार्च 12	31 मार्च 11
वाह्य बिक्री	20,454.70	36,934.08
अंतर-खण्ड बिक्री	-	-
कुल राजस्व	20,454.70	36,934.08
खण्ड परिणाम	530.09	1,372.64
खण्ड परिसंपत्तियां	688.68	3,578.31
पूंजीगत व्यय	-	-

वस्तुवार निष्पादन

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
निर्यात										
लौह अयस्क	3049	19390	19244	27536	26554	19012	21584	21369	12037	10752
मैग्नीज अयस्क / ऑक्साइड	343	575	1019	1064	441	409	469	660	589	396
क्रोम अयस्क / कांसट्रेट	6160	8076	6269	8274	6904	7964	3191	3354	1563	1300
पिग आयरन	9404	8136	4891	5988	5090	5446	3458	3901	797	1588
स्लैग						1	1	16		
उर्वरक	1489	737	805			257				
कृषि उत्पाद		20		2411	61	753		620	2429	9005
कच्ची ऊन		9								
हीरे / रत्न / आभूषण				434		289	291	387	592	76
मर्चेटिंग ट्रेड				50	64					180
स्टील / एचआर स्टील कॉयल्स							101			
भवन निर्माण सामग्री										1
इंजीनियरिंग उत्पाद								2	905	58
अन्य : (सुनामी कारें)							159			
कुल निर्यात	20454	36934	32228	45757	39114	34131	29254	30309	18912	23356
आयात										
धातुएं / आईआरएम										
कॉपर / कॉपर कैथोड्स	1334	1240	1549	4688	3678	2691	3104	1128	639	764
जिंक	1379	1205	1494	896	1287	1617	955	248	199	190
लैड	36	117	90	304	246	750	384	276	85	62
टिन	671	1013	522	1047	703	651	373	497	409	239
निकल	1393	3304	1042	501	922	1216	561	700	738	261
अल्यूमिनियम			11		16	172	228	165	221	162
एंटीमनी मेटल		26	8	5	24	10	52	9	13	14
स्टील / स्टील स्क्रैप / एचआर कॉयल	478	1080	1585	1065	1350	1331	274	100		
अन्य	583	282	334	282	148	41	145	72	36	20
अनु—योग	5875	8267	6635	8788	8374	8479	6076	3195	2340	1712

वस्तुवार निष्पादन

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
उर्वरक										
सल्फर	219	142	220	1566	1488	140	160	76	150	69
अमोनिया सल्फेट	48927	14534	14084	30259	37907	14223	5867	4566	692	229
यूरिया	1445		574			6346	5904	1505	1895	3
डीएपी	5279	3937	9302	7916	1647	1621	1692	1368	844	550
अन्य			4	7						
अनु—योगः	55870	18613	24184	39748	41042	22330	13623	7515	3675	962
डायमंड / गोल्ड/ एम्सल्ड्स	504607	501935	316029	212891	122071	135041	76928	79582	53873	30197
कृषि उत्पाद	11843	14922	14638	16695	16160	3581	2726	3354	1641	1171
हाइड्रोकार्बन	32196	89229	38203	27364	16481	16296	18087	16585	5113	3195
अन्य	27	43	1	1466	371	347	418	94	144	87
कुल आयात	610417	633008	399690	306952	204499	186074	117858	110325	66786	37324
घरेलू										
माइक्रो										
कॉपर/जिंक/ब्रास/										
अल्यूमिनियम		18	1195		1633	2142	1492	1101	4394	
पिंग आयरन/स्लैग/स्टील	8273	4180	6352	2791	2738	2806	4381	4420		
उर्वरक	87	45	40	68	56	45	41	20		2
कृषि उत्पाद	8459	1294	1245	1042	1621	1610	1180	235	354	30
रत्न व आभूषण/चॉदी	6821	4918	5274	4118	7921	2369	1990	3113	367	404
हाइड्रोकार्बन	3475	5870	1753	4023	5255	3318	6893	1655	6	304
अन्य	1305	2278	3465	3455	1397	521	535	58	173	837
कुल घरेलू कारोबार	28420	18603	19324	15497	20621	12811	16512	10603	5294	1579
कुल कारोबार	659291	688545	451242	368207	264234	233016	163624	151237	90992	62259

देशवार निर्यात

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2012	2011	2010
अफ्रीका			
दक्षिण अफ्रीका	-	2401	-
	-	2401	-
एशिया			
बंगलादेश	-	11	-
चीन	8820	14356	18922
जापान	440	12091	7648
कोरिया	1407	3633	1745
मलेशिया	3210	122	591
नेपाल	1489	737	805
इंडोनेशिया	355	1048	1029
सिंगापुर	1089	-	-
ताइवान	809	589	383
थाईलैंड	2835	1938	929
	20454	34524	32228
पश्चिमी यूरोप			
नीदरलैंड	-	9	-
	-	9	-
कुल निर्यात	20454	36934	32228

देशवार आयात

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2012	2011	2010
अफ्रीका			
जिम्बाब्वे	-	65	27
नामीबिया	10	152	-
दक्षिणी अफ्रीका	87570	42566	35264
	87580	42784	36218
एशिया			
चीन	17024	11989	6473
वियतनाम	120	455	162
इंडोनेशिया	22606	43997	43147
जपान	54	473	295
कोरिया	-	40	544
मलेशिया	7778	1399	299
स्थांमार	409	3128	795
हांगकांग	3464	963	171
रूस	14591	5740	3019
सिंगापुर	3743	6020	7012
ताईवान	25	35	-
	69814	74236	63207
पूर्वी यूरोप			
कजाकिस्तान	906	494	196
बेलारूस	979	836	3230
स्पेन	-	3	-
यूक्रेन	5934	236	388
रोमानिया	2555	-	-
उजबेकिस्तान	6	-	-
	10380	1569	3814
मध्य पूर्व			
बहरीन	-	-	612
दुबई	47751	64582	23471
ईरान	10953	1383	2324
ओमान	3622	1814	913
इज़राइल	59	-	-
कुवैत	1167	-	-
कतार	-	-	1029
साउदी अरेबिया	1552	-	1562
संयुक्त अरब अमीरात	2649	7638	3094
	67753	75417	33005

49^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2012	2011	2010
उत्तरी अमेरिका			
कनाडा	-	133	526
संयुक्त राज्य अमेरिका	334	187	117
	334	320	643
ओशिनिया			
आस्ट्रेलिया	139705	93947	53389
	139705	93947	53389
पश्चिम यूरोप			
जर्मनी	939	80	24
नीदरलैंड	-	55	7
स्विटजरलैंड	62821	172005	158134
नार्वे	567	751	241
यू के	162002	136519	56356
फ्रांस	62	-	-
	226391	309411	215295
कुल आयात	601957	597684	406613

राजकोष में अंशदान

(₹ मिलियन में)

	2011-12	2010-11	2009-10
केन्द्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	1,260	1,412	1,705
आयात शुल्क	8,948	11,908	5,858
सेवा कर	64	70	38
केन्द्रीय बिक्री कर	288	1,045	265
लाभांश कर सहित आयकर	895	1,498	1,702
लाभांश	248	447	200
योग	11,703	16,380	9,768
रेलवे तथा बंदरगाहों को			
रेल भाड़ा	602	7,044	1,924
रेलवे / बंदरगाहों को प्लाट किराया	3	3	10
बंदरगाह प्रभार	99	172	175
योग	704	7,219	2,109
राज्य सरकार को			
स्थानीय बिक्री कर / वैट	6,328	7,077	3,272
अन्य कर / शुल्क	34	172	30
व्यावसायिक कर	1	1	1
योग	6,363	7,250	3,303
कुल योग	18,770	30,849	15,180



एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

वित्तीय विवरण | 2011-2012

49^{वीं}
वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकगण 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ शेयरधारकों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

निदेशकगण

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं –

विजयलक्ष्मी जोशी	(22 जुलाई 2011 को नियुक्त)
सुनीर खुराना	
वेद प्रकाश	
राजीव जयदेव	
मदन गोपाल गुप्ता	
तपस कुमार सेनगुप्ता	(18 मई 2011 को नियुक्त)
विजय कुमार गुप्ता	(18 मई 2011 को नियुक्त)

निदेशकों द्वारा शेयर और डिबेंचर अधिग्रहण करने हेतु व्यवस्था

कंपनी ने न तो वित्तीय वर्ष के अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी व्यवस्था में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को कंपनी या अन्य कारपोरेट संस्था के शेयर या डिबेंचर अर्जित करके लाभ पहुंचाया गया हो।

शेयर अथवा डिबेंचरों में निदेशकों का हित

निदेशकों की शेयर हिस्सेदारी रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यरत निदेशकों की कंपनी या कंपनी से संबंधित निगमों के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई हिस्सेदारी नहीं थी :

निदेशक, पति/पत्नी अथवा बच्चों के नाम में पंजीकृत शेयर-हिस्सेदारी	31.03.2012 को (प्रत्येक 1 ₹ के समतुल्य)	01.04.2011 को (प्रत्येक 1 ₹ के समतुल्य)
एमएमटीसी लिमिटेड (सामान्य शेयर) सुनीर खुराना	शून्य	20

निदेशकों को संविदात्मक लाभ

पूर्व वित्त वर्ष की समाप्ति की अवधि से किसी भी निदेशक ने कंपनी या संबंधित कारपोरेशन जिसका वह निदेशक है या फर्म जिसका सदस्य है या कंपनी जिसमें उसका विशेष वित्तीय हित शामिल है के साथ अनुबंध

करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है सिवाय इस रिपोर्ट के साथ संलग्न वित्तीय विवरण में जैसा दर्शाया गया है या उसके लिए ग्राह्य है, सिवाय इसके कि कुछ निदेशकों के संबंधित निगमों के साथ रोजगार संबंध थे और उस हैसियत में उन्होंने पारिश्रमिक प्राप्त किया था।

शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए विकल्प नहीं दिया गया।

विकल्प व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए कोई शेयर जारी नहीं किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंत तक विकल्प के अंतर्गत जारी न किए गए शेयर उपलब्ध नहीं थे।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक

स्वतंत्र लेखापरीक्षक, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी, ने पुनः नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

निदेशकों की ओर से

हस्ता / – हस्ता / –

तपस कुमार सेनगुप्ता	विजय कुमार गुप्ता
निदेशक	निदेशक

4 जून 2012

निदेशकों का कथन

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकों के मतानुसार

(क) 31 मार्च 2012 को कंपनी के कार्यकलापों की वास्तविक व स्पष्ट तस्वीर दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या 5 से 24 तक वित्तीय विवरणों को इस प्रकार दिया गया है कि ये इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार, इकिवटी में परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह के परिणामों को दर्शा सकें, तथा

(ख) इस विवरण की तिथि को यह विश्वास करने के लिए तर्कसंगत आधार है कि कंपनी अपनी देनदारियों की, उनके देय होने पर, अदायगी करने में समर्थ होगी।

निदेशकों की ओर से

हस्ता / – हस्ता / –

तपस कुमार सेनगुप्ता	विजय कुमार गुप्ता
निदेशक	निदेशक

4 जून 2012

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के शेयरधारकों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों, जो पृष्ठ संख्या 5 से 24 में दिए गए हैं, की लेखापरीक्षा की है जिनमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र, कम्पीहेसिव आय विवरण, इकिवटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त रूप एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

सिंगापुर कम्पनी अधिनियम ("अधिनियम") तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। इन दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं कि इस प्रकार की आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली तैयार करना व बनाए रखना जो उचित आश्वासन प्रदान कर सके कि परिसंपत्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा विस्थापन क्षति से सुरक्षित रखा गया है और लेनदेन को उचित रूप से अधिकृत किया गया है और उन्हें आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है ताकि लाभ व हानि खाते व तुलनपत्र और संपत्तियों के उत्तरदायित्व को बनाये रखने के लिए सत्य व सही स्थिति प्रकट हो सके।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा के लिए सिंगापुर मानकों के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाने के साथ-साथ इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि समुचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकटनों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने की प्रणाली शामिल है। चयनित प्रणाली लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोखेबाजी अथवा चूक के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत तथ्यों के जोखिम का आकलन समाहित रहता है। इस प्रकार के जोखिमों का आकलन करते समय उचित लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उचित तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। परन्तु इसका उद्देश्य लागू आंतरिक नियंत्रण के प्रभावीकरण पर अपनी राय देना नहीं होता है। प्रयुक्त लेखा नीतियों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए लेखानुमानों की उपयुक्तता के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का आकलन करना भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त तथा उचित आधार हैं।

मत

हमारी राय में, कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरण सिंगापुर कंपनी अधिनियम तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से तैयार किये गये हैं तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के परिणामों, इकिवटी में परिवर्तनों एवं रोकड़ प्रवाह की इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते हैं।

अन्य विधिक तथा रेगुलेटरी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारे मतानुसार अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक लेखे व अन्य रिकार्ड को कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से रखा है।

हस्ता /—

प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी

पब्लिक एकाउंटेंट्स एण्ड सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स

सिंगापुर, 4 जून 2012

कंप्रीहैंसिव आय विवरण

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
माल की बिक्री		708,647,874	710,292,097
अन्य आय—नेट	3	2,775,466	3,374,060
पुनः बिक्री के लिए की गई खरीद		(703,280,272)	(705,385,499)
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	4	(948,844)	(1,047,254)
मूल्यहरास	12	(43,332)	(35,650)
किराया व्यय—पट्टा प्रचालन		(280,783)	(183,385)
शुद्ध मुद्रा विनिमय क्षति		(16,269)	(34,210)
बैंक प्रभार		(233,768)	(277,657)
अन्य व्यय	5	(2,243,192)	(2,411,697)
वित्तीय व्यय	6	(2,292,683)	(1,344,696)
आयकर पूर्व लाभ		2,084,197	2,946,109
आयकर व्यय	7	(212,078)	(631,070)
कर पश्चात लाभ तथा कुल कंप्रीहैंसिव आय		1,872,119	2,315,039

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

तुलन पत्र
31 मार्च, 2012 को

	टिप्पणी	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्तियां			
नकद एवं बैंक जमा	8	17,210,492	17,969,683
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य	9	32,191,796	30,713,513
अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	137,766	84,028
इंवेट्रीज		5,478	5,478
		49,545,532	48,772,702
नॉन करेंट परिसंपत्तियां			
सहायक कंपनी में निवेश	11	-	-
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	12	56,606	90,639
		56,606	90,639
कुल परिसंपत्तियां		49,602,138	48,863,341
देयताएं			
चालू देयताएं			
व्यापारिक एवं अन्य देयताएं	13	28,719,571	18,044,935
ऋण	14	5,444,217	12,382,858
चालू आयकर देयताएं	7	225,714	206,756
कुल देयताएं		34,389,502	30,634,549
निवल परिसंपत्तियां		15,212,636	18,228,792
इक्विटी			
शेयर पूँजी	16	1,000,000	1,000,000
रिटेंड लाभ		14,212,636	17,228,792
कुल शेयरधारक इक्विटी		15,212,636	18,228,792

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

इकिवटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	शेयर पूँजी यूएस डालर	रिटेंड लाभ यूएस डालर	योग यूएस डालर
वर्ष 2012				
वित्तीय वर्ष के आरंभ में		1,000,000	17,228,792	18,228,792
कुल कम्प्रीहेसिव आय		-	1,872,119	1,872,119
प्रदत्त लाभांश	17	-	(4,888,275)	(4,888,275)
वित्त वर्ष के अंत में		1,000,000	14,212,636	15,212,636
वर्ष 2011				
वित्तीय वर्ष के आरंभ में		1,000,000	17,032,223	18,032,223
कुल कम्प्रीहेसिव आय		-	2,315,039	2,315,039
प्रदत्त लाभांश	17		(2,118,470)	(2,118,470)
वित्त वर्ष के अंत में		1,000,000	17,228,792	18,228,792

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अधिन्न भाग हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2012 यूएस डालर	2011 यूएस डालर
प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
कर पश्चात लाभ		1,872,119	2,315,039
के लिए समायोजन		212,078	631,070
आय कर व्यय		43,332	35,650
मूल्यहरास		674	5,520
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		(403,746)	(225,704)
ब्याज आय		2,292,683	1,344,696
ब्याज व्यय		4,017,140	4,106,271
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन			
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य		1,443,279	3,501,666
अन्य चालू परिसंपत्तियां		(53,738)	429,685
व्यापारिक एवं अन्य देय		7,642,885	(16,553,945)
प्रचालन कार्यकलापों (प्रयोग की गई) / से प्राप्त शुद्ध रोकड़		10,163,008	(8,516,323)
प्रदत्त आयकर		(193,120)	(925,126)
प्रचालन कार्यकलापों (प्रयोग की गई) / से प्राप्त शुद्ध रोकड़		9,969,888	(9,441,449)
निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद		(9,973)	(108,168)
प्राप्त ब्याज		368,742	196,241
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त शुद्ध रोकड़		358,769	88,073
वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
प्रदत्त लाभांश		(1,856,524)	(2,118,470)
प्रदत्त ब्याज		(2,292,683)	(1,344,696)
उधार से आमद		5,444,217	12,382,858
उधार की अदायगी		(12,382,858)	400,000
वित्तीय कार्यकलापों में उपलब्ध कराया गया (प्रयोग किया गया) शुद्ध रोकड़		(11,087,848)	8,519,692
रोकड़ तथा बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि		(759,191)	833,684
वित्त वर्ष के आरम्भ में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष		17,969,683	18,803,367
वित्त वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष	8	17,210,492	17,969,683

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ये टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं तथा इन्हें संबंधित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी सिंगापुर में निगमित तथा स्थापित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:- 20, सेसिल स्ट्रीट #14-02/03/04, इकिवटी प्लाजा, सिंगापुर – 049705

कंपनी मुख्यतः खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल एवं हाइड्रोकार्बन उत्पादों, आभूषण तथा अन्य कमोडिटीज का व्यापार करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 लेखे तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ("एफआरएस") के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत तैयार किया गया है सिवाय ऐसे मामलों के जिनका नीचे लेखा नीतियों में उल्लेख किया गया है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंध—तंत्र को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपना निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष लेखानुमानों तथा अवधारणाओं का प्रयोग भी करना होता है। प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकन किया है कि ऐसे किसी अनुमान अथवा निर्णय का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की राशियों के समायोजन के कारण कोई महत्वपूर्ण जोखिम हो।

वर्ष 2011 में लागू प्रकाशित मानकों की व्याख्या व संशोधन

1 अप्रैल 2011 को कंपनी ने नया अथवा संशोधित एफआरएस अपनाया है तथा एफआरएस ("आईएनटी एफआरएस") की व्याख्या के अनुसार इन्हें उसी दिनांक से लागू करना अनिवार्य है। कंपनी की लेखा नीतियों में यथानुसार परिवर्तन किये गये हैं जो संबंधित एफआरएस तथा आईएनटीएफआरएस प्रावधानों के अनुरूप हैं।

इन नए अथवा संशोधित एफआरएस और आईएनटी एफआरएस को अपनाने से कंपनी की लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है और वर्तमान अथवा पूर्व वित्त वर्षों में रिपोर्ट की गई राशियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए हैं क्योंकि यह कंपनी, भारत में निगमित एमएमटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो सार्वजनिक उपयोग हेतु समेकित वित्तीय विवरण तैयार करती है। एमएमटीसी लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय का पता निम्नवत है:- कोर - 1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली, भारत – 110003

सहायक कम्पनी के लेखों का आधार नोट 2.7 में दिया गया है।

2.2 राजस्व पहचान

सामान्यतः निगम के कार्यकलापों में माल की बिक्री से प्राप्त अथवा प्राप्त होने योग्य प्रतिफल का उवित मूल्य राजस्व में शामिल है। राजस्व को माल व सेवा कर, छूट व डिस्कांउट को घटाकर दर्शाया जाता है।

राजस्व की पहचान निम्नलिखित रूप से की गई है:

क) माल की बिक्री

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान शिपमैट शर्तों के अनुरूप उत्पादों की डिलीवरी करने के बाद की जाती है।

ख) ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए की जाती है।

2.3 मुद्रा परिवर्तन

इन वित्तीय विवरणों को यूएस डॉलर में प्रस्तुत किया गया है जो कि कंपनी के लेन देन की मुद्रा है।

युनाइटेड स्टेट्स डालर ("विदेशी मुद्रा") के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में किए गए लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनियम दर का प्रयोग करते हुए यूएस डालर में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के लेन–देन के निपटान के लिए मुद्रा परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुए अंतर को तथा विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन पत्र की तिथि को बंद हुई दर के अनुसार परिवर्तित करते हुए लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है।

2.4 बैंक शोष

व्यापार तथा अन्य प्राप्त

जमा

बैंक शेष तथा व्यापार व अन्य प्राप्तियों और जमा की पहचान आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए उक्त की पहचान अमोर्टाइज्ड लागत में से यदि कोई संचित हानि हो तो उसे घटाकर की जाती है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह निर्धारण करती है कि क्या इन वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई कमी का कोई उपयुक्त प्रमाण है तथा उचित प्रमाण होने की स्थिति में ही इस प्रकार की हानि को मान्यता दी जाती है। देनदारों के बारे में विशेष वित्तीय कठिनाइयां यह होती हैं कि देनदार अपने को दिवालिया घोषित न कर दे तथा भुगतान में डिफाल्ट अथवा अधिक देरी न कर दे। इन सब कारकों को वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई हानि के उपयुक्त साक्ष्यों के रूप में माना जाता है।

इन परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में मूल्यह्रास का जो तरीका अपनाया जाता है वह है क्षति राशि की गणना कैरिंग राशि तथा भावी कैश पलो के वर्तमान अनुमानित मूल्य की अंतर राशि निकाल कर फिर उसमें से मूल प्रभावी ब्याज दर को डिस्काउंट करके किया जाता है।

इन परिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो तुलन पत्र की तिथि से 12 महीनों के बाद मैच्युर हो रही हैं। इन परिसंपत्तियों को गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता है।

2.5 आयकर

चालू आयकर की पहचान कर प्राधिकरणों को संभावित देय या प्राप्त राशियों के आधार पर की जाती है।

आस्थगित आयकर की पहचान उन सभी अस्थायी अंतर राशियों से की जाती है जिसमें परिसंपत्ति अथवा देयता की आरंभिक पहचान के कारण आस्थगित आयकर लेन-देन के समय जो न तो लेखों को और न कर योग्य लाभ व हानि को ही प्रभावित करती हैं।

चालू तथा आस्थगित आयकर की पहचान तुलनपत्र की तिथि को अधिनियमित अथवा बाद में अधिनियमित कर कानूनों के अधीन कर दरों पर की जाती है और आय विवरण में आय या व्यय के रूप में पहचान की जाती है। यह ऐसे व्यापार मिश्रण अपना कारोबार जिसकी पहचान सीधे इकिवटी में की जाती है को छोड़कर आने वाले कर सीमा तक की जाती है। व्यापार मिश्रण से होने वाले आस्थगित कर का गुडविल अधिग्रहण करने के बावजूद समयोजित किया जाता है।

2.6 इन्वेंट्रीज

इंवेंट्रीज, जिसमें रीसेल के लिए रखा माल शामिल होता है, को न्यून लागत तथा नेट प्राप्त होने योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। लागत का निर्धारण विशिष्ट पहचान विधि के अनुसार किया जाता है। नेट वसूली योग्य मूल्य वह अनुमानित बिक्री मूल्य होता है जिसे सामान्यतः बिजनेस के दौरान माना जाता है तथा इस अनुमानित बिक्री मूल्य में से परिवर्तनीय बिक्री खर्चों को घटाया जाता है।

2.7 सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनियां ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी वित्तीय एवं प्रचालन नीतियों का संचालन करने की शक्ति मूल कंपनी के पास होती है जिससे गतिविधियों से पर्याप्त लाभ मिले तथा सहायक कंपनी की शेयरहोल्डिंग में मूल कंपनी के पास सामान्यतः आधे से ज्यादा का वोटिंग अधिकार होता है। अंतर्निहित वोटिंग अधिकारों की शक्ति एवं प्रभाव वे होते हैं जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा सके अथवा जो कन्वर्टिबल हो जिनका मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया जाता है कि क्या कंपनी का किसी अन्य संस्था पर नियंत्रण है।

सहायक कंपनी में निवेश को लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर कम्पनी के तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। यदि हानि होने के संकेत हों तो निवेश की कैरिंग राशि का मूल्यांकन करके तुरंत इसे वसूली योग्य राशि में दर्ज कर दिया जाता है।

जब किसी निवेश का निपटान किया जाता है तो निपटान से प्राप्त निवल निपटान राशि तथा निवेश की कैरिंग राशि में अंतर को आय विवरण में ले लिया जाता है।

2.8 संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण की आरंभिक पहचान लागत के आधार पर की जाती है तथा इसके बाद कैरिंग कॉस्ट तथा संचित मूल्यह्रास व संवित हानि को घटाकर की जाती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण से संबंधित बाद के खर्च जिसकी पहले ही पहचान कर ली गई है को परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में केवल तब ही जोड़ा जाता है जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा आइटम की लागत की गणना विश्वसनीय तौर पर की जाती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के मूल्यह्रास की गणना रेड्यूसिंग बैलेंस के आधार पर की जाती है ताकि संपत्ति, प्लांट व उपकरण की लागत को उसके उपयोग के संभावित 3 वर्षों के अंदर राइट आफ किया जा सके।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के शेष मूल्य तथा उपयोग अवधि तरीके के अनुसार उपयुक्त समायोजन द्वारा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है। जब परिवर्तन आता है तो किसी संशोधन के प्रभाव को लाभ अथवा हानि के रूप में पहचान की जाती है।

संपत्ति, प्लांट व उपकरण के आइटम की बिक्री करने पर नेट बिक्री राशि तथा आइटम की कैरिंग राशि की अंतर राशि को लाभ अथवा हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

2.9 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण और सहायक कंपनियों में निवेश में हानि की समीक्षा उस स्थिति में की जाती है जब यदि ऐसा कोई संकेत हो कि इन परिसंपत्तियों में हानि हो सकती है।

यदि परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी कैरिंग राशि से कम आंकी जाती है तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को घटाकर इसकी वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। कैरिंग राशि तथा प्राप्ति योग्य राशि में अंतर की हानि को लाभ अथवा हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

किसी परिसंपत्ति की हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है यदि पिछले समय निर्धारित की गई हानि के समय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए आकलन में परिवर्तन किया गया हो। परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को इसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि यह राशि कैरिंग राशि से अधिक न हो। यदि गत वर्षों में परिसंपत्तियों में किसी हानि का निर्धारण नहीं किया गया है उस स्थिति में कैरिंग राशि का (सचित मूल्यहरास को घटाकर) निर्धारण किया जाता है। परिसंपत्ति में हुई हानि का रिवर्सल लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है।

2.10 व्यापार तथा अन्य देय

व्यापार तथा अन्य देयों की प्रारंभिक गणना उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए अमोर्टाइज्ड लागत पर गणना की जाती है।

2.11 प्रचालन पट्टा भुगतान

प्रचालन पट्टे (पट्टाकर्ता से प्राप्त प्रोत्साहन का समायोजन कर) के अंतर्गत जो भुगतान किया जाता है उसे स्ट्रेट-लाइन के आधार पर पट्टे की अवधि तक लाभ अथवा हानि में लिया जाता है।

2.12 अन्य देयताओं व प्रभारों के लिए प्रावधान

कंपनी को विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान विधिक अथवा संरचनात्मक या पूर्व की देयता से उत्पन्न देयताओं व प्रभारों हेतु प्रावधान बनाने होते हैं। यह संभावना रहती है कि इन देयताओं को पूरा करने में संसाधनों का बर्हिगमन हो और इसके लिए राशि का विश्वसनीय अनुमान बनाया गया हो।

2.13 कर्मचारी मुआवजा

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान को उनके देय होने पर कर्मचारी मुआवजा खर्च के रूप में दर्शाया जाता है जब तक परिसंपत्ति के रूप में उनका पूंजीकरण नहीं किया जा सकता।

(ख) कर्मचारी छुट्टी पात्रता

कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी की पात्रता की पहचान कार्मिकों द्वारा इसे अर्जित कर लेने पर की जाती है। तुलन-पत्र की तारीख को कार्मिक द्वारा की गई सेवा के परिणामस्वरूप जो वार्षिक छुट्टी अर्जित की जाती है उसके लिए अनुमानित देयता का प्रावधान किया जाता है।

2.14 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंक तथा कंपनी के पास उपलब्ध रोकड़, वित्तीय संस्थानों के पास सावधि जमा तथा बैंक ऑवरड्राफ्ट शामिल हैं। तुलन पत्र में बैंक ऑवरड्राफ्ट को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लागत की पहचान प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

2.16 वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं का उचित मूल्य अनुमान

परिशोधित लागत पर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य उनके कैरिंग राशि के लगभग होता है।

2.17 उधार

उधार की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य(लेन-देन लागत समायोजन के बाद) पर की जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर की जाती है। यदि लेनदेन से प्राप्त राशि (लेनदेन लागत का समायोजन करके) तथा उनके रिडेमेशन मूल्य में कोई अंतर रहता है तो इस उधार अवधि के लिए प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए उसे लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

2.18 लाभांश

कंपनी के शेयरहोल्डर को दिए जाने वाले लाभांश की पहचान उस समय की जाती है जब लाभांश को भुगतान के लिए अनुमोदित किया जाता है।

3. अन्य आय—निवल

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
ब्याज आय		
- अल्प अवधि बैंक जमा	403,746	225,704
- ग्राहक	431,692	589,783
	835,438	815,487
व्यापार दावों के प्रावधानों का राइटबैक	-	1,128,601
प्राप्त डेमरेज व डिस्पैच के दावे	1,901,114	2,199,203
विविध आय	38,914	3,38,810
डिराइवेटिव अनुबंधों पर हानि	-	(1,108,041)
	2,775,466	3,374,060

4. कार्मिक मुआवजा

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
वेतन तथा भत्ते	724,639	823,127
परिभाषित अंशदायी योजनाएं जैसे केंद्रीय भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	67,203	65,040
अन्य लाभ	157,002	159,087
	948,844	1,047,254

अन्य लाभों में कर्मचारियों को प्रदान किये गये आवासीय परिसर के लिए किराया व्यय राशि शामिल है, जिसकी राशि यूएस डालर 91,364 (2010 यूएस डॉलर 92,519)

5. अन्य आय

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
डेमरेज व डिस्पैच	1,930,425	2,154,174
अन्य व्यय	312,767	257,523
	2,243,192	2,411,697

6. वित्त व्यय

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
ब्याज व्यय		
- ट्रस्ट प्राप्तियाँ	206,446	107,316
- डिस्काउंट किये गये बिल	2,086,237	1,237,380
	2,292,683	1,344,696

7. आयकर

(क) आयकर व्यय

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
लाभ पर देय कर व्यय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:		
वर्तमान आयकर	225,714	206,756
पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए अधिक / कम प्रावधान	(13,636)	424,314
चालू आयकर	212,078	631,070

दिनांक 1 अप्रैल 2000 से कम्पनी को ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम ("जीटीपी") का गौरव (स्टेट्स) प्राप्त था जिसे आगे 1 अप्रैल 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च 2015 तक नवीकरण कर दिया गया। जीटीपी स्टेट्स से प्राप्त आय पर 10 प्र की रियायत दर से कर लगाया जाता है। इसके अंतर्गत न आने वाली आय पर 17प्र (2011:17प्र) की मानक दर पर कर लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष के लाभ पर आयकर व्यय, कर—पूर्व लाभ पर सिंगापुर स्टेंडर्ड आयकर की दर से निर्धारित आयकर से भिन्न रहता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
आयकर पूर्व लाभ	2,084,197	2,946,109
17प्र की दर से निर्धारित किया गया कर (2011:17प्र)	345,313	500,839
उसका प्रभाव		
सिंगापुर कानून से आय छूट में वृद्धि	(19,433)	(19,483)
निम्न कर दर के अधीन आय कर के लिए न घटाने	(109,143)	(142,343)
योग्य व्यय	11,824	7,353
कर मुक्त आय	(11,847)	(139,610)
	225,714	206,756

(ख) चालू आयकर देयताओं में उतार चढ़ाव

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रदत्त आयकर चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ पर देय कर पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए (अधिक) / कम प्रावधान वित्त वर्ष के अंत में	206,756 (193,120) 225,714 (13,636) 225,714	500,812 (925,126) 206,756 424,314 206,756

8. रोकड़ एवं बैंक जमा

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
रोकड़ और बैंक शेष बैंकों में सावधि जमा	198,262 17,012,230 17,210,492	824,838 17,144,845 17,969,683

रोकड़ एवं बैंक जमा निम्नलिखित मुद्रा में वगीकृत किये जाते हैं:

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	17,168,864	17,892,124
सिंगापुर डालर	41,627	77,559

तुलनपत्र की तिथि को सावधि जमा पर ब्याज दर 0.55 प्र से 3.26 प्र (2011: 1.15 से 3 प्र) वार्षिक है जिनकी मैच्युर्टी तारीखें 0.5 महीने से 11 महीने (2011: 1 महीने से 6 महीने) हैं।

9. व्यापार एवं अन्य प्राप्य

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
व्यापारिक प्राप्य		
- थर्ड पार्टी	11,772,701	20,047,787
- होल्डिंग कारपोरेशन (नोट 15)	20,308,512	10,583,729
ब्राप्य ब्याज	103,653	68,650
अन्य प्राप्य	6,930	13,347
	32,191,796	30,713,513

व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है :

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	32,184,866	30,704,056
सिंगापुर डालर	6,930	9,457
	32,191,796	30,713,513

10. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
जमा	98,048	84,028
पूर्व भुगतान	39,718	-
	137,766	84,208

जमाओं का मूल्यांकन मुख्यतः सिंगापुर डालर में किया जाता है।

11. सहायक कंपनी में निवेश

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
उद्धृत न किये गये इक्विटी शेयर, लागत पर	7,632	7,632
घटाएँ:-मूल्य में कमी के लिए अनुमति	(7,632)	(7,632)
	-	-

सहायक कंपनी का ब्यौरा इस प्रकार है :

सहायक कंपनी का नाम	प्रमुख कार्यकलाप	कंपनी के निगमन तथा व्यापार का देश	इकिवटी	स्वामित्व
			2012 %	2011 %
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल(मास्को) पीटीई लिमिटेड	निष्क्रिय	रूस	100	100

12. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार अमेरिकी डालर	फर्नीचर तथा फिटिंग्स अमेरिकी डालर	कम्प्यूटर उपकरण अमेरिकी डालर	कार्यालय उपकरण अमेरिकी डालर	कुल अमेरिकी डालर
2012					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में परिवर्धन	71,910	39,657	35,006	19,700	166,273
निपटान	-	-	6,450	3,523	9,973
वित्त वर्ष के अंत में	71,910	39,657	(1,812)	(1,720)	(3,532)
			39,644	21,503	172,714
संचित मूल्यहरास					
वित्त वर्ष के आरंभ में मूल्यहरास प्रभार	11,984	25,269	23,843	14,538	75,634
निपटान	23,968	7,512	8,540	3,312	43,332
वित्त वर्ष के अंत में निवल बुक वैल्यू	-	-	(1,812)	(1,046)	(2,858)
वित्त वर्ष के अंत में	35,952	32,781	30,571	16,804	116,108
	35,958	6,876	9,073	4,699	56,607
2011					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में परिवर्धन	33,070	21,509	27,030	16,808	98,417
निपटान	71,910	20,627	10,353	5,278	108,168
वित्त वर्ष के अंत में	(33,070)	(2,479)	(2,377)	(2,386)	(40,312)
	71,910	39,657	35,006	19,700	166,273
संचित मूल्यहरास					
वित्त वर्ष के आरंभ में मूल्यहरास प्रभार	29,531	15,807	16,138	13,300	74,776
निपटान	11,984	11,218	9,620	2,828	35,650
वित्त वर्ष के अंत में नेट बुक वैल्यू	(29,531)	(1,756)	(1,915)	(1,590)	(34,792)
वित्तीय वर्ष के अंत में	11,984	25,269	23,843	14,538	75,634
	59,926	14,388	11,163	5,162	90,639



13. व्यापारिक एवं अन्य देय

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
व्यापारिक देय		
- थर्ड पार्टी	25,296,465	10,389,407
- होल्डिंग कारपोरेशन	249,985	7,513,724
अक्षुड प्रचालन व्यय	141,370	141,804
देय लाभांश	3,031,751	-
	28,719,571	18,044,935

व्यापार एवं अन्य देय राशियों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में
मूल्यांकन किया गया है:-

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	28,538,332	17,896,235
सिंगापुर डालर	158,668	132,884
अन्य	22,571	15,816
	28,719,571	18,044,935

14. उधार

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
अल्पावधि ऋण	5,444,217	12,382,858

उधार की औसत परिपक्वता तुलन पत्र की तिथि से 27 दिन (2011:6 दिन) है।

तुलन-पत्र की तिथि को उधार की ब्याज दर 1.09 प्र (2011:1.20 प्र) है।

15. इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन

कंपनी की इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन एमएमटीसी लिमिटेड है, जो भारत में निगमित है।

16. शेयर पूँजी

कंपनी की शेयर पूँजी में पूर्णप्रदत्त, 1,461,502 (2011:1,461,502) साधारण शेयर, जिसकी राशि अमेरिकी डालर 1,000,000(2011: अमेरिकी डालर 1,000,000) है।

17. लाभांश

	2012 अमेरिकी डालर	2011 अमेरिकी डालर
प्रदत्त/देय साधारण लाभांश		
चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1.27 अमेरिकी डालर (2011:1.45 अमेरिकी डालर) लाभांश पर प्रति शेयर दी गई अंतरिम छूट (एक टियर)	1,856,524	2,118,470
चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2.07 अमेरिकी डालर (2011: अमेरिकी डालर शून्य) लाभांश पर प्रति शेयर दी गई अंतरिम छूट	3,031,751	-
	4,888,275	2,118,470

18. वचनबद्धताएं

(क) क्रय व विक्रय वचनबद्धताएं

तुलनपत्र की तिथि को माल के क्रय तथा विक्रय संबंधी संविदाओं के अधीन जिन बकाया वचनबद्धताओं को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

	2012 US\$	2011 US\$
क्रय वचनबद्धता	27,503,948	18,754,565
विक्रय वचनबद्धता	27,515,948	18,820,692

(ख) आपरेटिंग लीज़ वचनबद्धता

कंपनी निरस्त न करने योग्य आपरेटिंग लीज़ करार के अंतर्गत आवासीय एवं कार्यालय परिसर लीज पर लेती है। लीज में भिन्न-भिन्न शर्तें एवं नवीकरण के अधिकार होते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को निरस्त न करने योग्य प्रचालन लीज के अंतर्गत भविष्य का न्यूनतम लीज भुगतान जिसे देयता नहीं माना गया है, निम्नलिखित रूप से होगा :—

	2012 US\$	2011 US\$
एक वर्ष तक	342,196	117,158
एक वर्ष से ऊपर परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	308,045	57,374
	650,241	174,532

19. संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

वित्तीय विवरणों में अन्यत्र दी गई सूचना के अतिरिक्त कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान सहमत शर्तों पर निम्नलिखित संबंधित पार्टियों से लेन-देन किए गए :-

(क) माल एवं सेवाओं की बिक्री एवं खरीद

	2012 US\$	2011 US\$
होल्डिंग कारपोरेशन को बिक्री होल्डिंग कारपोरेशन से खरीद	451,694,916	426,029,281
	108,073,286	153,580,460

(ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजे निम्नानुसार हैं :

	2012 US\$	2011 US\$
वेतन एवं अन्य अल्पावधि कर्मचारी लाभ	309,672	357,015
नियुक्ति के बाद लाभ—परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान	4,467	4,332
	314,139	361,347

दर्शाइ गई उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई राशि है।

20. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के कार्यकलापों को बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा मूल्य जोखिम सहित), केंटिट जोखिम तथा लिकिवडीटी जोखिम का खतरा बना रहता है। कंपनी का कुल जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम वित्तीय बाजार की अनिश्चितता पर केन्द्रित रहता है ताकि कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वयित किया जाता है। निदेशक मंडल और होल्डिंग निगम संपूर्ण जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्रों की नीतियों के बारे में भी दिशानिर्देश देते हैं।

(क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा विनियम दर जोखिम

कंपनी को विदेशी मुद्रा विनियम दर जोखिम से किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि मुख्य व्यापारिक लेन-देन विदेशी मुद्रा में नहीं किया जाता है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम मुख्य रूप से आयात व निर्यात के वित्त पोषण के अंतर्गत लघुकालीन ऋणों के संबंध में होता है। कंपनी बाजार ब्याज दरों को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करती है ताकि अनुकूल ब्याज दर को सुनिश्चित किया जा सके। तुलनपत्र की तिथि को कंपनी को ब्याज दर जोखिम न्यूनतम है।

(iii) मूल्य जोखिम

कंपनी का वस्तु मूल्य जोखिम नगण्य है क्योंकि इसके पास कोई महत्वपूर्ण वस्तु वित्तीय इन्स्ट्रयूमेंट नहीं है।

(ख) उधार जोखिम

बैंक जमा राशियां न ही पूर्व से देय हैं और न ही उनमें कमी आई है बल्कि मुख्यतः ऐसी जमा राशियां हैं जो बैंकों के पास हैं तथा उनकी क्रेडिट रेटिंग उच्चतर होती हैं चूंकि इसका निर्धारण इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

होल्डिंग कारपोरेशन जिसका कलेक्शन रिकार्ड कंपनी के साथ बहुत अच्छा है, उसके द्वारा देय राशि को छोड़ कर कंपनी का कोई प्रमुख जोखिम नहीं है कंपनी की नीतियाँ इस प्रकार की हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि माल की बिक्री उन ग्राहकों को ही की जाये जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों तथा उनका उपयुक्त क्रेडिट इतिहास हो। तुलनपत्र की तारीख को ऐसी कोई संपत्तियां नहीं हैं जो पूर्व से देय हों अथवा उनमें कोई क्षति हुई हो।

(ग) द्रव्यता जोखिम

कंपनी नकदी तथा उपलब्ध फंडिंग के द्वारा द्रव्यता जोखिम का प्रबंध करती है जिसके लिए पर्याप्त धन राशि क्रेडिट सुविधा के लिए रखी जाती है जो परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापारिक तथा अन्य देय एवं उधार और उनकी एक वर्ष से कम की संविदात्मक परिपक्वताएं हैं।

(घ) पूंजीगत जोखिम

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के पास उसकी पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त इक्विटी एवं डेट इन्स्ट्रयूमेंट्स जारी करके अधिकतम कैपिटल स्ट्रक्चर कायम रखा जा सके।

जैसाकि तुलनपत्र में दर्शाया गया है कंपनी शेयरहोल्डर की कुल इक्विटी के आधार पर पूंजी को मानीटर करती है।

31 मार्च 2012 और 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी को बाहरी पूंजी की आवश्यकता नहीं है।

21. पुनर्वर्गीकरण

चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए कुछ आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण निम्न प्रकार है:

	2011
	अमेरिकी डालर
अन्य आय—निवल	
जैसा रिपोर्ट किया गया है	1,219,886
अन्य व्यय के रूप में पुनःवर्गीकृत	2,154,174
समायोजित शेष	
अन्य व्यय	
जैसा कि रिपोर्ट किया गया है	(257,523)
अन्य व्यय के रूप में पुनःवर्गीकृत	(2,154,174)
समायोजित शेष	(2,411,697)

22. नए अथवा संशोधित लेखा मानक और व्याख्या

दिनांक 1 अप्रैल 2012 से आरंभ कंपनी की लेखा अवधि के लिए कंपनी ने अनिवार्य नए लेखा मानकों, संशोधनों व व्याख्याओं को प्रकाशित किया है। कंपनी के अनुमान के अनुसार इन लेखा मानकों, संशोधनों अथवा व्याख्याओं को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणाम विवरणों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

23. वित्तीय विवरणों का अथोराइजेशन

दिनांक 4 जून 2012 को एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।



एमएमटीसी द्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण | 2011-2012

49^{वीं}
वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यगण

हमने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड ("कंपनी"), इसकी सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उद्यमों के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न समेकित लाभ व हानि लेखे तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी का प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा की है। उक्त मानकों की आवश्यकता है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा-परीक्षा की इस तरह योजना बनाएँ तथा इस प्रकार लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरणों को गलत विवरणों से मुक्त रखें। वित्तीय विवरणों में की गई घोषणा तथा राशियों के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जाँच के आधार पर की गई जाँच लेखा परीक्षा में शामिल होती है। प्रबंधतंत्र द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों की जाँच करने के साथ-साथ पूरे वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा-परीक्षा में शामिल होता है। यह हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा हमारे द्वारा व्यक्त की गई राय के लिए समुचित आधार है।

हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2012 को कुल ₹ 2,539.38 मिलियन की परिसंपत्तियां तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 33,939.19 मिलियन का राजस्व दर्शाया गया है और समेकित वित्तीय विवरण में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगियों की निवेश की सकल लागत ₹ 6025.71 मिलियन है तथा 31 मार्च 2012 को संयुक्त उद्यमों की कुल परिसंपत्तियों के वित्तीय विवरण में ₹ 2,162.52 मिलियन की राशि है तथा इसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की राशि के रूप में कुल राजस्व ₹ 738.27 मिलियन है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं। हमारी राय में इन सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के संबंध में जो राशियां शामिल की गई हैं वे केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही ली गई हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हम रिपोर्ट करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 21, 'समेकित वित्तीय विवरण' लेखामानक एएस-23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों में निवेशों का लेखांकन' तथा एएस-27 'संयुक्त उद्यमों में हितलाभ का वित्तीय लेखांकन तथा समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी एवं सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के अलग से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को शामिल करके तैयार किया गया है।

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी तथा इसकी सहयोगी कंपनी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर अलग-अलग लेखा परीक्षित रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं:

- (i) **जीआर-1फार्म** के समय के विस्तार/छूट को बढ़ावें तथा इसकी सहयोगी कंपनी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर अलग-अलग लेखा परीक्षित रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं।
- (ii) **विविध देनदार/वसूली योग्य दावे/ऋण व अग्रिम/विविध लेनदार/अन्य देयताओं** के तहत बचे शेष के कुछ मामलों में पार्टीयों द्वारा पुष्टि नहीं की गयी है। उक्त की पुष्टि हो जाने पर इसका समायोजन, यदि कोई हो तो, सुनिश्चित नहीं है (नोट संख्या 22 का संदर्भ लें)
- (iii) **क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै में देनदारों से प्राप्त के मामले में कुछ भूलचूक हो जाने के कारण 1002.05 मिलियन रुपए का तदर्थ प्रावधान किया गया है। (नोट संख्या 17 का संदर्भ लें)**
- (iv) **आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को निम्नानुसार सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है जिसका वर्ष के लेखों पर प्रभाव पड़ सकता है। (प्रभाव सुनिश्चित नहीं है।)**
- (क) **जोखिम प्रबंधन विशेषकर विदेशी मुद्रा में कारोबार तथा इसके बाद दस्तावेज़/रिकार्ड कीपिंग और कंपनी के जोखिम की समय-समय पर निगरानी भी की जाए।**
- (ख) **कंपनी द्वारा जिन सामानों का व्यापार ईआरपी तथा अन्य स्टैंड अलोन इन्वेंट्री सिस्टम से किया जाता है (विशेषकर बुलियन) समय-समय पर उनका मात्रात्मक मिलान किया जाए।**
- (ग) **कंपनी के पक्ष में दी गई डिक्रियों/अवार्ड्स के निष्पादन के लिए संबंधित प्रभागों द्वारा पुराने ऋणों, अग्रिमों, दावों, कोर्ट के मामलों तथा वसूलियों इत्यादि के संबंध में तत्काल रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।**

उपरोक्त पैराग्राफों में वर्णित मामलों के संबंध में उपलब्ध सूचना से वर्ष के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव की सीमा तथा तुलनपत्र में प्रस्तुत परिसंपत्तियों व देयताओं को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राप्ति के अंतिम परिणाम/देय राशियों दावों का निपटान जो अधिकतर पुराने हैं, अनिश्चितताओं से जुड़े हुए हैं।

हमारे मतानुसार समेकित लाभ व हानि लेखे, समेकित तुलन पत्र तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3 ग) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

हमारे मतानुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं :

- क) 31 मार्च, 2012 को एमएमटीसी समूह के व्यापार के समेकित तुलन-पत्र के मामले में, तथा
- ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित परिचालन परिणामों से अर्जित लाभ के समेकित लाभ एवं हानि लेखों के मामले में, तथा
- ग) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या: 000287 एन

दिनांक : 28 अगस्त 2012
स्थान: नई दिल्ली

हस्ता
डी.के. कपिला
वरिष्ठ भागीदार
एम सं. 016905

31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र

(₹ मिलियन में)

	टिप्पणी सं.	31-03-2012 को	31-03-2011 को
इकिवटी व देयताएं			
शेयरधारकों की निधियाँ	3		
शेयर पूँजी	3.1	1,000.00	1,000.00
रिजर्व एवं अधिशेष	3.2	15,964.81	14,665.95
गैर-चालू देयताएं	4		
दीर्घावधि ऋण	4.1	992.14	863.74
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4.2	105.94	50.71
दीर्घावधि प्रावधान	4.3	1,374.43	1,252.89
चालू देयताएं	5		
अल्प अवधि ऋण	5.1	34,589.72	61,390.35
भुगतान योग्य व्यापार	5.2	33,487.62	34,921.78
अन्य चालू देयताएं	5.3	42,586.24	80,893.32
अल्प अवधि प्रावधान	5.4	2,295.61	2,758.91
योग		1,32,396.52	1,97,797.65
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसंपत्तियाँ	6		
स्थायी परिसंपत्तियाँ	6.1		
मूर्त परिसंपत्तियाँ	6.1.1	1,491.65	1,252.96
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.1.2	17.01	25.16
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	6.1.3	1,181.09	1,336.04
गैर चालू निवेश	6.2	6,075.40	5,181.15
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	6.3	713.29	335.20
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	6.4	1,074.54	999.64
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	6.5	91.84	142.52
चालू परिसंपत्तियाँ	7		
वर्तमान निवेश		-	-
इच्छेंट्री	7.1	9,502.15	6,561.69
प्राप्य व्यापार	7.2	28,271.49	25,887.15
रोकड़ व बैंक शेष	7.3	29,480.91	68,345.88
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	7.4	44,220.39	65,416.05
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	7.5	10,276.76	22,314.21
योग		1,32,396.52	1,97,797.65
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
 (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
 एफ आर सं. 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी.के. कपिला)
 पार्टनर
 एम नं. 016905

(मनोहर बलवानी)
 महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(विजय पाल)
 मुख्य महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)

(एम जी गुप्ता)
 निदेशक(वित्त)

(सुनीर खुराना)
 निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 28 अगस्त 2012
 स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण (₹ मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालनों से राजस्व	8	6,70,224.07	6,96,130.29
अन्य आय	9	7,079.49	5,043.88
कुल राजस्व		6,77,303.56	7,01,174.17
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	326.08	-
स्टाक—इन—ट्रेड का क्रय	11	6,57,913.28	6,51,053.68
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड			
की इंचेंट्रीज़ में परिवर्तन	12	(2,943.40)	14,681.24
कार्मिक लाभों पर व्यय	13	1,923.36	1,908.94
वित्तीय लागत	14	5,902.56	3,993.40
मूल्यहरास तथा परिशोधन व्यय		144.33	137.02
अन्य व्यय	15	12,545.69	27,511.53
कुल व्यय		6,75,811.90	6,99,285.80
विशिष्ट व असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ			
मदें व कर		1,491.66	1,888.37
विशिष्ट मदें	16	(1.26)	53.29
असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ		1,492.92	1,835.08
असाधारण मदें	17	1,002.05	-
कर पूर्व लाभ		490.87	1,835.08
कर व्यय			
- चालू कर			
कराधान के लिए प्रावधान		544.27	764.49
पूर्व वर्षों में		(101.74)	55.25
- आस्थगित कर		(379.47)	(108.82)
संयुक्त उद्ययों में हितलाभ का हिस्सा		1.38	1.54
अवधि के लिए लाभ		64.44	712.46
एसोसिएट से लाभ में हितलाभ		426.43	1,122.62
एससिएट से लाभ का हिस्सा		146.57	(861.89)
घटाएँ : गुडविल अमोर्टाइज़ेशन(एसोसिएट्स)		0.03	0.03
अवधि के लिए निवल लाभ		146.54	(861.92)
प्रत्येक 1 ₹ प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर आय		572.97	260.70
मूल (₹ में)		0.57	0.26
डाइल्फूटिड (₹ में)		0.57	0.26
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

एफ आर सं. 000287 एन

(सीए डी.के. कपिला)

पार्टनर

एम नं. 016905

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(सुनीर खुराना)
निदेशक

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त व लेखा)

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

दिनांक : 28 अगस्त 2012

स्थान : नई दिल्ली

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

		31.03.12 को समाप्त वर्ष	31.03.11 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		1,492.92	1,835.08
कर व असाधारण मदों से पूर्व लाभ के लिए समायोजन			
असाधारण मदें	(1,002.05)	-	
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	12.06	11.49	
मूल्यहरास व परिशोधन व्यय	144.80	137.13	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ) / हानि	(73.38)	(227.27)	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(0.06)	(0.70)	
ब्याज आय	(6,632.85)	(4,787.05)	
वित्त लागत	5,908.43	3,993.39	
सीडब्ल्यूआईपी के मूल्यहरास के लिए प्रावधान बट्टे खाते में डाले गये ऋण / दावे	0.00	3.19	
संदिग्ध ऋण / कर्ज व अग्रिमों के लिए प्रावधान	133.11	232.57	
निवेश के मूल्य में ह्रास	0.00	1.25	
निवेश संपत्ति के मूल्य में ह्रास	1.25	0.00	
सीएसआर के लिए प्रयोग न किये गये बजट के लिए प्रावधान	0.00	0.97	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(14.51)	(58.20)	
देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है	(295.22)	(94.18)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.00	5.32	(782.09)
	(1,817.07)		
	(324.15)		1,052.99
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन			
इचेंट्रीज	(2,952.52)	14,793.08	
व्यापार प्राप्ति योग्य	(2,445.07)	(11,087.16)	
ऋण व अग्रिम	20,530.39	(4,579.84)	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	12,141.85	11,642.15	
भुगतान योग्य व्यापार	(1,629.72)	(2,268.20)	
अन्य देयताएं	(37,957.99)	(10,632.67)	
प्रावधान	534.21	320.90	(1,811.74)
प्रदत्त कर			
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		(12,418.18)	(1,679.21)
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
मूर्त परिसंपत्तियों का क्रय	(220.46)	(475.35)	
मूर्त परिसंपत्तियों का विक्रय	0.33	0.91	
निवेशों का विक्रय / क्रय	2.96	336.62	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	0.00	(1,748.16)	
प्राप्त किया गया ब्याज	6,632.85	4,787.05	
समेकन पर गुडविल	(0.15)	6,415.53	(2,898.32)
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		6,415.53	2,898.32
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
लिये गये उधार	(26,663.33)	9,865.42	
वित्त लागत	(5,908.43)	(3,993.39)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	(290.56)	(32,862.32)	(5,347.29)
वित्त पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		(32,862.32)	5,347.29
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		(38,864.97)	6,566.40
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का आरंभिक शेष	68,345.88		61,779.48
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष	29,480.91		68,345.88

टिप्पणी:

1. जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन कारपोरेट कार्यालय में किया गया।
3. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं:-

के अंत में

		2011-12		2010-11
क) उपलब्ध चैक व ड्राफ्ट		9.12		3.07
ख) उपलब्ध रोकड़		0.07		0.22
ग) बैंकों में उपलब्ध शेष				
चालू खाते में		2,493.17		3,054.60
कैश केंडिट खाते में (डेबिट शेष)		174.29		12.43
3 माह तक की मूल मैच्युरिटी वाले आवधिक जमा		2,408.75		7,762.04
घ) अन्य*		24,325.55		57,453.51
*इनमें 2,392.80 मिलियन ₹ (गत वर्ष 11489.08 मिलियन ₹)				
मार्जिन राशि लियन के अंतर्गत जमा के रूप में रखी गई				
राशि शामिल है।				
ड) संयुक्त उद्यम में हित हिस्सेदारी		69.96		60.01
योग		29480.91		68345.88

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं. 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी.के. कपिला)
पार्टनर
एम नं. 016905

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त व लेखा)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 28 अगस्त 2012
स्थान : नई दिल्ली

31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लेखा नीतियां तथा वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी भारत में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर-1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के अन्तर्गम 13 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न क्षेत्र में स्थित हैं तथा इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई (एमटीपीएल) सिंगापुर में स्थित है।

कंपनी की मुख्य गतिविधियों में खनिजों और बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों तथा कोयला एवं हाइड्रोकार्बन इत्यादि का आयात करना है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य-पूर्व, लैटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका तक फैली हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

- क) वित्तीय विवरणों को भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप प्रचलित प्रथाओं, निरंतरता और विषय-वस्तु की निरंतरता के अनुरूप अपनाया गया है।
- ख) वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए में दर्शाया गया है और सभी मूल्यों को जहां अन्यथा निर्दिष्ट न हो न किया गया हो नजदीकी मिलियन में दर्शाया गया है।
- ग) अनुपालन—विवरण

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों व समय—समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर वित्तीय परिणाम तैयार किए गए हैं।

2.2 क्रय तथा विक्रय

- क) ऐसे क्रय तथा विक्रय को लेखे में लिया गया है जिनके लिए कंपनी ने क्रेताओं/विक्रेताओं के साथ क्रय/विक्रय संविदा/करार किया है अथवा संविदा/करार/आबंटन के पूर्ण अथवा आंशिक निष्पादन के लिए सरकार से आबंटन प्राप्त हुआ है।
- ख) जिन कमोडिटिज का आयात कंपनी के माध्यम से फैलालाइज्ड है, उनका आयात सरकारी खाते में किया गया। आयात भारत सरकार द्वारा अथाराइजेशन लेटर के विरुद्ध किया गया। खरीद/बिक्री को कंपनी के नाम बुक किया गया।
- ग) डिपाजिट के आधार पर प्राप्त सोना/चांदी :

 - i. एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, खेप स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित हैं।

ii. घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय संबंधित मात्रा को कंसाइनमेंट स्टॉक से लिया गया तथा आपूर्तिकर्ता के साथ हुए मूल्य निर्धारण को हिसाब में लिया जाता है। वर्ष के अन्त में कम्पनी के पास डिपाजिट के तहत गोल्ड/सिल्वर के रूप में उपलब्ध स्टॉक को वर्तमान स्टॉक के रूप में हिसाब में लिया जाता है जिसे अनबिल्ड खरीद शीर्षक दिया जाता है और उसे तर्वर्मान देयताएं मानते हुए अनबिल्ड खरीद के लिए देय राशि दर्शाया जाता है। ऐसा करते समय वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन के मूल्यों को आधार माना जाता है। तथापि, डिपाजिट में शेष पर भुगतान की गई कस्टम ड्यूटी को पूर्व प्रदत्त व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

iii. कन्साइनमेंट स्टॉक से ऋण आधार पर निकाले गये स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध केडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विविध केडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

iv. रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

घ) लौह अयस्क/मैग्नीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अन्तिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1% की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1% की दर से प्रावधान किया गया है।

ड) निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित/डिपैच/देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/लाभ/हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3. राजस्व पहचान

- क) राजस्व की पहचान अकूबल आधार पर की जाती है सिवाय निम्नलिखित मदों के जिनको लेखों में वास्तविक वसूली के आधार पर शामिल किया जाता है। चूंकि, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी मदों की वसूली, अनिश्चित है :

 - i. टारगेट प्लस योजना, आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स केडिट, ड्यूटी केडिट का अथॉराइजेशन।

- ii. निष्पादन के लिए लंबित डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,
 - iii. प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।
 - iv. आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री-कर/वैट एवं इन पर ब्याज की वापसी।
- ख) बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा क्लेम्स को लेखों में लिया जाता है।
- ग) लाभ व हानि लेखों में क्लेम्स की पहचान अकूल आधार पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से संस्कृती के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिह्नित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4. पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में ₹ 10,000/- के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में ₹ 5000/- की जमा राशि को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

2.5. अचल परिसंपत्तियाँ

- (क) सभी रिथर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यहरास को घटाकर दर्शाया जाता है।
- (ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि में निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियाँ तथा न ही अचल परिसंपत्ति और न ही भूमि कंपनी की परिसंपत्तियाँ हैं शीर्षक दिया जाता है।

2.6 मूल्यहरास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यहरास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दिए गए प्रावधानों के समान अथवा उससे अधिक है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहरास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। पट्टे की भूमि तथा डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत रेलवे वैगन रैक्स का चुकाया गया ऋण भी मूल्यहरास में शामिल है। लकड़ी के पार्टीशन तथा बनाए गए अस्थायी ढांचे खरीद/बनाए जाने के वर्ष से ही पूर्णतया मूल्य-हरासित किये जाते हैं। चल परिसंपत्तियों जिनका वर्ष के प्रारंभ में रिटन डाउन वैल्यू अथवा वर्ष के दौरान की गई खरीद यदि प्रत्येक मामले में ₹ 20,000/- अथवा इससे कम है तो ₹ 1/- के नाममात्र मूल्य रखकर 100% मूल्यहरास का प्रावधान किया जाता है। मूल्यहरास की दरें इस प्रकार हैं—

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाई गई मूल्यहरास की दरें	अनुसूची xiv में दी गई मूल्यहरास की दरें
क. सामान्य परिसंपत्तियाँ		
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%	6.33%
वे ब्रिज	10%	4.75%
टाइपराइटर्स, मशीनें, पंखे तथा कार्यालय उपस्कर एवं एसी	12.5%	4.75%
वाहन	20%	9.50%
कम्प्यूटर्स(साफ्टवेयर्स सहित)	20%	16.21%
पट्टे की भूमि	लीज़ एग्रीमेंट के अनुसार	
वैगन रैक्स	करार/वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के अनुसार	
पंखों के अतिरिक्त विजली का सामान	10%	1.63%
जल आपूर्ति, मलवहन तथा निकासी	10%	1.63%
सड़कें तथा पुलियां	2.5%	1.63%
बिल्डिंग तथा फ्लैट्स	2.5%	1.63%
आवासीय फ्लैट्स (बने बनाए)	5%	1.63%
भंडारगृह / गोदाम	4%	1.63%
ख. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियाँ		
फैक्टरी बिल्डिंग	3.34%	3.34%
विद्युत व्यवस्था	4.75%	4.75%
जलापूर्ति	4.75%	4.75%
प्लांट एवं मशीनरी (सामान्य)		
एकल शिफ्ट	4.75%	4.75%
दो शिफ्ट	7.42%	7.42%
तीन शिफ्ट	10.34%	10.34%
प्लांट एवं शीनरी (विंड मिल सहित) अनवरत प्रक्रिया	5.28%	5.28%
(ग) "भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियाँ और न तो अचल परिसंपत्तियाँ और न ही भूमि कंपनी की हैं"	परिसंपत्ति की उपयोगिता का जीवन काल या 5 वर्ष जो भी कम हो।	
(घ) ₹ 20,000/- मूल्य तक की सभी चल संपत्तियाँ	₹ 20,000/- की संपत्तिया या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल संपत्ति के लिए 100%	₹ 5000/- की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए 100%
ड.) मोबाईल हैंडसैट को इनकी खरीद वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है।		
च) पांच वर्षों की अवधि में गुडविल अमोरिटाइजेशन किया जाता है।		

2.7. निवेश

- क) मूल्य में स्थाई मूल्यहरास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।
- ख) निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- i. अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रूपया भुगतान देशों के साथ लेन-देन को विदेशी विनिमय में लेन-देन माना जाता है।
- ii. विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों(लम्बित ऋणों अथवा जहां वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। सूचित की गई गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि की विनिमय दर पर आकलित किया जाता है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।
- iii. अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।
- iv. फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है:
 - क) वर्तमान अंडरलाइंग लेनदेन के प्रति फारवर्ड एक्सचेंज संविदाओं के संबंध में संविदा की अवधि के दौरान समानुपातिक रूप से प्रीमियम/डिस्काउंट मान्य है। विनिमय दर में अंतर के कारण हानि/लाभ की पहचान अंतिम दर अथवा यदि लेन-देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तो निपटान की तिथि को की जाती है तथा (i) यदि लेन-देन का निपटान वर्ष के दौरान किया जाता है तो इसमें क्लोजिंग रेट अथवा निपटान की तिथि को प्रचलित रेट को लिया जाता है तथा (ii) है फारवर्ड संविधा के प्रारंभ की तारीख के बाद की तारीख अथवा अंतिम रिपोर्टिंग तारीख को वर्ष के लाभ व हानि लेखे में शामिल किया जाता है।
 - ख) पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमयातंर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के व्यापारिक, लाभ व हानि खाते में दरशाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस वर्ष की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।
 - v. भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्डवार रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्ड: प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता है:

- i. खनिज
- ii. बहुमूल्य धातुएं

iii. धातुएं

- iv. कृषि उत्पाद
- v. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन
- vi. उर्वरक
- vii. सामान्य व्यापार/अन्य

उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ-साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए एएस-17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप की जाती है।

गौण खंड:- निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात्

- i. भारत से बाहर
- ii. भारत के अंदर(भारत के आंतरिक ग्राहकों द्वारा हाईसीज बिक्री सहित)

2.10 कर्मचारियों को लाभ

- i. ग्रेचुटी, छुटटी नकदीकरण/उपयोग करना, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा एएलटीसी/एलटीसी देयता का प्रावधान इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स द्वारा जारी एएस 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- ii. भविष्य निधि अंशदान, अक्रुएल आधार पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।
- iii. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अनुग्रह राशि तथा नोटिस वेतन के भुगतान को प्रदत्त वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया गया है।

2.11 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

- i. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित रूप से कार्बवाई की जाती है।
- ii. कुछ मामलों में जहाँ स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है

2.12 स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। मूल्यांकन की विधि इस प्रकार है:-

- क) निर्यात
 - i) निर्यात स्टॉक का मूल्य-निर्धारण उस स्थान तक जहाँ स्टॉक पड़ा है, किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार-मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुँचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।
 - ii) निर्यात अनुबंध के अनुसार अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई/एमएन को निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वेंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

- i) आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य—निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहाँ शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहाँ माल रखा गया है वहाँ तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है। तथापि, यदि स्टॉक्स की विशेष पहचान की जा सकती है, तो माल की वास्तविक लागत का निर्धारण उन सभी खर्चों को शामिल करके किया जाता है जहाँ पर यह माल रखा गया है।
- ii) पुनः पूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग के लिए विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदे गए स्वर्ण/चाँदी जो वर्ष के अंत में डिलीवर नहीं किए गए हों, उन्हें निगम के स्टॉक में दर्शाया जाता है तथा लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) घरेलू

- i. सोने/चांदी के मेडालियन और चांदी की सामग्री पर लागत—निर्धारण, स्थान, भारित औसत, सामग्री की कीमत तथा ओपनिंग स्टाक की लागत के आधार पर किया जाता है। लागत में वेस्टेज तथा अन्य प्रत्यक्ष विनिर्माण खर्च शामिल है।
- ii. तराशें और पालिश किए गए पत्थर, सिक्कों तथा जेवरात(परिष्कृत/अर्ध-परिष्कृत के मामले में क्षति व अन्य प्रत्यक्ष निर्माण के खर्च शामिल हैं। लागत में वेस्टेज तथा मैन्युफैक्चर की लागत शामिल है। तथापि, यदि स्टॉक्स की विशेष पहचान की जा सकती है, तो माल की वास्तविक लागत का निर्धारण उन सभी खर्चों को शामिल करके किया जाता है जहाँ पर यह माल रखा गया है।
- iii. 31 मार्च को निम्नतर लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य पर पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है।
- iv. ऋण/फैब्रिकेशन के लिए दिए गए स्टॉक : फैब्रीकेटर को दिए गए स्टाक को समायोजित किए जाने तक उसी कंपनी का स्टाक माना जाता है।

2.13 पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मद तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार “पूर्व अवधि समायोजन खाता” के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय/आय दर्शाए जाते हैं।

2.14 ऋण लागत

- (i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।
- (ii) ऋण लागत को अधिग्रहण, मान्य परिसंपत्तियों के निर्माण पर लगाई गई लागत, इनके प्रयोग हेतु तैयार होने की तिथि तक उक्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में की जाती है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, वर्ष में किए गए व्यय के रूपए में की जाती है।

2.15 आस्थगित कर

आस्थगित कर को युक्ति—युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनको एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन—पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर—कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16 परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों के रख—रखाव (कैरिंग) की लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित(रिवर्स) कर दिया जाता है।

2.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

(I) प्रावधान

(क) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहाँ रखा जाता है जहाँ अपनी देय राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूली अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों की बकाया के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। वसूली लगभग अनिश्चित स्थापित होने पर ऋण/अग्रिम/दावे राईट-ऑफ किए जाते हैं।

(ख) अन्य :

(i) प्रावधान तब मान्य है जब

- क) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो।
- ख) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफलों होने की उम्मीद हो तथा
- ग) बाध्यता की राशि का ठोस आकलन किया जा सकता हो।

- (ii) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो जाए कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।
- (iii) प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

(III) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

- i. आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता है।
- ii. आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती है और न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18 परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व—प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रस्थापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.19 परिचालन पट्टे

परिसंपत्तियों के पट्टों में जहां पर स्वामित्व के दायित्व और लाभ के महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाकर्त्ता अपने पास रखता है उसका वर्गीकरण परिचालन पट्टों के रूप में किया जाता है। परिचालन पट्टों (पट्टाकर्त्ता से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान आय विवरणिका में स्ट्रेट लाइन आधार पर लिया जाता है।

आकस्मिक किरायों की पहचान जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसी वित्तीय वर्ष की आय विवरणिका में व्यय के रूप में की जाती है।

जब परिचालन पट्टे को, पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले ही निरस्त किया जाता है तो दण्ड स्वरूप पट्टाकर्ता को जो भुगतान करना अपेक्षित होता है, उसे जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसे उसी वित्तीय वर्ष के व्यय में दर्शाया जाता है।

2.20 समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण एमएमटीसी लिमिटेड, इसकी सहायक कम्पनी तथा संयुक्त उद्यमों में कंपनी की हिस्सेदारी को संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के रूप में लिया जाता है।

- क) इंस्ट्रीट्र्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 21 'समेकित वित्तीय विवरणिका' के अनुरूप इंट्रा ग्रुप शेष तथा लेन देन के कारण वसूल न किये गये लाभ व हानि को छोड़ कर मूल कम्पनी तथा उसकी सहायक कंपनी की समान परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसी एक समान मदों के मूल्य को एक साथ जोड़ कर वित्तीय विवरणों के समरूप समेकित किया गया है।
- ख) नान-इंटिग्रल विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण को परिवर्तित कर निगमीकृत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाइ जाती है:
 - i) नान-इंटिग्रल विदेशी सहायक कंपनी की वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को इंस्ट्रीट्र्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस-11, में परिभाषित क्लोजिंग रेट पर परिवर्तित किया जाता है।
 - ii) नान-इंटिग्रल विदेशी सहायक कंपनी के आय एवं व्यय की मदों को औसतन विनिमय दर पर परिवर्तित किया

दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3. शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयरपूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का समायोजन

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012		31-03-2011	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क. प्राधिकृत प्रत्येक 1/-रुपए सममूल्य के इकिवटी शेयर	1,000,000,000	1,000.00	1,000,000,000	1,000.00
ख. निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त आरंभिक शेष जोड़ें गए*	1,000,000,000	1,000.00	50,000,000 4,50,000,000 5,00,000,000	500.00 500.00 500.00
कटौती 31 मार्च 2012 को अंतिम शेष	1,000,000,000	1,000.00	1,000,000,000	1,000.00
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी योग			1,000.00	1,000.00

*वर्ष 2010-11 के दौरान, 10/-रुपए प्रत्येक मूल्य के निगम के 5,00,00,000 शेयरों को 1/- रुपये प्रत्येक मूल्य के 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्यतः अधिशेष रिजर्व से 500 मिलियन रुपए का पूँजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

निगम के एक ही वर्ग के शेयर हैं जिसमें 1/-रुपए प्रत्येक के मूल्य के सामान्य शेयर हैं। निगम के संगम अनुच्छेद तथा लागू कानूनों के अनुसार धारकों को निगम के सामान्य शेयर, निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किसी अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करन की पात्रता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है अतः इसकी होल्डिंग कंपनी अथवा इसकी सहायक अथवा एसोसिएट्स द्वारा कोई शेयर नहीं रखे गए हैं।

प्रवर्तकों के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास निगम के 51 से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रवर्तकों, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.03.2012 को 993,312,000 शेयर) की थी।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
रिजर्व		
पूँजी रिजर्व—आरभिक शेष जोड़ेः अधिशेष से अंतरित अंतिम शेष	96.79 884.19 980.98	96.79 0.00 96.79
सामान्य रिजर्व—आरभिक शेष जोड़ेः अधिशेष से अंतरित	6059.48 75.00 6134.48	6429.58 129.91 6559.48
घटाएः कटौती अंतिम शेष	154.19 5980.29	500.00 6059.48
विदेशी मुद्रा ट्रांजेक्शन रिजर्व—आरभिक शेष जोड़ेः संवर्धन	(230.09) 432.99	(234.68) 4.59
घटाएः हरास अंतिम शेष	202.90 0.00 202.90	(230.09) 0.00 230.09
अधिशेष		
अधिशेष—आरभिक शेष जोड़ेः लाभ व हानि विवरण से अंतरित कर पश्चात् जोड़ेः संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी—लाभ—हानि विवरण से अंतरित लाभ/हानि विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि विनियोजन: अंतिम लाभांश लाभांश कर सामान्य रिजर्व में अंतरित राशि	8739.77 548.23 (121.80) 9166.20	8899.52 375.53 (114.81) 9160.23
अधिशेष—अंतिम शेष	8800.64	8739.77
योग	15964.81	14665.95

4. गैर चालू देयताएं

4.1 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
क. सावधि ऋण	-	-
ख. आस्थगित भुगतान देयता	-	-
ग. जमा	-	-
घ. संबंधित पार्टियों से प्राप्त ऋण व अग्रिम	-	-
ङ. अन्य (प्रकार स्पष्ट करें)	-	-
 संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		
क. सुरक्षित	-	-
ख. असुरक्षित	992.14	992.14
	863.74	863.74
 अनुयोग		
क. सुरक्षित	-	-
ख. असुरक्षित	992.14	992.14
	863.74	863.74
योग	992.14	863.74

4.2 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
ट्रेड देय				
- एमएसएमई के अतिरिक्त	12.86		12.86	
- एमएसएमईज	-	12.86	-	12.86
अन्य				
- बिक्री कर / सीएसटी / सीमाशुल्क	18.74		18.74	
- अन्य	13.21	31.95	12.25	30.99
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी			44.81	43.85
			61.13	6.86
योग		105.94		50.71

4.3 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. कर्मचारी लाभ				
I. छुट्टी नकदीकरण	214.73		211.29	
II. सेवानिवृत्ति पश्चात् विकित्सा लाभ	924.78		808.28	
III. अर्धवेतन अवकाश	145.76		143.60	
IV. सेवा अवार्ड	46.15		48.52	
V. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	2.38		2.65	
VI. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	39.92		38.06	
		1373.72		1252.40
ख. अन्य			-	-
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		1373.72		1252.40
		0.71		0.49
योग		1374.43		1252.89

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. बैंकों से मांग होने पर देय ऋण				
(i) सुरक्षित (इंवेंट्रीज, ट्रेड प्राप्तियां तथा वर्तमान एवं भविष्य की अन्य चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	34311.41		50575.60	
(ii) असुरक्षित	278.31	34589.72	10814.75	61390.35
		34589.72		61390.35
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		-		-
योग		34589.72		61390.35

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्याक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं ली गई है।

बैंकों से कैश क्रेडिट / पैकिंग क्रेडिट खाते / अन्य से ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना है।

किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में निगम ने चूक नहीं की है।

5.2 व्यापारिक देय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. विविध लेनदार				
I. एमएसएमई के अतिरिक्त	26672.52		25411.17	
II. एमएसएमईज	-	26672.52	-	25411.17
ख. देय बिल				
		6576.11		9426.11
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		33248.63		34837.28
		238.99		84.50
योग		33487.62		34921.78

विविध लेनदारों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ऋण पर स्वर्ण लेकर निगम के ग्राहकों को ऋण आधार पर जारी किए गए 10217.50 मिलियन रूपए (विगत वर्ष 11846.15 मिलियन रूपए) के अप्रयोगमूलक मूल्य का 3747 किलोग्राम (विगत वर्ष 5695 किलोग्राम) स्वर्ण शामिल है।

5.3 अन्य चालू देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011	
क. ऋण पर अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज	229.26		156.35
ख. ऋण पर अर्जित तथा देय ब्याज	1.44		0.63
ग. अग्रिम में प्राप्त आय	-		-
घ. अन्य देय (प्रकार स्पष्ट करें)			
- विविध लेनदार-अन्य	88.76	77.34	
- ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	597.13	6818.26	
- भुगतान न किए गए लाभांश	0.05	0.00	
- देय डिस्पैच	37.48	31.67	
- देय डेमरेज	88.80	116.50	
- विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	1546.87	684.67	
- सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	1105.73	640.16	
- करों तथा कर्मचारियों के बकाया के लिए प्रेषित राशि	816.93	1240.52	
- फारवर्ड कवर आदि	24059.69	32130.97	
- वेतन व भत्ते	61.68	59.60	
- प्रशासनिक व्यय	135.98	203.25	
- बिना विल के क्रय के लिए देय राशि	9941.28	21584.98	
- अन्य	3690.33	42170.71	16979.37
	42401.41		80724.28
	184.83		169.04
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी			
योग	42586.24		80893.32

5.4 लघु अवधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011	
क. कर्मचारी लाभ			
i. बोनस/निष्पादन संबंधित वेतन	113.92	200.92	
ii. अर्जित अवकाश	26.04	19.59	
iii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	57.22	50.53	
iv. अर्धवेतन अवकाश	15.16	10.40	
v. ग्रेच्युटी	-	27.18	
vi. अधिवर्षिता लाभ	287.55	220.57	
vii. सेवा अवार्ड	7.06	5.01	
viii. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	0.29	0.23	
ix. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	4.29	511.53	3.85
			538.28
ख. अन्य			
i. कराधान	1336.38	1921.78	
ii. प्रस्तावित लाभांश	404.98	250.00	
iii. लाभांश वितरण कर	40.56	40.56	
iv. गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	-	5.32	
v. कारपोरेट सामाजिक दायित्व	0.72	1782.64	0.97
			2218.63
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		2294.17	2756.91
		1.44	2.00
योग		2295.61	2758.91

6. गैर-चालू परिसंपत्तियां

6.1 स्थायी परिसंपत्तियां

6.1.1 मूर्त(टैंजीबल) परिसंपत्तियां

	सकल ब्लॉक					01.04.2011 को आरंभिक शेष
	01.04.2011	जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान किए गए	31.03.2012	
फ्रीहोल्ड भूमि						
-कार्यालय भवन	3.66				3.66	
-स्टॉफ क्वार्टर्स	1.33				1.33	
लीज होल्ड						
-कार्यालय भवन	40.14				40.14	10.77
-स्टॉफ क्वार्टर्स	2.67				2.67	1.04
भवन						
-कार्यालय भवन	128.01			0.00	128.01	46.76
-स्टॉफ क्वार्टर्स	68.88	0.46		0.00	69.34	49.31
-जलापूर्ति, मल निकासी तथा ड्रेनेज	9.46				9.46	9.27
-विद्युत इंस्टालेशंस	17.52			0.01	17.51	15.47
-सड़कें व पुलिया	3.58				3.58	2.23
-आडियो/अग्नि/वातानुकूल	13.00	0.02		0.56	12.46	12.83
संयत्र तथा उपस्कर	786.06	10.85		0.17	796.73	208.38
फर्नीचर तथा फिटिंग्स						
-पार्टिशंस	21.67	0.95		0.53	22.09	21.22
-अन्य	52.78	0.99		2.11	51.67	46.97
वाहन	24.17			0.95	23.22	15.91
कार्यालय उपस्कर	67.82	4.34	1.86	7.77	62.53	54.88
अन्य:						
रेलवे वैगन रेक्स	553.64				553.64	255.59
बीएनएचटी पर रेलवे लूप लाइन	26.17				26.17	26.17
गोदाम	34.11				34.11	15.31
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	176.89	4.92	1.86	5.83	174.12	161.39
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	180.20	351.52	0.00	0.02	531.69	5.28
कुल योग	2211.76	374.06	3.72	17.95	2564.14	958.80
विवर वर्ष	2256.55	27.90	65.27	7.42	2211.76	851.87

- (क) कुछ कार्यालयों से कार्यालय की निर्माणाधीन भूमि/भवन/फ्लैट्स/पुलियों, सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के अंतरिम बिलों के लंबित प्राप्ति के कारण या निर्माणाधीन लीज डीड का निष्पादन होने तक इन्हें अस्थायी आधार पर आंका गया है।
- (ख) दिल्ली के स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।
- (ग) आवासीय फ्लैटों में 0.002 मिलियन रु (गत वर्ष 0.002 मिलियन रु) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुल फ्लैटों में जिनका मौलिक मूल्य 31.3.2012 को 4.89 मिलियन रु (गत वर्ष 4.89 मिलियन रु) है, का अंतरण लंबित है।
- (घ) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 3.09 मिलियन रु (गत वर्ष 3.09 मिलियन रु) है, और मूल्यहरास 2.57

(₹ मिलियन में)

वर्ष के लिए मूल्यहरास	मूल्य ह्रास/क्षति				सकल कैरिंग मूल्य	
	क्षति/क्षति का निराकरण (रिवर्सल)	अनुयोग	कटौतियाँ	31.03.2012 को शेष	31.03.2012	31.03.2011
		0.00		0.00	3.66	3.66
		0.00		0.00	1.33	1.33
0.50		11.28		11.28	28.86	29.36
0.03		1.07		1.07	1.60	1.63
3.31		50.07		50.07	77.94	81.25
1.37		50.69		50.69	18.65	19.56
0.04		9.31		9.31	0.16	0.19
0.31		15.78	0.01	15.78	1.74	2.05
0.09		2.32		2.32	1.26	1.35
0.02		12.85	0.56	12.29	0.17	0.17
39.26		247.64	0.17	247.47	549.26	577.68
0.96		22.18	0.53	21.65	0.44	0.45
2.51		49.48	2.11	47.38	4.29	5.81
3.03		18.94	0.95	17.99	5.23	8.26
4.55		59.43	9.40	50.03	12.50	12.94
55.36		310.96		310.96	242.68	298.05
-		26.17		26.17	0.00	0.00
1.36		16.68		16.68	17.44	18.80
8.50		169.90	7.67	162.22	11.89	15.50
13.88		19.16	0.00	19.16	512.53	174.91
135.09	0.00	1093.89	21.40	1072.49	1491.65	1252.96
133.22	-	985.09	26.29	958.80	1252.96	1404.68

मिलियन रु (गत वर्ष 2.51 मिलियन रु का प्रावधान है।

- (ड) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत 0.66 मिलियन रु (गतवर्ष 0.66 मिलियन रु) है।
- (च) पारादीप में लीजहोल्ड भूमि, जिसकी अवधि 20.11.2010 को समाप्त हो गई है, पर बने रिहायशी भवन, सड़कों व पुलियों तथा बिजली उपकरण व्यवस्थाओं की लागत 11.63 मिलियन (गत वर्ष 11.63 मिलियन रु) है तथा संचित मूल्यहरास 5.72 मिलियन रु (गत वर्ष 5.42 मिलियन रु) है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की है। तथापि सरकार से अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है।
- (छ) वर्ष के लिए मूल्यहरास में पूर्वावधि मदों के अंतर्गत दर्शाए गए 0.41 मिलियन रु शामिल हैं।

6.1.2 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

	सकल ब्लॉक						01.04.2011 को आरंभिक शेष
	01.04.2011	जोड़े गए	व्यापार संयोजन द्वारा जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान	31.03.2012	
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर समेकन (संयुक्त उद्यमों) पर गुडविल अन्य संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	0.27 25.65 15.12	0.15 0.15 0.75				0.42 25.80 15.85	0.22 10.40 5.27
योग	41.04	1.05	0.00	0.00	0.03	42.07	15.88
विगत वर्ष	41.04	0	0	0	0	41.04	10.75

6.1.3 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

	परिसंपत्तियाँ						01.04.2011 को आरंभिक शेष
	01.04.2011	जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान	31.03.2012		
भवन							
- निर्माणाधीन भवन	6.71				6.71		6.71
- विद्युत इंस्टालेशन	6.70				6.70		6.70
- सड़कें एवं पुलियाँ	0.47				0.47		0.47
संयंत्र एवं उपस्कर संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	18.94 1330.90	(5.14) 126.22	0.00	276.04	13.80 1181.09		13.80 0.00
कुल	1363.73	126.22	(5.14)	276.04	1208.77		27.69
विगत वर्ष	923.74	450.33	-	10.34	1363.73		27.69

49 वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

(₹ मिलियन में)

अमोरटाइजेशन					सकल कैरिंग मूल्य	
वर्ष के लिए अमोरटाइजेशन	क्षति/क्षति का निराकरण (रिवर्सल)	अनुयोग	कटौतियां	31.03.2012 को शेष	31.03.2012	31.03.2011
0.09		0.31		0.31	0.11	0.05
5.16		15.56		15.56	10.25	15.26
3.92		9.19		9.19	6.66	9.85
9.17	0.00	25.06	0.00	25.06	17.01	25.16
5.13	-	15.88	-	15.88	25.16	30.29

(₹ मिलियन में)

मूल्यह्रास/क्षति					सकल कैरिंग मूल्य	
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	क्षति/क्षति का निराकरण (रिवर्सल)	अनुयोग	कटौतियां	31.03.2012 को शेष	31.03.2012	31.03.2011
		6.71		6.71	0.00	0.00
		6.70		6.70	0.00	0.00
		0.47		0.47	0.00	0.00
		13.80		13.80	0.00	5.14
		0.00		0.00	1181.09	1330.90
0.00	0.00	27.69	0.00	27.69	1181.09	1336.04
0.00	-	27.69	0.00	27.69	1336.04	896.05

6.2 गैर चालू निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
I. व्यापारिक निवेश		
क) निवेश संपत्ति	35.06	36.31
बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स		
ख) इकिवटी दस्तावेजों में निवेश		
क) सहायक कंपनियां		
i. नीलांचल इस्पाएत निगम लि०		
प्रत्येक 10/- ₹० मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गत वर्ष 10/- ₹० मूल्य के 1999,000,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर	3796.85	1990.00
जोड़ें: अब तक एसोसिएट्स से प्राप्त आय	1248.57	1102.01
जोड़ें: पूंजीगत रिजर्व	980.29	96.10
ii. डिवोना थर्मल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि०	6025.71	3188.11
प्रत्येक 10/- ₹० मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/- ₹० मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर	0.13	0.13
इकिवटी शेयर	0.13	0.13
घटाएं: गुडविल		
ख) संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00
ग) अन्य		-
i. इंडो फ्रैंच बायोटैक लिमिटेड		
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर)	47.50	47.50
घटाएं: निवेश के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	47.50	47.50
ii. यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	0.00	0.00
प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के 3,000,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर(गत वर्ष प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के 3,000,000 पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर)	30.00	30.00
C. सरकारी तथा ट्रस्ट सिक्यूरिटीज में निवेश		
9 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2013	0.03	0.03
घ. अन्य		
इकिवटी जिसका आबंटन लम्बित है, के लिए अग्रिम		
- हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	-	118.40
- इंटिग्रेटेड वेयरहाउसिंग काण्डला प्रोजेक्ट्स	-	13.89
डिवलपमैंट प्राइवेट लिमिटेड	-	1806.85
- नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	-	1939.14
	6090.80	5193.59
II. अन्य निवेश		
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	(15.40)	(12.44)
योग	6075.40	5181.15

सभी गैर चालू निवेशों का आकलन मूल्य में स्थायी ह्रास यदि कोई हो तो, के लिए किए गए प्रावधान को धाता कर लागत पर किया जाता है। निगम के कोई उद्धृत निवेश नहीं है। अनउद्धृत निवेशों की कुल योग राशि 3874.51 मिलियन रुपये (गत वर्ष 2067.66 मिलियन रुपये) है। निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए 47.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 47.50 मिलियन रुपये) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है।

दिनांक 31.03.2011 को निवेश में दर्शाइ गई 178.77 मिलियन रुपये की राशि भूमि की खरीद/भूमि के लोज किराये के भुगतान के लिए एचएफटीडब्ल्यूपीएल तथा

आईडब्ल्यूकॉम्पीडीपीएल को जारी 'इकिवटी' के प्रति अग्रिम' को दर्शाता है। इस राशि को दिनांक 30.03.2012 से "परियोजना विकास निधि" में अंतरित कर दिया गया है तथा इसे 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम' में दर्शाया गया है। इसलिए दिनांक 31.03.2012 को इहें निवेश में नहीं दिखाया गया है।

"आबंटन होने तक इकिवटी के लिए अग्रिम" के अंतर्गत दिनांक 31.03.2012 को निवेश में दर्शाए गए 1806.35 मिलियन रुपये की राशि को चालू वर्ष के दौरान इकिवटी शेयरों में अंतरित कर दिया गया तथा तदनुसार इसे दिनांक 31.03.2012 को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में "इकिवटी इंस्ट्रयुमेंट में निवेश" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सकल)

31 मार्च 2012 को आस्थगित कर परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं

(₹ मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.11 का आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	2011-12 के दौरान क्रेडिट / (चार्ज)	दिनांक 31.3.12 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)
मूल्यव्याप्ति	(216.58)	21.71	(194.87)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	444.72	363.01	807.73
डीडब्ल्यूए जोखिम	1.72	(1.72)	-
वीआरएस व्यय	16.19	(7.63)	8.56
आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज	17.88	(17.88)	-
अन्य	71.56	21.98	93.54
संयुक्त उद्यमों में हित	(0.29)	(1.38)	(1.67)
कुल	335.20	378.09	713.29

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. सुरक्षित जमा				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	8.24		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	78.73		86.87	
III. संदिग्ध	36.82		36.82	
अनुयोग	123.79		123.69	
घटाएँ: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	36.82	86.97	36.82	86.87
ख. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	-		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित				
-अन्य	0.99		0.25	
III. संदिग्ध	4.85		4.85	
अनुयोग	5.84		5.10	
घटाएँ: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	4.85	0.99	4.85	0.25
ग. अन्य ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित				
-पी.एस.यू.ज़ / अन्य कम्पनियों को ऋण व अग्रिम	156.03		28.00	
-अर्जित तथा प्राप्त /अप्राप्त ब्याज	50.81		28.32	
-कर्मचारियों को ऋण	173.76	380.60	170.21	226.53
II. वसूली योग्य, असुरक्षित				
-अर्जित तथा प्राप्त /अप्राप्त ब्याज	3.36		4.72	
-कर्मचारियों को ऋण	49.55		67.38	
-अन्य	508.71		560.69	
III. संदिग्ध	289.36		289.99	
अनुयोग	850.98		922.78	
घटाएँ : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	289.36	561.62	289.99	632.79
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		1030.18		946.44
कुल योग		44.36		53.20
		1074.54		999.64

उपरोक्त राशि में निगम के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फार्म या प्राईवेट कम्पनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है, से 0.97 मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपये) की राशि प्राप्त है।

6.5 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
दीर्घवधि ट्रेड प्राप्त		
i. वसूली योग्य(परिसम्पत्तियों की हाईपोथिकेशन / टाईटल डीडस के मार्टगेज तथा बैंक गारंटीयों से सुरक्षित)	0.96	1.78
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	21.95	26.37
iii. संदिग्ध*	1315.86	127.31
अनुयोग	1338.77	155.46
घटाएः अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्त राशियों के लिए प्रावधान *	1315.86	22.91
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	68.93	127.31
योग	91.84	142.52

* क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई के कुछ मामलों में हुई भूल चूक के समाधान / जॉच पूरी होने तक 1002.05 मिलियन रुपए का वसूली योग्य एवं तदर्थ प्रावधान इसमें शामिल है। (टिप्पणी संख्या 7 देखें)

7. चालू परिसम्पत्तियाँ

7.1 इन्वैंट्रीज

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
क. कच्चा माल	93.94	63.90
ख. प्रगति पर कार्य	-	-
ग. तैयार माल	-	-
घ. स्टॉक -इन-ट्रेड (1809.95 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1564.95 मिलियन रुपये) मूल्य के गुडस इन ट्रॉजिट शामिल हैं।)	9149.17	6415.40
इ. स्टोर्स एंड स्पेयर्स	-	-
फ. लूज़ टूल्स	-	-
ग. पैकिंग सामान	-	-
ह. अन्य (विशिष्ट प्रकृति के)	1.20	9244.03
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	257.84	81.81
योग	9502.15	6561.69

जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया। गुडस इन ट्रॉजिट सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31मार्च को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

बाजार मूल्य पर किया गया अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से भी कम होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 12.06 मिलियन रुपये (गत वर्ष 107.76 मिलियन रुपये) की हानि हुई। इच्छेन्ट्री में 85.98 मिलियन रुपये मूल्य के स्टॉक शामिल हैं जो आईसीआई लुधियाना में ग्राहक हुए हैं तथा जिसके संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बिल ऑफ एंट्री फाईल की गई है। परन्तु आपूर्तिकर्ता द्वारा मास्टर बिल ऑफ लैडिंग उपलब्ध न करवाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय डिलीवरी प्राप्त नहीं कर सका।

7.2 ट्रेड प्राप्त (रिसिवेबलस)

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
क. भगतान के लिए नियत तिथि से छ: माह से अधिक की अवधि के बकाया ट्रेड प्राप्त		
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	1015.72	39.50
ii. वसूली योग्य, असुरक्षित	1128.88	593.10
iii. संदिग्ध	546.88	625.13
घटाएः : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2691.48 546.88	1257.73 625.13
ख. अन्य ट्रेड प्राप्त		
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	11479.88	3470.73
ii. वसूली योग्य, असुरक्षित	14636.07	21770.95
iii. संदिग्ध	-	-
घटाएः : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	26115.95 -	25241.68 -
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	28260.55 10.94	25874.28 12.87
योग	28271.49	25887.15

7.3 रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
- उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्ट्स	9.12			3.07
- उपलब्ध रोकड़	0.07			0.22
- बैंकों के पास शेष				
क) चालू खाते में	2493.17		3054.60	
ख) कैश क्रेडिट खाते (डेबिट शेष) में	174.29		12.43	
ग) तीन माह की मूल मैच्यूरिटी के साथ सावधि जमा में	2408.75	5076.21	7762.04	10829.07
ख) बैंकों के पास अन्य शेष				
- मार्जिन राशि के रूप में / लियन के अन्तर्गत	2392.80		11489.08	
- तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल मैच्यूरिटी के साथ सावधि जमा में	21759.13		44364.71	
- 12 माह से अधिक अवधि की मूल मैच्यूरिटी	173.62	24325.55	1599.72	57453.51
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी			29410.95	68285.87
योग			69.96	60.01
			29480.91	68345.88

मार्जिन राशि अथवा ऋणों के लिए सिक्यूरिटी, गारंटी, अन्य बाध्यताओं के रूप में बैंकों के पास 2392.80 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 11489.08 मिलियन रुपए) शेष है।

भुगतान न किए गए लाभांश के लिए बैंकों के पास शेष में 0.05 मिलियन रुपए (विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) शामिल है।

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी लेखा मानक-3 के प्रावधानों के अनुरूप “रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष” को “रोकड़ एवं बैंक शेष” में परिवर्तित किया गया है।

7.4 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011		
क. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
i. वसूली योग्य – सुरक्षित	-		-	
ii. वसूली योग्य – असुरक्षित	-		-	
iii. संदिग्ध	-		-	
घटाएँ : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
ख. अन्य				
i. प्राप्य बिल	1188.13		200.04	
घटाएँ : बिल्स डिस्काउंटेड	7.01		34.91	
वसूली योग्य – सुरक्षित		1181.12		165.13
ii. रोकड़ अथवा माल के रूप में अग्रिम				
वसूली योग्य – सुरक्षित	39247.29		44678.76	
वसूली योग्य – असुरक्षित	2141.04		17900.51	
संदिग्ध	176.55		178.27	
घटाएँ : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधान	41564.88		62757.54	
iii. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
वसूली योग्य – सुरक्षित	0.26		10.60	
वसूली योग्य – असुरक्षित	308.80		607.93	
संदिग्ध	89.96		80.64	
घटाएँ : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधान	399.02		699.17	
iv. आयकर(अग्रिम आयकर, टीडीएस तथा प्राप्य रिफंड सहित)				
वसूली योग्य – असुरक्षित	1326.09		2040.22	
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		44204.61		65403.15
योग		15.78		12.90
		44220.39		65416.05

निवेशकों तथा अन्य अधिकारियों (मुख्य महाप्रबंधक तथा कम्पनी सचिव) द्वारा देय 2.45 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.79 मिलियन रुपए)

7.5 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
आस्थगित प्रीमियम	334.49	724.65
बिल न किए गए कय के प्रति स्वर्ण/चांदी का स्टॉक	9941.28	21584.98
10275.77		22309.63
घटाएँ : संदिग्ध राशि, यदि कोई हो तो, के लिए प्रावधान	-	-
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	10275.77	22309.63
	0.99	4.58
योग	10276.76	22314.21

8. प्रचालन से राजस्व

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
क. उत्पादों का विक्रय		694001.55
ख. सेवाओं का विक्रय	665462.51	0.12
ग. अन्य प्रचालन राजस्व	0.46	
- अर्जित डिस्पैच	5.25	0.04
- दावे	370.22	653.76
- आर्थिक सहायता	2937.36	881.64
- अन्य व्यापारिक आय	746.22	480.56
	4059.05	2016.00
घटाएँ :		
ड. आबकारी शुल्क	3.10	4055.95
		-
		2016.00
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	669518.92	696017.67
	705.15	112.62
योग	670224.07	696130.29

विगत वर्षों के दौरान एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए आयात किए गए कोयले के संबंध में, गतव्य स्थान पर अंतिम गुणवत्ता विश्लेषण प्राप्त न होने के कारण फाइनल बीजक (इनवायर्स) जारी किए जाने तक कुछ मामलों में अनंतिम आधार पर बिक्री बुक की गई। लाभप्रदता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि फाइनल बीजक(इन्वायर्स) जारी होने पर यदि कोई अतंर होगा तो वह आपूर्तिकर्ता के खाते में होगा।

9. अन्य लाभ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
क. व्याज		
- फिक्स डिपजिट पर व्याज	3879.95	2533.07
- ग्राहकों की विलम्बित राशि से व्याज	134.35	51.73
- अन्य	2483.71	2202.25
	6498.01	4787.05
ख. सहायक कम्पनी से लाभांश		-
ग. निवेशों की बिक्री से सकल लाभ/हानि		-
घ. अन्य गैर-प्रचालन आय (उक्त आय पर सीधे आरोप्य सकल व्यय)		
- स्टाफ क्वार्टर किराया	5.40	4.33
- विविध प्राप्तियाँ	159.83	125.00
- रिटन बैंक देयताएँ	295.22	94.18
- विदेशी मुद्रा विनियम अर्जन	104.39	18.84
घटाएँ : विदेशी मुद्रा विनियम हानि	-	564.84
		-
		242.35
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		7062.85
		5029.40
		14.48
योग	7079.49	5043.88

10. प्रयुक्त माल की लागत

	31-03-2012	31-03-2011	(₹ मिलियन में)
कच्चा माल	-	-	-
पैकिंग सामान	-	-	-
कंज्यूमेबल्स	-	-	-
लूज़ टूल्स	-	-	-
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	326.08	-	-
योग	326.08	-	-

11. स्टॉक इन-ट्रेड का क्रय

उत्पाद समूह	31-03-2012	31-03-2011	(₹ मिलियन में)
क. क्रय			
बहुमूल्य धातुएं	476430.20	471338.68	
धातुएं	27812.63	29137.27	
उर्वरक	64472.54	23140.63	
खनिज	12313.50	30916.10	
कृषि उत्पाद	34213.12	23994.57	
कायेला व हाईड्रोकार्वन	42254.04	72274.41	
सामान्य व्यापार	396.93	657892.96	87.76
ख. माल के रूप में प्राप्त/ऋण पर जारी किया गया स्टॉक			
बहुमूल्य धातुएं	(7.97)	42.75	
	(7.97)	42.75	
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	657884.99	650932.17	
	28.29	121.51	
योग	657913.28	651053.68	

12. इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन

	31-03-2012	31-03-2011	(₹ मिलियन में)
क. तैयार माल			
आरंभिक शेष	0.24	0.25	
अंतिम शेष	0.28	0.15	
तैयार माल की इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन	(0.04)	0.10	
ख. प्रगति पर कार्य			
आरंभिक शेष	-	-	
अंतिम शेष	-	-	
प्रगति पर कार्य की इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन	-	-	
ग. स्टॉक-इन-ट्रेड			
आरंभिक शेष	6479.73	21306.11	
अंतिम शेष	9256.09	6575.42	
स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन	(2776.36)	14730.69	
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	(2776.40)	14730.79	
	(167.00)	(49.55)	
इन्वैन्ट्रीज में कुल परिवर्तन	(2943.40)	14681.24	

13. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
i. वेतन तथा भत्ते	1726.17	1639.17
ii. भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान	128.45	147.69
iii. ईएसओपी / ईएसपीपी	-	-
iv. स्टॉफ कल्याण व्यय	34.23	97.70
 संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	 1888.85	1884.56
 योग	 34.51	24.38
 वेतन व भत्तों में शामिल है :—	 1923.36	 1908.94
i. वेतन व भत्ते	1156.64	1097.12
ii. छुटटी नकदीकरण	123.61	71.79
iii. वी आर व्यय	36.87	5.40
iv. बोनस	5.54	9.90
v. निष्पादन संबंधित वेतन	50.92	84.27
vi. चिकित्सा व्यय	284.43	308.48
vii. अधिवर्षिता लाभ	66.48	60.57
viii. ग्रुप बीमा	0.40	0.61
ix. डीएल आई एस में अशंदान	1.28	1.03
 योग	 1726.17	 1639.17
 भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान		
i. भविष्य निधि	83.56	77.90
ii. ग्रेचुर्टी निधि	35.23	58.26
iii. परिवार पैशान योजना	9.66	11.53
 योग	 128.45	 147.69

वेतन संशोधन के लिए डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान अधिवर्षिता लाभ के लिए 66.48 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 60.57 मिलियन रुपए) की देयता का प्रावधान किया गया।

14. वित्त लागत

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
I. ब्याज व्यय	5144.98	3681.00
II. अन्य ऋण लागत	-	7.72
III. विदेशी मुद्रा लेन-देन पर लागू सकल लाभ / हानि	-	-
IV. फारवर्ड कांट्रैक्ट पर प्रीमियम	728.62	300.11
	5873.60	3988.83
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	28.96	4.57
योग	5902.56	3993.40

ब्याज व्यय में अग्रिम आयकर के भुगतान में कमी के लिए भुगतान किए गए 14.34 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 16.15 मिलियन रुपए) शामिल हैं।

15. अन्य व्यय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011	
क. प्रचालन व्यय			
भाड़ा	1691.88	8072.35	
डेमरेज	124.07	13.89	
विलयरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	933.24	6335.64	
एल / सी नेगोशिएशन व अन्य प्रभार	42.55	26.36	
विनियम में अन्तर (1)	195.57	(215.52)	
सीमा शुल्य	8807.41	12088.14	
बीमा	13.01	19.15	
गोदाम बीमा	10.62	11.50	
प्लॉट तथा गोदाम किराया	24.12	54.24	
पैकिंग माल	22.00	16.83	
गतंव्य / भार तथा विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	-	11864.47	5.32
			26427.90
ख. प्रशासनिक व्यय			
स्टोर्स तथा स्पेयर पार्ट्स का उपभोग	-	-	
उर्जा एवं इंधन	-	-	
किराया	35.81	49.65	
भवनों की मरम्मत	39.09	37.34	
मशीनरी की मरम्मत	4.44	5.95	
बीमा	3.44	2.87	
दरें एवं कर	24.83	8.19	
पूर्वाधि मर्दे (2)	(109.26)	-	
विविध व्यय (3)	577.09	575.44	871.39
			975.39
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		12439.91	27403.29
		105.78	108.24
योग		12545.69	27511.53

(i) बी / एल तिथि को अप्रयोगमूलक विनियम दरों को अपनाने के कारण :

(क) आयात के लिए 335.50 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 724.65 मिलियन रुपए) के आस्थगित फारवर्ड प्रीमियम तथा निर्यात के लिए (1.10) मिलियन रुपए (विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपए की पहचान अगले लेखा वर्ष के लाभ हानि खाते में की जाएगी।

(ii) पूर्वाधि मर्दे

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011	
व्यय			
विक्रय की लागत	20.85	75.68	
वेतन व भत्ते	0.21	0.03	
प्रशासनिक व्यय	5.88	2.27	
ब्याज	4.49	1.52	
मूल्यद्वास	0.41	(0.00)	
अन्य	1.59	0.01	
अनु-योग	33.43	79.51	
आय			
बिक्री	1.85	57.30	
ब्याज	134.84	6.97	
अन्य प्राप्तियां	6.01	0.01	
अनु-योग	142.70	64.28	
कुल योग (सकल)	(109.27)		15.23

(iii) विविध व्ययों में शामिल हैं:

क. विदेशी मुद्रा लेन देन पर सकल लाभ अथवा हानि

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
विनियम में हानि(लाभ)	1.35	(4.83)
	1.35	(4.83)

ख. लेखा परीक्षकों को प्रदत्त राशि

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
लेखा परीक्षक के रूप में	2.43	3.53
कराधान मामलों के लिए	1.14	0.98
कम्पनी विधि मामलों के लिए	-	-
प्रबंध तंत्र सेवाओं के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	1.84	0.64
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.14	0.41
	5.55	5.56

16. आपवादिक मद्दें

(₹ मिलियन में)

	31-03-2012	31-03-2011
इच्चेंट्रीज का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बराबर राइट डाउन करना और उसके मूल्य के किसी प्रावधान का रिवर्सल	12.06	107.76
पुर्णगठन लागत के लिए रिवर्सल का प्रावधान	-	-
स्थायी परिसंपत्तियों के मदों का निपटारा	(0.06)	(0.70)
दीर्घावधि निवेशों का निपटारा	-	-
पूर्वकाल से लागू विधायी परिवर्तन	-	-
विवाद निपटान	-	-
अन्य रिवर्सल का प्रावधान	(14.51)	(58.20)
निवेश संपत्ति के मूल्य में गिरावट	1.25	1.25
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	-	3.18
	(1.26)	53.29

17. असाधारण मद्दें

क्षेत्रीय कार्यलय, चेन्नई में बुलियन संबंधी लेन-देन में भूल-चूक की कुछ प्रक्रियाओं के कारण आने वाले पूर्व वर्ष से संबंधित देनदारों से वसूली योग्य राशि के बाबत असाधारण मदों में 1002.05 मिलियन (गत वर्ष शून्य मिलियन) रूपये तदर्थ प्रावधान प्रकट किया गया है। कंपनी ने विशेष लेखा-परीक्षा के आदेश दिये हैं जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म के माध्यम से किया जा रहा है। विशेष लेखा-परीक्षा शीघ्र पूरा होने की आशा है। कंपनी ने सीबीआई को भी शिकायत दर्ज कराई है जिन्होंने अब अलग-अलग दो एफआईआर पंजीकृत की है और व्यापक जांच आरंभ कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी प्रिवेन्शन आफ मनी लान्डरिंग एक्ट, 2002 के अधीन दो भूतपूर्व कार्मिकों और दो देनदारों के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया है।

18. आकस्मिक देयता तथा वचनबद्धताएं (जिनके लिए प्रावधान सीमा निर्धारित नहीं है)

I. आकस्मिक देयताएं

- क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 1460.40 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 845.61 मिलियन रूपये) की गारंटीयों तथा अनुबंध के निष्पादन के लिए ग्राहक के पक्ष में 360.40 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 4506.69 मिलियन रूपए) राशि की कारपोरेट गारंटी दी गई है, जिसके विरुद्ध एसोसिएट आपूर्तिकारों से बैंक-अप गारंटीयां प्राप्त की गई हैं।
- ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा व्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर से निगम द्वारा दी गई 14409.10 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 14409.10 मिलियन रूपये की कारपोरेट गारंटी)।
- ग) कंपनी के विरुद्ध 816.88 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 1953.16 मिलियन रूपये) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।
- घ) कंपनी द्वारा खोले गये साथ पत्रों में से 8493.22 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 12254.56 मिलियन रूपये) की राशि बकाया है।
- ङ.) बैंकों से 7.01 मिलियन रूपये (गत वर्ष 34.91 मिलियन रूपये) के बिल डिस्काउंट कराये गये।
- च) 995.70 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 839.17 मिलियन रूपये) की विवादित बिक्रीकर मांग जिसके लिए 94.92 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष

107.49 मिलियन रुपये) जमा कराये गये और 6.74 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 7.25 मिलियन रुपये) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

- छ) बिजनेस आगिजलियरी सेवा के संबंध में 470.38 मिलियन रुपये (गत वर्ष 425.49 मिलियन रुपये) की सेवा कर की मांग।
 - ज) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। दिनांक 31.02.2012 को असमाप्त बांडों की राशि 987.79 मिलियन रुपये(गत वर्ष 952.76 मिलियन रुपये) है।
 - झ) वर्ष 2008-09 की सुपुर्दगी अवधि के दौरान मैसर्स एनआईएनएल को की जाने वाली आपूर्ति से आंशिक मात्रा में कोकिंग कोल न उठाए जाने पर एक पार्टी ने कानूनी नोटिस जारी किया है जिसके अनुसार 4005.00 मिलियन रुपये (दिनांक 31.03.2012 को 50.88 रुपये के अंतिम विनिमय दर से 78.72 मिलियन अमरीकी डालर) (गत वर्ष 3511.00 मिलियन रुपये) के साथ-साथ दिनांक 30 सितम्बर 2009 से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का दावा भी किया है। यह मान्य न होने के कारण इसका खंडन किया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए कोकिंग कोल की आपूर्ति न करने के लिए एमएमटीसी ने भी पार्टी के विरुद्ध काउंटर दावा किया है। मामले को सरकारी स्तर पर भी उठाया गया है क्योंकि आपूर्तिकर्ता अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को कोकिंग कोल की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है तथा सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के वरिष्ठ स्तर के नामितों की सशक्त संयुक्त समिति द्वारा सभी शर्तों, अनुबंधों तथा मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।
 - झ) निर्धारण उपरांत बिक्री कर मांग, कुछ कार्मिकों के विवादित दावे, हैडलिंग एजेंटों/संविदाकारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करने, विवादित किराया राशि व ब्याज/दंडात्मक/विधिक लागत इत्यादि की अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो तो अनिधार्य होने के कारण जिसे आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया गया है उन पर विचार नहीं किया गया।
 - ट) इनमें से कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गयी राशि भारत सरकार के खाते में किये गये वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।
- ॥ क) पूँजी खातों में आने वाली उन संविदाओं की अनुमानित लागत में जिन पर काम होना बाकी है तथा जिनके लिए रु मिलियन का प्रावधान नहीं किया गया है (गत वर्ष रु शून्य मिलियन)
- ख) पूँजी खातों में आने वाली उन संविदाओं की अनुमानित लागत में भागीदारी जिन पर काम होना बाकी है तथा जिनके खातों की आडिटिड स्टेटमेंट के आधार पर संयुक्त उद्यम के लिए रु 23.53 मिलियन का प्रावधान नहीं किया गया है (गत वर्ष रु 174.00 मिलियन)
- ग) पूँजी खातों में आने वाली उन संविदाओं की अनुमानित लागत में भागीदारी जिन पर काम होना बाकी है तथा जिनके खातों की आडिटिड स्टेटमेंट्स के आधार पर रु शून्य मिलियन का प्रावधान नहीं किया गया है (गत वर्ष रु 512.22 मिलियन)

सामान्य प्रकटन

19. निम्नलिखित वस्तुएं बिल के बिना खरीदे जाने पर डिपोजिट के रूप में निगम द्वारा रोकी गई है तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट 7.5) तथा अन्य चालू देयताओं (नोट संख्या 5.3) के अंतर्गत दर्शायी गई हैं:-

(रु मिलियन में)

मद्देन्ह	31-03-2012		31-03-2011	
	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
स्वर्ण	3469	9450.18	8450	17422.32
स्वर्णाभूषण	44.29	124.82	-	2.31
चांदी	6904	366.27	76561	4160.34

20. स्वर्ण तथा चांदी के आयात के लिए एक नामित एजेंसी होने के कारण निगम ने यूरोपेस एल/सी के अधीन सोने का आयात किया है या केता के केंडिट का उपयोग किया है। बिक्री मूल्य के रूप में प्राप्त राशि को बैंक के पास मार्जिन राशि के रूप में सावधि जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इस पर अर्जित ब्याज यूरोपेस एल/सी या केता के केंडिट की निश्चित तिथि से पूर्व अर्जित ब्याज व्यापारिक नीति के अनुसार ग्राहकों को देय होता है।

21. मुम्बई कार्यालय परिसर से संबंधित जून 2000 से मार्च 2002 तक की अवधि के लिए मध्यवर्ती लाभ के मामले में लघु मामलों की माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर अपील का निर्णय होने तक 32.33 मिलियन रुपये की राशि के साथ-साथ 33.92 मिलियन रुपये की बैंक गारंटी भी न्यायालय में जमा की गई है। संपूर्ण राशि के लिए खातों में देयता प्रावधान किया गया है। उपरोक्त पर ब्याज यदि कोई होगा तो, का प्रावधान मामलों के अंतिम निर्णय के पश्चात किया जाएगा।

22. देय तिथि के पश्चात बकाया जी आर 1 फार्मो के संबंध में कंपनी ने प्राधिकृत डीलरों को समय विस्तार/वेवर/बट्टे खाते में डालने के लिए आवेदन किया है। आवेदन पर फैसला होने तक देयता यदि कोई हो तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने 23.33 मिलियन रुपये (गत वर्ष 19.53 मिलियन रुपये) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावजूद 1.90 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 1.60 मिलियन रुपये) की राशि जमा करवाई गई है तथा 10.30 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 7.30 मिलियन रुपये) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है।

23. निगम द्वारा लागू किया गया ई आर पी पैकेज 'रामको पैकेज' काफी हद तक संतुलित हो गया है। सिस्टम आडिट की जांच के परिणामस्वरूप प्रणाली व सिस्टम में यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कुछ समय में निगमित कर लिया जाएगा।

24. लेखां मानक –15 (संशोधित) के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये गये हैं:-

- अवकाश नगदीकरण : सेवा से विलग होने पर पात्रा कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवाया जा सकता है।
- सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) : सेवानिवृत्ति कार्मिकों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर ओपीडी उपचार सुविधा उपलब्ध है।
- ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी समस्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति / सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइक्रो प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।
- दीर्घ सेवा लाभ: कार्मिकों को देय दीर्घ सेवा लाभ निम्नानुसार हैं:-
 (क) अधिवर्षिता / स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर कार्मिकों को देय सेवा के प्रत्येक समाप्त वर्ष हेतु 2500/- रुपये राशि का सेवा अवार्ड।
 (ख) सेवाकाल में मृत्यु पर, कार्मिक के आश्रितों को एकमुश्त में देय 50,000/- रुपए राशि की सहानुभूतिशील ग्रेच्युटी।
 (ग) कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को अधिवर्षिता की सेवानिवृत्ति तिथि तक भुगतान किया जाता है। 20 वर्षों से कम सेवा करने पर अधिकतम 12,000/- रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 40% की दर पर मासिक लाभ है तथा सेवाकाल में मृत्यु के समय 20 वर्षों से भी अधिक सेवा करने पर, अधिकतम 12,000/- रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 50% की दर पर मासिक लाभ हैं।

“कर्मचारी लाभ” संबंधी लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यताओं के अंतर्गत वांछित अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :-

(क) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदीकरण	बीमारी छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवालाभ
(i)	परियोजित लाभ बाध्यताओं का दिनांक 1.4.2011 को वर्तमान मूल्य	657.16	230.87	154.00	858.81	98.31
(ii)	ब्याज लागत	52.57	19.62	13.09	73.00	
(iii)	वर्तमान सेवा लागत	17.47	10.08	6.41	10.85	
(iv)	प्रदत्त लाभ	48.58	86.43	7.65	85.71	9.26
(v)	बीमांककीय (लाभ) / हानि	26.29	65.90	(4.93)	125.04	11.04
(vi)	31.3.2012 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v)	704.92	240.04	160.92	982.00	100.09

(ख) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गये व्यय :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदीकरण	बीमारी छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवालाभ
(i)	सेवा लागत	17.47	10.08	6.41	10.85	-
(ii)	ब्याज लागत	52.57	19.62	13.09	73.00	-
(iii)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	61.66	-	-	-	-
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय(लाभ) / हानि	26.29	65.90	(4.94)	125.04	11.04
(v)	लाभ व हानि खातों में लिए गए व्यय (i+ii+iii+iv)	34.67	95.61	14.56	208.90	11.04

(ग) परियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :
(₹ मिलियन में)

	ग्रेच्युटी
1.4.2011 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	629.99
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	61.66
नियोक्ता द्वारा अंशदान	65.97
प्रदत्त लाभ	48.58
बीमांककीय लाभ / (हानि)	
31.3.2012 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	709.04

(घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के संबंध में संभावित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव : –
(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता वृद्धि	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता कमी
i)	सेवा लागत व ब्याज लागत के समग्र पर प्रभाव	9.47	(8.07)
ii)	परिभाषित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव	105.98	(91.01)

क. संबंधित पार्टीयों के नाम एवं संबंध का विवरण :

क) प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक

- i. श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 22.07.2011 से)
- ii. श्री एच एस मान निदेशक व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (दिनांक 22.07.2011 तक)
- iii. श्री सुनीर खुराना निदेशक
- iv. श्री वेद प्रकाश निदेशक
- v. श्री राजीव जयदेव निदेशक (दिनांक 03.12.2010 से)
- vi. श्री एम जी गुप्ता (09.12.2011 से)
- vii. श्री आनन्द त्रिवेदी (03.07.2012 से)
- viii. श्री जोगारी किशन प्रबंध निदेशक, एमटीपीएल, (18.05.2011 तक)
- ix. श्री वर्धन कुलशेखरन निदेशक, एमटीपीएल (18.05.2011 तक)
- x. श्री तपस कुमार सेनगुप्ता प्रबंध निदेशक, एमटीपीएल(18.05.2011 से)
- xi. श्री विजय कुमार गुप्ता निदेशक –एमटीपीएल(18.05.2011 से)

ख) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर निदेशक

ग) एसोसिएट

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड—
देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ.) संयुक्त उद्यम

फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
हल्डिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन कमोटिडी एक्सचेंज लिमिटेड
सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड

(ङ.) बीमांककीय कल्पनाएँ :

क्र.सं.	विवरण	31/3/2012 को
(i)	छूट दर(प्रतिवर्ष)	8.00%/8.50% - एल आई सी / अन्य
(ii)	भविष्य लागत वृद्धि	5.00% / 5.50% - एल आई सी / अन्य
(iii)	सेवा निवृत्ति आयु	60 वर्ष
(iv)	मृत्यु संख्या विवरण	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित
(v)	निकासी दरें	आयु पर आधारित 1% से 3%

25. लेखा मानक 17 के अनुसार निगम ने खनिज, बहुमूल्य धातुएं, धातु, कृषि उत्पाद कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार अन्य आदि प्राईमरी रिपोर्टबल व्यापारिक सेगमेंट की पहचान की है। भारत से बाहर तथा भारत के अंदर भूगोलिक स्थितियों के आधार पर सेकेडरी सेगमैंट्स की पहचान की गई है जिसके विवरण अनुलग्नक 'क' में दिए गए हैं।

26. लेखा मानक-18 के अंतर्गत संबंधित पार्टीयों का प्रकटन (प्रबंधतंत्र द्वारा यथा-चिह्नित एवं प्रमाणित)

(₹ मिलियन में)

विवरण	एसोशिएट्स	संयुक्त उद्यम	प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	20791.69	48.07		20839.76
माल की बिक्री	10187.59	1478.35		11665.94
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री				
प्राप्त लाभांश				
ऋण तथा इकिवटी वित्त सहित रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में		3.70		3.70
कारपोरेट गारंटी				
अन्य भुगतान डेमरेज / डिस्पैच				
अन्य प्राप्तियां डेमरैज / डिस्पैच				
पारिश्रमिक			49.04	49.04
बकाया शेष				
प्राप्त	3763.16	166.92	3.43	3933.51
देय	28.06	0.87		28.93

27. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2011-12	2010-11
कर पश्चात लाभ(मिलियन रुपये में)	572.97	260.70
इकिवटी शेयरों की कुल संख्या (मिलियन में)	1000.00	1000.00
प्रतिशेयर बेसिक व डाईल्यूटिड अर्जन (प्रति शेयर 1/- रुपये अंकित मूल्य) (गत वर्ष प्रतिशेयर 1/- रुपये अंकित मूल्य)	0.57	0.26

28. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट लेखा मानक-27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं व पूंजीगत वचनबद्धताएं निम्नानुसार हैं:-

(₹ मिलियन में)

.क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	परि-संपत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत वचनबद्धताएं
1.	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	139.64	136.54	3.45	0.64		
2.	ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26		0.01	0	0.02		
3.	एमएमटीसी-पैप इंडिया प्रा. लिमिटेड	24.11	682.22	584.99	577.87	593.70	82.17	4.80
4.	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	1095.21	757.25	0.30	123.04	16.02	18.42
5.	एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि.	26	111.76	88.40	129.12	128.53	74.70	0.30
6.	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	26	140.54	45.61	27.73	93.54		
7.	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	26	0.10	0.05		0.15		

29. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट 'परिसंपत्तियों की हानि' जैसा कि मानक लेखा (ए एस) 28 द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है। वर्ष के दौरान कोई इम्प्रेसेन्ट हानि नहीं हुई है।

30. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार हैः—

(₹ मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	1.4.11 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.12 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	5.32	5.32	0	0
बोनस / पीआरपी	200.92	141.23	54.23	113.92
अधिवर्षिता लाभ	220.57	0	66.98	287.55
कराधान के लिए प्रावधान	1912.54	1120.24	544.08	1336.38
प्रस्तावित लाभांश	250.00	250.00	404.98	404.98
प्रस्तावित लाभांश पर कर	40.55	40.55	40.56	40.56
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु अविनियोजित बजट	0.97	0.25	0	0.72

31. लघु अवधि ऋणों व अग्रिमों के शीर्ष के अंतर्गत आयकर के 1325.78 मिलियन रुपये (गत वर्ष 2037.23 मि.रु.) में विभिन्न निर्धारण वर्षों की 293.80 मिलियन रुपये (गत वर्ष 309.83 मि.रुपये) की विवादित मांग के प्रति आयकर विभाग को भुगतान किए गए। 293.80 मि.रुपये (गत वर्ष 309.83) तथा वित्त वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 की आयकर देयता के लिए 1031.98 मि.रुपये (गत वष्ठ 1727.39 मि.रु.) के अग्रिम कर/टीडीएस के भुगतान शामिल हैं। अपीलीय प्रक्रिया समाप्त होने पर अतिरिक्त मांग यदि कोई होगी तो उसके लिए प्रावधान किए जाएंगे।
32. ऋण तथा अग्रिम के अभी तक लंबित पड़े मामले के संबंध में उच्च न्यायालय में जमा किए गए 157.37 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 157.37 मिलियन रुपये) शामिल हैं। मूल राशि के लिए आवश्यक प्रावधान पहले ही कर दिए गए हैं तथा ब्याज यदि कोई होगा तो, उसके लिए प्रावधान न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद किया जाएगा।
33. मिंट चांदी लेन–देन के संबंध में मेसर्स एआईपीएल के विरुद्ध 284.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है जिसके लिए पूर्ण प्रावधान लेखों में किया गया है कंपनी ने 314.02 मिलियन रुपए (गत वर्ष 314.02 मिलियन रुपये) की वसूली के लिए मामला दायर किया है जिसमें 29.49 मिलियन रुपए (गत वर्ष 29.49 मिलियन रुपये) की विलम्बित ब्याज राशि भी शामिल है। मै0 एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरुद्ध 1671.97 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1671.97 मि.रुपये) के नुकसान का मामला दायर किया है जो विधिक मत के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।
34. वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान भारत सरकार के निर्देश पर निगम ने दालों का आयात किया। सरकार ने पहुंच लागत (लैंडिंग कास्ट) की 15 प्रतिशत हानि तथा सीआईएफ मूल्य के 1.2 प्रतिशत की दर से ट्रेडिंग मार्जिन की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति प्रदान की है। पूर्व वर्षों में किए गए 77. 10 मिलियन रुपये के अधिक दावों को चालू वर्ष के दौरान वापस ले लिया गया है। वर्ष 2011–12 से यह योजना समाप्त कर दी गई है।
35. आर बी डी पामोलीन ऑयल के आयात हेतु टारगेट प्लस लाइसेंस उपयोगिता के संबंध में कस्टम ड्यूटी, पेनल्टी इत्यादि की विवादग्रस्त 247.43 मिलियन रुपये (गत वर्ष 247.43 मिलियन रुपये) की मांग के तहत 247.43 मिलियन रुपये(गत वर्ष 247.43 मिलियन रुपये) की देयता लेखों में पहले से ही विद्यमान है। ब्याज के प्रति देयता यदि कोई हो तो का प्रावधान मामले के अंतिम निर्णय होने पर किया जाएगा।
36. एक व्यापारिक सांझेदार के विरुद्ध क्षतिग्रस्त आयातित पोलिस्टर के संबंध में 18.89 मिलियन रुपये (गत वर्ष 20.62 मिलियन रुपये) के लिए एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी तथा अन्य देय राशियों की 3.61 मिलियन रुपये(गत वर्ष 3.61 मिलियन रुपय) की राशि को खाते में लेने के पश्चात 15.28 मिलियन रुपये (गत वर्ष 17.01 मिलियन रुपये) का प्रावधान किया गया है। निगम ने कस्टम से इसके परित्याग के लिए अनुरोध किया है जो कि निर्णय के लिए लंबित है। एसोसिएट ने विवाद निपटान के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा तदनुसार वर्ष के दौरान 1.73 मिलियन रुपये की राशि का भुगतान किया है।
37. लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 32 के अनुसार यथावृच्छित ऋण के रूप में ऋण एवं अग्रिमों का व्यौरा इस प्रकार है :—

क) अग्रिम के रूप में सहयोगियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम (ब्याज रहित)

कर्जदार	दिनांक 31.3.2012 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलाचल इस्पात निगम लि.	₹0.99 मिलियन (विगत वष्ठ ₹0.17 मिलियन)	₹1.19 मिलियन (विगत वष्ठ ₹1.46 मिलियन)

ख) कर्जदारों द्वारा किए गए निवेश का व्यौरा : शून्य रुपये (विगत वर्ष शून्य रुपये)

38. वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी की किसी भी सूक्ष्म या लघु औद्योगिक इकाईयों का 45 दिनों से अधिक दिनों का देय नहीं है।
39. वर्ष के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल (तांबे) की आपूर्ति किए बिना ही 28.30 मिलियन रुपये का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से बैंक को रोकने के लिए निगम ने अंतरिम रोक का आदेश प्राप्त कर लिया है। इसी आपूर्तिकर्ता ने कपटपूर्वक तांबे की अन्य खेप की मास्टर बिल आफ लैंडिंग रखी हुई जिसके द्वारा मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय माल की सुपुर्दगी लेने के साथ—साथ पहले ही भुगतान किए गए तथा भारतीय बंदरगाह पर प्राप्त किए गए 65.57 मिलियन रुपये के माल का स्वामित्व प्राप्त करना था।
40. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में बैंकिंग चैनलों द्वारा 37.50 मिलियन रुपये मूल्य के तांबे की दो खेपों के लिए जाली बिल आफ लैंडिंग प्राप्त किए गए जिनके एवज में किसी प्रकार का माल प्राप्त नहीं हुआ। निगम को भारतीय ग्राहक से पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के पश्चात विदेशी आपूर्तिकर्ता को साख पत्र द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया। विदेशी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध निगम कानूनी कार्यवाही आरंभ करने की प्रक्रिया में है तथा कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
41. झांडेवालान क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष के दौरान ऋण पर आपूर्ति किए गए स्वर्ण के प्रति एक ग्राहक द्वारा 18 मिलियन रुपये की दो बैंक गारंटीयां जमा की गई जो जाली पाई गई। निगम ने खातों में पूरा प्रावधान किया है। निगम द्वारा दिल्ली पुलिस में एक आई आर फाइल किए जाने से मामले की जांच की जा रही है।
42. वर्ष के दौरान निगम ने लेखा नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं:-

 - (i) निगम द्वारा अपनाई गई लेखा प्रणाली को दर्शाने के लिए लेखा नीति संख्या 2.2 (ख) को जोड़ा गया है जिसके अनुसार “कुछ मदों के आयात जो निगम द्वारा सरणीकृत है, के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी अनुज्ञाप्ति पत्र के प्रति किए गए आयात को निगम के खाते में क्रय/विक्रय के रूप में बुक किया जाएगा।
 - (ii) लेखा नीति संख्या 2.2 (ग);(i) की शब्दावली में परिवर्तन “‘खेप’ शब्द को ‘डिपाजिट’ शब्द में रूपांतरित किया गया है।”
 - (iii) लेन देन की वास्तविक प्रकृति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से लेखा नीति संख्या 2.2 (ग) (ii) में परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार ‘घरेलू बिक्री के लिए स्वर्ण की खरीद को खेप (कंसाईनमेंट) स्टॉक से निकाले जाने तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्य निर्धारण के पश्चात खातों में लिया जाएगा” से संबंधित नीति को “घरेलू बिक्री के लिए वर्ष के दौरान स्वर्ण की खरीद को डिपाजिट के अंतर्गत स्वर्ण/चांदी से निकासी तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्य निर्धारण के पश्चात खातों में लिया जाएगा। वर्ष के अंत में डिपाजिट के रूप में निगम के पास पड़े स्वर्ण/चांदी के स्टॉक को ‘बिल न किए गए क्रय से संबंधित स्टॉक के रूप में चालू परिसंपत्तियों तथा ‘बिल न किए गए क्रय से संबंधित देय राशि’ को वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य के रूप में खातों में लिया जाएगा।
 - (iv) लेन देन की वास्तविक प्रकृति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से लेखा नीति संख्या 2.2 (ग)(iii) में परिवर्तन “कंसाईनमेंट स्टॉक से ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में दर्शाया जाता है तथा इसे ऋण व अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।” ऋण/विविध लेनदारों का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है। इसको परिवर्तित करके ‘डिपाजिट के अंतर्गत स्वर्ण/चांदी से ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में दर्शाया जाता है तथा ऋण व अग्रिम शीर्ष में दर्शाया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की संगत देयता को विविध लेनदार शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ऋण/विविध लेनदारों का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करते समय किया जाता है।”
 - (v) लेखा नीति संख्या 2.9 में परिवर्तन “भारत में ग्राहकों को हाईसीज़ बिक्री सहित” शब्दों को भारत में बिक्री हेतु सेकेंडरी सेगमेंट के लिए लेखा नीति में जोड़ा गया है।
 - (vi) निगम द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुरूप लेखा नीति संख्या 2.12(ग) (i) को जोड़ा गया है तथा 2.12 (ग) (ii) में आयात से घरेलू में शिफ्ट किया गया है तथा यह शब्द जोड़े गए हैं कि “जहां स्टॉक विशेषकर पहचाने जाने योग्य है और जिस स्थान पर यह पड़ा है वहां तक किए गए सभी व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत पर विचार किया जाएगा।”

उपर्युक्त परिवर्तनों का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं है।

43. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई सहायक, एसोसिएशन तथा संयुक्त उपकरणों की सूची निम्नलिखित है :

सहायक कंपनी का नाम	देश जहाँ निर्गमित है	31 मार्च 2012 का स्वमित्व हितों का अनुपात
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	100%
एसोसिएट का नाम	देश जहाँ निर्गमित है	31 मार्च 2012 का स्वमित्व हितों का अनुपात
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	भारत	49.78%
डेवोना पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	भारत	26.00%
संयुक्त उपकरण का नाम	देश जहाँ निर्गमित है	31 मार्च 2012 का स्वमित्व हितों का अनुपात
ग्रेटर नोएडा इंटिग्रेटिड वेररहाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड	भारत	26.00%
फ्री ट्रेड वेररहाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड	भारत	26.00%
एमएमटीसी पैम्प इंडियाय प्राईवेट लिमिटेड	भारत	24.11%
सिकाल आयरल और टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड	भारत	26.00%
एमएमटीसी गीतांजलि प्राईवेट लिमिटेड	भारत	26.00%
इंडियन कोमोडिटिज एक्सचेंज लिमिटेड	भारत	26.00%

44. सहायक कम्पनी एमएटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के विवरण निम्नलिखित है :

सहायक कंपनी का नाम	देश जहाँ निर्गमित है	31 मार्च 2012 का स्वमित्व हितों का अनुपात
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल(मास्को) पीटीई लिमिटेड	रूस	100%

वित्तीय विवरण तैयार कराते समय एमएमटीसी ट्रांसनेशनल(मास्को) पीटीई लिमिटेड को शामिल नहीं किया गया। निदेशकों का मत है कि निगम के शेयर धारकों के लिए सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को निगम के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित करके बनाए गए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की कोई सैद्धांतिक मूल्य नहीं है क्योंकि सहायक कम्पनी के एक निष्क्रिय कम्पनी होने के कारण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की लागत उसकी उपयोगिता से कहीं अधिक है।

45. संयुक्त उपकरणों/एसोसिएट्स/सहायक कम्पनियों द्वारा भिन्न-भिन्न वातावरण में कार्य करने का ध्यान में रखते हुए संयुक्त उपकरणों/एसोसिएट्स/सहायक कम्पनियों द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों से भिन्न हैं। इस विवरण निम्नलिखित है :

विवरण	संयुक्त उपकरण/एसोसिएट/सहायक कम्पनियों का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी के शेयर का अनुपात(निवल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उपकरण/एसोलिएट्स/सहायक कम्पनी	
एलटीसी/एएलटीसी के लिए प्रावधान	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर	रोकड़ आधार पर	परिमाणन नहीं किया जा सकता
मूल्यांकन	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत वार्णित दरों के समकक्ष अथवा उनसे अधिक	कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	परिमाणन नहीं किया जा सकता
	सिकाल आयरल और	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत वार्णित दरों के समकक्ष अथवा उनसे अधिक	कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	परिमाणन नहीं किया जा सकता

विवरण	संयुक्त उपकरण/एसोसिएट/सहायक कम्पनियों का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी के शेयर का अनुपात(निवल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उपकरण/एसोलिएट्स/सहायक कम्पनी	
	इंडियन कमोडिटी एक्सचेज लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत वार्षिक दरों के समकक्ष अथवा उनसे अधिक	कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	परिमाणन नहीं किया जा सकता
	ग्रेटर नोएडा इंटिग्रेटेड वेयरहाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत वार्षिक दरों के समकक्ष अथवा उनसे अधिक	कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	परिमाणन नहीं किया जा सकता
	एमएमटीसी गीतांजली प्राईवेट लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत वार्षिक दरों के समकक्ष अथवा उनसे अधिक	कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	परिमाणन नहीं किया जा सकता
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत वार्षिक दरों के समकक्ष अथवा उनसे अधिक	कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	परिमाणन नहीं किया जा सकता
इन्वैन्ट्री मूल्यांकल	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	भारित औसत लागत	विशिष्ट पहचान प्रणाली	परिमाणन नहीं किया जा सकता
	एमएमटीसी गीतांजली प्राईवेट लिमिटेड	भारित औसत लागत	एफआईएफओ आधार तथा औसत विक्रेता (वैडर) वार	परिमाणन नहीं किया जा सकता
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	भारित औसत लागत	एफआईओ आधार पर	परिमाणन नहीं किया जा सकता
विदेशी मुद्रा विनिमय	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	लेन-देन की तिथि की विनिमयदर का प्रयोग करते हुए गैर-मौद्रिक मदों की सूचनादी जाती है।	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में पूँजी तथा राजस्व दोनों के लेन-देन की निर्धारण तिथि पर प्रचलित दर पर की जाती हैं	परिमाणन नहीं किया जा सकता
	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	स्थायी परिसम्पत्तियों संबंधी देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है	स्थायी परिसम्पत्तियों संबंधी देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर का पूँजीकरण किया जाता है।	परिमाणन नहीं किया जा सकता
वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	भारतीय जीएपी	सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानक	परिमाणन नहीं किया जा सकता
राजस्व पहचान	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	ब्याज आय की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है	ब्याज आय की पहचान प्रभावी ब्याज पद्धति से की जाती है	परिमाणन नहीं किया जा सकता
	सिकाल अयरल ओर टर्मिनल लिमिटेड	लाभांश आय की पहचान रोकड़ आधार की जाती है	लाभांश आय की पहचान समय अनुपात आधार की जाती है	परिमाणन नहीं किया जा सकता
मूल्यांकन तथा परिशोधन	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	मूल्यांकन की दरें एमएमटीसी लिमिटेड की लेखा नीतियों के अनुसार हैं	33.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यांकन प्रभारित किया जाता है।	लेखों में मूल्यांकन तथा परिशोधन के लिए 0.68 मिलियन रुपए कम प्रभारित किए गए।

विवरण	संयुक्त उपकम / एसोसिएट / सहायक कम्पनियों का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी के शेयर का अनुपात(निवल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उपकम / एसोसिएटस / सहायक कम्पनी	
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	भारतीय जीएपी	प्रभावीय व्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत	परिमाणन नहीं किया जा सकता
व्यापारिक एवं अन्य देय	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	भारतीय जीएपी	प्रभावीय व्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत	परिमाणन नहीं किया जा सकता
टर्मिनल लाभ	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	परिभाषित लाभ योजना	परिभाषित अंशदान योजना	परिमाणन नहीं किया जा सकता
वित्तीय परिस्थितियाँ तथा देयताएँ	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	भारतीय जीएपी	परिशाधित लागत	परिमाणन नहीं किया जा सकता
ऋण	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	भारतीय जीएपी	प्रभावीय व्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत	परिमाणन नहीं किया जा सकता
लाभांश	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	भारतीय जीएपी	भुगतान हेतु अनुमोदित हो जाने पर विहित	परिमाणन नहीं किया जा सकता

46. नियुक्ति की संविदात्मक शर्तों में जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि 16 एच पी से कम की कार के लिए 520/- रुपये प्रतिमाह तथा 16 एच पी से अधिक की कार के लिए 780/- रुपये प्रतिमाह के भुगतान पर पूर्णकालिक निदेशक निजी उपयोग के लिए 1000 कि.मी. प्रतिमाह तक स्टाफ कार का उपयोग कर सकते हैं।
47. जहाँ तक आवश्यक समझा गया है, पूर्व वर्ष के आंकड़े पुनः समूहित / समेकित किए गए हैं।
48. पार्टियों की शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र जारी किए गए हैं जिसमें उनसे निवेदन किया गया है कि निर्धारित तारीख तक वे पुष्टि करें अथवा अपने मत प्रकट करें। अन्यथा पत्र में इंगित शेष राशि को समपुष्ट माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि किसी भी पार्टी से कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।
49. जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को रिग्रुप / रिकास्ट किया गया है।
50. लेखा नीतियाँ तथा संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं. 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी.के. कपिला)
पार्टनर
एम नं. 016905

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त व लेखा)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 28 अगस्त 2012
स्थान : नई दिल्ली

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2011–12 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण

(मुख्य प्रकटन)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातु		धातुएं		खनिज एवं अयस्क	
खंडवार राजस्व	31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11
बाह्य बिक्री						
- भारत में	511636.75	506938.84	12735.70	9768.95	1239.98	2146.16
- भारत के बाहर	0.35		10872.18	11856.89	10036.95	28892.69
योग (क)	511637.10	506938.84	23607.88	21625.84	11276.93	31038.85
अंतर-खण्ड बिक्री						
- भारत में						
- भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व(क+ख)	511637.10	506938.84	23607.88	21625.84	11276.93	31038.85
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	76.80%	73.03%	3.54%	3.12%	1.69%	4.47%
खण्डीय परिणाम						
- भारत में	891.60	766.48	251.50	223.54	34.72	60.67
- भारत के बाहर	0.02		301.53	338.52	246.52	1133.34
कुल खण्डीय परिणाम	891.62	766.48	553.03	562.06	281.24	1194.01
अनिर्धारित निवल कारपोरेट व्यय						
अनिर्धारित आय						
प्रदालन लाभ						
व्याज व्यय						
व्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि / लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	35700.71	111026.93	4183.04	2321.97	1012.22	3485.40
अनिर्धारित कारपोरेट परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां	27207.00	93674.25	3609.19	2612.48	928.79	4632.64
खंड देयताएं						
अनिर्धारित कारपोरेट देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूँजीगत व्यय		0.35				
अनिर्धारित पूँजीगत व्यय						
कुल पूँजीगत व्यय						
खंड मूल्यहरास	1.30	1.19			55.36	55.36
अनिर्धारित मूल्यहरास						
कुल मूल्यहरास						
मूल्यहरास के अलावा गैर- रोकड़ व्यय						

(सैकण्डरी प्रकटन)

विवरण	भौगोलिक खंड	
	भारत के बाहर	
खंडवार राजस्व	31 मार्च 12	31 मार्च 11
बाह्य बिक्री	49,147.70	61,790.83
अंतर-खण्ड बिक्री	-	-
कुल राजस्व	49,147.70	61,790.83
खण्ड परिणाम	686.66	1,593.61
खण्ड परिसंपत्तियां	1,248.91	4,849.21
पूँजीगत व्यय	-	-

49 वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

(₹ मिलियन में)

व्यापार खंड										
हाइक्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		अन्य		कुल		
31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11	
29022.28	89907.96	12417.96	8537.11	49530.38	14822.97	437.36	197.45	617020.41	632319.44	
7583.57	6280.69	11916.38	10165.83	8738.28	4594.73			49147.70	61790.83	
36605.85	96188.65	24334.34	18702.94	58268.66	19417.69	437.36	197.45	666168.11	694110.27	
36605.85	96188.65	24334.34	18702.94	58268.66	19417.69	437.36	197.45	666168.11	694110.27	
5.49%	13.86%	3.65%	2.69%	8.75%	2.80%	0.07%	0.03%	100.00%	100.00%	
644.32	817.72	229.48	-102.13	131.00	92.97	96.74	94.72	2279.36	1953.97	
4.67	8.80	20.26	34.01	113.66	78.92			686.66	1593.60	
648.99	826.52	249.74	-68.12	244.66	171.89	96.74	94.72	2966.02	3547.57	
								2809.95	3573.75	
								156.07	(26.18)	
								5149.47	3784.94	
								6632.85	4803.06	
								64.43	731.24	
								1575.02	260.70	
								1002.05		
								572.97	260.70	
23057.20	23270.26	14699.49	12842.61	8119.21	1501.68	552.37	558.31	87324.24	155007.16	
								45072.28	42790.49	
33124.01	21407.96	18781.28	15752.73	7417.79	1610.77	267.90	316.92	132396.52	197797.65	
								91335.97	140007.75	
								24095.73	42123.95	
								115431.70	182131.70	
								-	0.35	
								496.19	475.00	
								496.19	475.35	
								93.03	92.91	
								51.30	40.22	
								144.33	133.13	
								139.92	242.81	

(₹ मिलियन में)

भौगोलिक खंड			
भारत के अंदर		कुल	
31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11
617,020.41	632,319.44	666,168.11	694,110.27
-	-	-	-
617,020.41	632,319.44	666,168.11	694,110.27
2,279.36	1,953.96	2,966.02	3,547.57
86,075.33	150,157.95	87,324.24	155,007.16
0.35	0.35	0.35	0.35

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र सं. सी.ए.वी./कंपनी/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (13)/44 दिनांक 12 जुलाई, 2010 के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन वित्त वर्ष 2010–11 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

जैन कपिला एसोएसट
नई दिल्ली

क्षेत्र

- उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालय, झंडेवालान
- कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित),
माइका प्रभाग के कार्यालय का सभी शाखाओं के लेखों को मिलाकर समेकन

शाखा लेखा परीक्षक

डी.वी. सारोवर,
बेलारी

- उप कार्यालयों व वितरण केन्द्रों सहित बेलारी क्षेत्रीय कार्यालय

राजेश.के. झुनझुनवाला एंड कंपनी,
कटक

- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित भुवनेश्वर
क्षेत्रीय कार्यालय

शाह एंड शाह,
अहमदाबाद

- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर,
बंगलुरु

- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित बंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय

यू जी देवी एंड कंपनी,
मुम्बई

- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित गोवा क्षेत्रीय कार्यालय

कुलकर्णी व भट
गोवा

- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित गोवा क्षेत्रीय कार्यालय

चतुर्वेदी एंड कंपनी,
कोलकाता

- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय
- कोलकाता, अभ्रक नगर, झुमरीतलैया व गिरिडिह के माइका प्रभाग

सत्यनारायण एंड कंपनी
हैदराबाद

- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

अमित गोयल एंड कंपनी,
जयपुर

- जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

वर्धमान एंड कंपनी,
चेन्नई

- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित
- गुडूर का माइका प्रभाग चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय,

जालानी एंड कंपनी,
नई दिल्ली

- उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

अंबिका एंड ईशा,
विशाखापटनम

- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित विशाखापटनम क्षेत्रीय कार्यालय

एमएमटीसी के बैंकर्स

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया
2. केनरा बैंक
3. एचडीएफसी बैंक
4. बैंक आफ इंडिया
5. इंडियन बैंक
6. बैंक ऑफ बड़ौदा
7. बैंक आफ महाराष्ट्र
8. यूनियन बैंक आफ इंडिया
9. स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक
10. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
11. पंजाब नेशनल बैंक
12. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर
13. इंडियन ओवरसीज बैंक
14. विजया बैंक
15. आईडीबीआई बैंक
16. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
17. देना बैंक
18. ड्यूश बैंक
19. इंडसइंड बैंक
20. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
21. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
22. एक्सेस बैंक
23. आईसीआईसीआई बैंक
24. आई एन जी वैश्य बैंक
25. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर
26. इलाहाबाद बैंक
27. यूको बैंक
28. डेवलोपमेंट कोडिट बैंक
29. कर्कर वैश्य बैंक
30. बी.एन.पी. परिवास
31. येस बैंक
32. बैंक ऑफ टोकियो
33. डी बी एस
34. सिंडीकेट बैंक
35. कोटक महिन्द्रा बैंक
36. बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया
37. आरबीएस
38. एएनजेड बैंक
39. एचएसबीसी बैंक

एमएमटीसी कार्यालय

कारपोरेट कार्यालय

एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलेक्स, कोर-1, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003

फोन : 91-11-24662200, ई-मेल : mmtc@mmtclimited.com

वेबसाइट : www.mmtclimited.com

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तरी क्षेत्र

दिल्ली

स्कोप काम्पलेक्स, कोर-1, 7 वाँ तल,
इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,
नई दिल्ली – 110 003
फोन : 011– 24365717 पीबीएक्स
011– 24362200,
फैक्स – 011–24366724
ई-मेल : head_dro@mmtclimited.com

एसआरओ / एफओ : लुधियाना,
फरीदाबाद, देहरादून, मुरादाबाद

झाण्डेवालान

झाण्डेवालान ज्वैलरी काम्पलेक्स, एफ 8–11,
झाण्डेवालान फ्लैटेड फैक्टरी काम्पलेक्स,
रानी झासी रोड, नई दिल्ली – 110 055
फोन–011–23623950, 23623952,
23670408

फैक्स:– 011–23633175, 23671369
ई-मेल : head_jjc@mmtclimited.com
एसआरओ : नौरेडा, आगरा, अम्बाला,
कानपुर

जयपुर

अरिहंत टॉवर्स–पा सांगानेरी गेट के सामने,
टेलीफोन एक्सचेंज, आगरा रोड
जयपुर–302003
फोन:– 0141–2601882, 2601386
फैक्स:– 0141–2618294
ई-मेल : head_jaipur@mmtclimited.com

दक्षिण क्षेत्र

चेन्नई

6 चेन्नई हाउस, एसप्लेनेड, चेन्नई–600108
फोन :– 044–25341942
फैक्स:– 044–25340317
ई-मेल: head_chennai@mmtclimited.com
एसआरओ / एफओ : कोची,
तूलीकोरीन, ऎन्नूर,

बंगलुरु

शिक्षक सदन, भूतल, के.जी. रोड, बंगलुरु–
560002
फोन :– 080–22215927, 22244605,
फैक्स:– 080–22272043
ई-मेल: head_bangalore@mmtclimited.com
एसआरओ : मैंगलोर, गजेन्द्रगढ़

विजाग

एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया,
विशाखापटनम–530035 (आन्ध्र प्रदेश)
फोन:– (पीबीएक्स) 0891–2562356,
2562359
फैक्स :– 0891–2561761, ,2731865
ई-मेल : head_visag@mmtclimited.com
एसआरओ : काकीनाडा, विजयवाडा

हैदराबाद

10–2–1, प्रथम तल, एफडीसी
काम्पलेक्स, ए.सी.गार्ड्स, हैदराबाद – 28
फोन :– 040–28394924,
23394919, 23394955
फैक्स :– 040–23394923
ई-मेल: head_hyderabad@mmtclimited.com

बेलारी

मेन रोड, एस एन पेट, बेलारी – 583103
फोन :– 0839–2272433, 2274277,
पीबीएक्स – 2276567, 2276517
फैक्स :– 0839–2274278
ई-मेल: head_bellary@mmtclimited.com
एसआरओ : तोर्नगलू बनीहट्टी, हास्पेट,

पूर्वी क्षेत्र

कोलकाता

एनआईसी विल्डिंग, चतुर्थ एवम् पंचम तल,
8, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता –
700001

फैक्स :– 033–22101079,
22421252, 22421261
फैक्स :– 033–22424292
ई-मेल: head_kolkata@mmtclimited.com
एसआरओ : हल्दिया, जमशेदपुर,
गुवाहाटी

भुवनेश्वर

आलोक भारती काम्पलेक्स, सातवां तल,
शहीद नगर, भुवनेश्वर – 751007 (उडीसा)
फोन 0674–2546848, 2518517, 2503336,
2544783
फैक्स :– 0674–2546847, 2512832
ई-मेल: head_bhubaneswar@mmtclimited.com
mmtcbbbsr@mmtclimited.com
एसआरओ : पारादीप, (हारबर) बड़बिल

पश्चिम क्षेत्र

मुम्बई

एमएमटीसी हाउस, सी–22, ई ब्लाक, बांद्रा
कुरुंग काम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई –
400 051
फोन:– 022 – 26572437, 26594100,
26573193, फैक्स:– 022 – 26572541,
26570131, 26573193
ई-मेल : head_mumbai@mmtclimited.com
एसआरओ / एफओ : नागपुर

अहमदाबाद

2, नगरीनदास चैम्बर्स, उस्मानपुरा, आश्रम रोड,
अहमदाबाद–380014
फोन (पीबीएक्स):– 079–27540643,
27543796, फैक्स:– 079–27543739
ई-मेल : head_ahmedabad@mmtclimited.com
एसआरओ : कांडला, मोरबी, राजकोट

गोवा

कुलासो विल्डिंग, स्वतंत्रा पथ,
वारको–द–गामा, गोवा – 403802
फोन(पीबीएक्स):– 0832– 2512411,
2512521, फैक्स:– 0832–2513283,
2517089
ई-मेल : head_goa@mmtclimited.com
एसआरओ : सेंचुर्डम

प्रोन्नत प्रोजेक्ट

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड,
प्रथम मंजिल एनैक्सी, ईपीकॉल हाउस,
जनपथ, भुवनेश्वर–751022
फोन : 0674–2543231
फैक्स : 0674–2541763

विदेश कार्यालय

सिंगापुर

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, 20,
सिसिल स्ट्रीट, 14–03/04, सिंगापुर
एक्सचेंज, सिंगापुर– 049705
फोन:– 0065–65385313
पीबीएक्स : 2276567, 2276517
फैक्स:– 0065–64385327
ई-मेल : mtplsing@singnet.com,
pkm@mpl.com

जोहनेसबर्ग

एमएमटीसी लिमिटेड, प्रथम तल, सेन्ट टोन
ऑफिस टावर, सीएनआर रिवोनिया रोड, 5वीं
स्ट्रीट, संधूर्ट एक्सचेन्सन, 3, सेनटोन,
जोहनेसबर्ग, साऊथ अफिका
फोन : 0027723286739
ई-मेल – mathpal@mmtclimited.com